आत्मनिर्भर भारत

वाणी

वर्ष : 33 ❀ अंक 127 ❀ दिसंबर 2020

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक की
तिमाही गृह पत्रिका

गतिविधियाँ

गणतंत्र दिवस के अवसर पर बैंक के केंद्रीय कार्यालय के प्रांगण में ध्वजारोहण किया गया। चित्र में ध्वजारोहण के पश्चात तिरंगे का सम्मान करते हुए हमारे एमडी व सीईओ महोदय श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता, कार्यपालक निदेशक श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, मुख्य सुरक्षा अधिकारी एवं स.म.प्र. पी .वेंकटेशन एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री ए.बी.विजयकुमार ।

हाल ही में शहरी विकास से संबंधित स्थायी संसदीय समिति ने अध्ययनार्थ हमारे बैंक का दौरा किया। इस अवसर पर समीक्षा करते हुए समिति के अध्यक्ष श्री जगदम्बिका पाल (ऊपर)। समिति के अध्यक्ष महोदय का अभिनंदन करते हुए हमारे एमडी व सीईओ महोदय श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता (नीचे)।

इस अंक में

वाणी
वर्ष : 33 ❀ अंक 127 ❀ दिसंबर 2020
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक की तिमाही गृह पत्रिका

सदेश
प्रबन्ध निदेशक महोदय का संदेश 3
कार्यपालक निदेशैक महोदय का संदेश 4
महा प्रबन्धक महोदय का संदेश 5

संपादकीय
हमारी भाषाएँ : हमारी विचारधारा 6

विशेष आलेख
सतर्क भारत , समृद्ध भारत 7
विश्व हिंदी दिवस 9

बैंकिंग व अन्य लेख
सरकार के नए आर्थिक पैकेज का एमएसएमई 10
क्या बैंकों का निजीकरण तार्किक कदम है ? 12
ग्राहक सेवा की ओर नवोन्मेषी कदम – डोर स्टेप 38
बैंकों में एनपीए की समस्या : स्थाई समाधान 53

कविता
नीरज की पतंगे 11
भूख कविता नहीं पढ़ती 17
कोरोना काल में हिन्दी 41
पिता 45

साहित्य का सफ़रनामा
“कौन ठगुवा नगरिया लूटल हो”–काशीनाथ सिंह 18

प्रदक्षिणा
करतारपुर गलियारे से करतारपुर साहिब.. 24

फ़ोटो फ़ीचर
क्षेत्रीय कार्यालयों में विश्व हिंदी दिवस 30

तारीख़ें बयाँ और
बेगुनाही के लिए 70 साल का इंतज़ार 32

नज़र कानूनी
तोल मोल के बोल 43

ख़तों के रास्ते इतिहास
मैरी आर – स्कॉटलैंड की रानी 46

स्वास्थ्य संपदा
हृदय का कैसे रखें ख्याल .. 55

परिक्रमा
झाँकी झारखंड की – भाग II 57

विविधा
प्रेरक प्रसंग 15
ज्ञान के मोती 28
काव्य कुंज 29
शब्द – शब्दांतर 42
हँसी की फुलझड़ियाँ 52
प्रतिस्पंदन 60

‘वाणी’ पत्रिका बैंक के ऑनलाइन यानि इंट्रानेट पर भी उपलब्ध है

वाणी

वर्ष : 33 ❀ अंक 127 ❀ दिसंबर 2020

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक की
तिमाही गृह पत्रिका

तुम वहन कर सको जन-मन में मेरे विचार !
वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार ?

मुख्य संरक्षक
पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता
प्रबन्ध निदेशक एवं
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

संरक्षक
अजय कुमार श्रीवास्तव
कार्यपालक निदेशक

परामर्शदाता
भुवन चन्द्र शर्मा
महा प्रबंधक

संपादक
सुरेश कुलकर्णी
उप महा प्रबंधक

अंक संपादक
व प्रकाशक
अलीम खान
वरिष्ठ प्रबंधक

सम्पादन सहयोग
नेहा रंजन
सहायक प्रबंधक
केन्द्रीय कार्यालय

सम्पादन सहयोग
नगेंद्र कुमार सिंह
प्रबंधक
केन्द्रीय कार्यालय

सम्पादन सहयोग
शुभम दीक्षित
सहायक प्रबंधक
केन्द्रीय कार्यालय

मुद्रक
कृष्णराज प्रिंटर्स
36 देवराजन स्ट्रीट, रॉयपेट्टा
चेन्नै 600 014, तमिलनाडु
दूरभाष : 044-28481125

वाणी में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने निजी हैं। बैंक का इनसे सहमत होना ज़रूरी नहीं है।

पत्र व्यवहार का पता
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक,
राजभाषा विभाग,
केन्द्रीय कार्यालय, 763 अण्णा सालै,
चेन्नै 600 002
दूरभाष : 044–28519572
फ़ैक्स : 044–28551618
ई–मेल : official@iobnet.co.in

केवल आन्तरिक वितरण हेतु

एमडी व सीईओ महोदय का संदेश

प्यारे साथियो,

वैसे तो इस महामारी के दौर में विभिन्न आभासी मंचों के माध्यम से आप सभी से संवाद होता ही रहता है, लेकिन हमारे बैंक की गृह पत्रिका "वाणी" के माध्यम से आपसे संवाद एक अलग ही तरह की अनुभूति प्रदान करता है, क्योंकि ये मंच चढ़ते-उतरते आंकड़ों से इतर अपनी बात रखने का एक अवसर उपलब्ध करवाता है । अपनी बात की शुरुआत आप सभी को ग्रिगेरियन नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ करूंगा। वैसे तो विभिन्न देशों में काल गणना के लिए आदि काल से ही तमाम तरह के तिथि पत्रकों का प्रयोग एक सामान्य प्रक्रिया रही है मगर जैसे-जैसे तकनीक ने विश्वपटल के भूगोल को समेटना शुरू किया तो वैश्विक एकरूपता की दृष्टि से उभयनियष्ठ प्रकार के तिथि पत्रक की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। विकल्प कई थे पर व्यवहारिकता की दृष्टि से सुगमता और गणना की सटीकता को देखते हुए 20 शताब्दी आते-आते ज़्यादातर देशों ने ग्रिगेरियन कैलेंडर को आधिकारिक तिथि पत्रक के रूप में मान्यता दे दी। दरअसल जिस एक जनवरी को हर वर्ष नए साल के रूप में मनाया जाता है, जूलियन कैलेंडर का संशोधित रूप है, का रूपान्तरण पोप ग्रिगोरी ने किया था। क्योंकि जूलियन कैलेंडर एक वर्ष में 365 दिन 6घंटे का माना जाता था, परंतु ऐसा मानने से प्रत्येक शताब्दी में कुछ घंटों का अंतर पड़ जाता है। इस भूल पर सर्वप्रथम रोम के पोप (13वें) ग्रेगरी ने सूक्ष्मतापूर्वक विचार किया और गहन विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया गया जो शताब्दी वर्ष 4 से पूरी तरह विभाजित होने की बजाय यदि 400 से पूरी तरह विभाजित हो तभी उसे अधिवर्ष (लीप ईयर) माना जाए अन्यथा नहीं। इस नवीन पद्धति का आरंभ चूँकि पोप ग्रेगरी ने किया, इसलिए इसको ग्रेगेरियन पद्धति अथवा नवीन पद्धति (न्यू स्टाइल) और नव वर्ष को ग्रिगेरियन नव वर्ष कहा गया।

नूतन वर्ष का आगमन सदैव ही विशेष होता है क्योंकि इसके साथ और भी कई दिवस जुड़े होते हैं, एक ओर जहाँ खेतों में फसलों के पकने को उत्सव के रूप में, कहीं मकर संक्रांति तो कहीं लोहड़ी या तमिलनाडु में पोंगल के नाम से मनाया जाता है तो वहीं दूसरी ओर 10 जनवरी हिन्दी को वैश्विक पटल पर पहचान दिलाने के उद्देश्य से विश्व हिन्दी दिवस के रूप में आती है। इन्हीं सारी तारीखों के बाद आती है 10 फरवरी जिसे हमारे बैंक के स्थापना दिवस के रूप में पहचान प्राप्त है। वास्तव में स्थापना दिवस खुद को संस्थान की नींव से जुड़ी कसौटियों पर कसने का दिवस है। आत्मावलोकन का दिवस है। हम जिस संस्था से जुड़े हैं, जिस संस्था ने हमें एक पहचान दी है उसके बुनियादी मूल्यों से जुड़ने का दिवस है। हमें स्वमूल्यांकन करना होगा कि जिन आकांक्षाओं के साथ हमारे बैंक के संस्थापक श्री एम सी टी एम सी चेट्टियार ने इसकी नीव रखी थी, हम उनसे कितना समीप या उनसे कितना विलगित हुए हैं। कितना कुछ है जो किया जा चुका है और कितना कुछ है जो अभी किया जाना बाकी है। आगे बढ़ते हुए बार-बार पीछे देखना हमारी गति को अवरुद्ध कर सकता है, हमें इस प्रतिस्पर्धी दौरा में पीछे छोड़ सकता है लेकिन इन सब बातों से इतर स्थापना दिवस एक मील के पत्थर के समान है जहाँ हमें एक क्षण को रुकना होगा। पीछे मुड़ कर देखना होगा। जिन क्षणों में हताशा हावी हो जाए उन क्षणों में समृद्ध अतीत की स्मृतियाँ नई ऊर्जा व नए वेग की सूत्रधार बन जाती हैं। वास्तव में स्थापना दिवस अपनी उपलब्धियों पर गौरवान्वित होने का दिवस है। हमें अपने प्रयासों को और अधिक साधते हुए अपने बैंक को उसकी खोई हुई कीर्ति लौटानी होगी, हमें अविरत रूप से प्रयास करते हुए पुनः अपने बैंक को शीर्ष के बैंकों की श्रेणी में लाना होगा और स्वयं को सिद्ध करने के लिए अंतिम तिमाही से बेहतर कोई और समय भी हो सकता है भला ? समाप्त होते वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही हेतु शुभकामनाओं सहित

पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता
पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता
एमडी व सीईओ

कार्यपालक निदेशक महोदय का संदेश

प्रिय आइओबियन्स,

एक बार पुनः वाणी के माध्यम से आपसे संवाद करते हुए असीम हर्षानुभूति हो रही है। नई ऊर्जा, स्फूर्ति से लबरेज इस नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ अपनी बात की शुरुआत करना चाहूँगा। बीतते समय के साथ कितना कुछ बदलता चलता है और साथ ही बदलता है विश्वास और परम्पराएँ भी जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती जाती हैं। हमें इस बदलाव में छुपे हुए अवसर को पहचानना होगा और उसका सम्पूर्ण लाभ उठाना होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि जनवरी से शुरू होने वाली तिमाही कई मायनों में हमारे लिए विशेष होती है। एक ओर हमारा स्थापना दिवस है तो वहीं दूसरी ओर सम्पूर्ण भारतवर्ष में फसलों के पकने के उत्सव को भिन्न-भिन्न नामों से मनाया जाता है। इसी समय हमारे देश के अन्नदाता, हमारे किसान नई फसलों को रोपने के काम में भी जुट जाते हैं। हम इस दौरान उनकी आवश्यताओं के अनुरूप केसीसी, कृषि आभूषण ऋण, कृषि संबंधी उपकरणों की खरीद के लिए ऋण आदि के माध्यम से न केवल उनकी मदद कर सकते हैं बल्कि हम अपने प्राथमिक उधार क्षेत्र के पोर्टफोलियो को भी बढ़ा सकते हैं। साथियो, जैसा कि आपको ज्ञात ही है कि अधिकतम कृषि ऋणों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत कवर करते हुए या तो बीमित किया जा सकता है या फिर उनकी ब्याज दरों में रियायत उपलब्ध करवाई जा सकती है। हम इन सुविधाओं को अपने बैंक के अद्वितीय बिक्री प्रस्ताव के रूप में प्रचारित करते हुए न केवल भारत सरकार से मिले लक्ष्यों को भी प्राप्त कर सकते हैं बल्कि हम इनके द्वारा देश के विकास में एक तरह से अपना सहयोग भी प्रदान कर सकते हैं।

आने वाले माह हमारे लिए विशेष हैं क्योंकि एक ओर जहाँ जनवरी से मार्च वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही होगी, वहीं फरवरी में एक ओर जहाँ 10 फरवरी बैंक के स्थापना दिवस के रूप में हमें बैंक के मूलभूत सिद्धांतों से जुडने का अवसर देती है तो वहीं दूसरी ओर 21 फरवरी अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में हमें अपनी मातृभाषा के प्रति आदर व गौरवानुभाव करवाने का अवसर प्रदान करती है ।आप सभी जानते ही हैं कि ग्राहक की भाषा ही व्यापार की भाषा होती है। ऐसे में ग्राहक की भाषा में उस से संवाद हमें ग्राहक से बेहतर संपर्क स्थापित करने का अवसर देगा। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि मेरे वो सभी साथी जो अपने घरों से दूर ग्राहक सेवा में रत हैं, स्थानीय भाषाओं को सीखते हुए न केवल हमारे बैंक के व्यापार को एक नया विस्तार देंगे बल्कि हमारे बैंक के कर्मवाक्य (टैगलाइन) "आपकी प्रगति का सच्चा साथी" को सार्थकता भी प्रदान करेगें। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पंक्तियाँ आप सभी को सौंपते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा:

"ग्राहक हमारे परिसर में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है; वह हम पर निर्भर नहीं है। हम उस पर निर्भर हैं। वह हमारे कार्य में बाधक नहीं है, साधक है। वह तो हमारे कार्य का लक्ष्य है। वह हमारे व्यवसाय के लिए कोई बाहर व्यक्ति नहीं है। वह तो व्यवसाय का ही एक अंश है। उसकी सेवा करके हम उस पर कोई उपकार नहीं कर रहे हैं। उपकार तो वो वह हम पर रहा है, हमें सेवा का मौका देकर।"

- महात्मा गांधी

शुभकामनाओं सहित

अजय कुमार श्रीवास्तव
कार्यपालक निदेशक

महा प्रबंधक महोदय का संदेश

प्रिय साथियो,

ऊर्जा एवं स्फूर्ति से भरपूर जनवरी और फरवरी माह हमेशा ही अपना एक विशेष महत्व रखते हैं। एक ओर 10 जनवरी को विश्व हिन्दी दिवस नव वर्ष के उल्लास में घुल-मिल जाता है तो वहीं दूसरी ओर ठीक एक महीने बाद 10 फरवरी को बैंक का स्थापना दिवस हमें बैंक के मूलभूत सिद्धांतों से जुड़ाव का अवसर भी प्रदान करवाता है। साथियो, जैसा कि आपको पता ही है कि हम मार्च 2020 को समाप्त तिमाही से ही निरंतर लाभार्जन करते आ रहे हैं, जोकि अत्यंत हर्ष का विषय है। इसके लिए हमारे सभी स्टाफ़ सदस्य बधाई के पात्र हैं। लेकिन हमें इतने से ही संतुष्ट नहीं होना है। हमें अपने परिणामों का पुनरावलोकन करना होगा। हमें स्वयं से प्रश्न करना होगा कि जिन अपेक्षाओं के साथ हम चले थे, जिन नतीजों की हमें आशा थी, जिन आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए हमने भगीरथ प्रयत्न किए थे, क्या ये वहीं हैं ? क्या यही प्राप्य है हमारी जीतोड़ मेहनत का ? हमें विचार करना होगा कि आखिर क्या वजह है जिसके चलते हमारे द्वारा अर्जित लाभ आशाजनक स्तर तक नहीं पहुँचा पा रहा है। बैंकिंग में लाभर्जन का सरलतम गणित है कि हम जमाएँ स्वीकार करते हैं और उन जमाओं को ऋण के रूप में अन्य ग्राहकों को देते हैं। दोनों ब्याज दरों का अंतर ही हमारा लाभ है। ऐसे में परिचालनगत लाभ को अतिरिक्त लाभ के रूप में जोड़ा जाना शायद ज्यादा सटीक होगा जिसे हम ग्राहक सेवा में अपनी निष्णातता के आधार पर अर्जित करते हैं।

हमें अपनी ब्याज सृजित आय में वृद्धि करनी होगी और इसके लिए हमें रणनीतिगत तरीके से आगे बढ़ना होगा। हमारी बेहतर ग्राहक सेवा नए संपर्क स्थापित करने व अपने मौजूदा ग्राहकों तक अपनी ऋण सुविधाओं को पहुंचाने में सहायक साबित हो सकती है। हमें अपना ध्यान बड़े कॉर्पोरेट ऋणों के स्थान पर कृषि, ग्रामीण, लघु तथा मझोले उद्यम तथा खुदरा ऋणों की ओर केन्द्रित करना होगा ताकि हम ऋण जोखिम स्तर को नीचे ला सकें। साथियो, हमें दिए जाने वाले ऋणों की गुणवत्ता का सही आकलन करना होगा, व्यापार की संभावनाओं तथा बाजार की दशाओं को ध्यान में रख कर दिए गए ऋणों के असफल होने की संभावना सदैव कम रहती है। जैसा कि आपको ज्ञात ही है कि हम लोग वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में प्रवेश कर चुके हैं, हमें अभी से उन खातों को चिन्हित करना होगा जिनके ग्राहकों से अद्यतित दस्तावेजों को प्राप्त किया जाना है तथा सभी कागजी कार्रवाइयां पूरी करने की शुरुआत करनी होगी ताकि अंतिम समय में हम अपना ध्यान इन गौण विषयों के बजाय अपने मूल ध्येय पर केन्द्रित कर सकें। हमें ये सोच कर निश्चिंत नहीं होना है कि अभी समय शेष है, याद रखिए बड़ी जीत के लिए बड़ी तैयारी करनी पड़ती है जो अंतिम समय में नहीं की जा सकती।

आप सभी को ज्ञात ही है कि हिन्दी हमारी राजभाषा है तथा भारत सरकार तथा अन्य राज्य भी राष्ट्र के विकास तथा समृद्धि के लिए राजभाषा के अधिकाधिक उपयोग पर ज़ोर दे रहे हैं। यह एक ऐसी भाषा है जिसने पूर्व से लेकर पश्चिम तक तथा उत्तर से लेकर दक्षिण तक सभी लोगों को एक सूत्र में बांध कर रखा है। साथ ही मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप अपने दैनंदिन कार्य में राजभाषा का प्रयोग करेंगे तथा मंत्रालय से प्राप्त लक्ष्यों को हासिल करते हुए राजभाषा कार्यान्वयन की दिशा में नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे।

शुभकामनाओं सहित

भुवन चन्द्र शर्मा
महा प्रबन्धक

हमारी भाषाएँ : हमारी विचारधारा

आपकी प्रतिक्रियाओं और आपकी सरहनाओं से लबरेज हम एक बार पुनः आपसे रूबरू हैं। लेखन की सार्थकता इसी में है कि उसे पढ़ा जाए। ऐसे में आपसे प्राप्त सराहना, प्रशंसा व सुझावों से भरे ख़त विश्वास दिलाते हैं कि "वाणी" के प्रकाशन के निमित्त किया गया प्रयास वृथा नहीं होता।

इसमें कोई संदेह नहीं कि परिवर्तन हर देश व समाज की ज़रूरत होती है। परिवर्तन से मुख मोड़ने वाला समाज व राष्ट्र उस पानी की तरह हो जाते हैं, जिसमें काई लग गई हो। हमने स्वयं देखा है कि पिछले कुछ सालों में या यूं कहें कि पिछले एक दशक में हमारे देश ने अभूतपूर्व प्रगति की है, तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। परिवर्तन का जो दौर हम पिछले कुछ दशकों से देखते आ रहे हैं, उसने देश और समाज पर तो अनन्य प्रभाव डाला ही, साथ ही जन मानस में एक नई विचार धारा एवं एक नई सोच को जन्म दिया है। परिवर्तन हर क्षेत्र में हुआ है और हो रहा है। मिसाल के तौर पर बैंकिंग उद्योग को ही ले लीजिए, पिछले एक-डेढ़ दशक में हमने बैंकिंग प्रक्रिया व प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन देखे हैं। परंपरागत बैंकिंग से हट कर डिजिटल बैंकिंग को अपनाया जाना, शाखा परिसर से की जानी वाली बैंकिंग को घर-आँगन से करना, डिजिटल उत्पादों की बाढ़ सी आ जाना ऐसी कुछ बाते हैं जो हमें आंकलन करने पर न केवल अभिभूत कर देती हैं बल्कि आश्चर्यचकित भी। आने वाला समय तो और भी प्रगतिशील एवं गतिमान होगा। आपने सुना होगा कि दुनिया को मुट्ठी में किया जा सकता है, अब यही बात आज की बैंकिंग पर भी लागू होती है जहां हम कह सकते हैं कि अब बैंकिंग हमारी मुट्ठी में है।

इतना सब होने के बावजूद एक बात पर शायद ही किसी का ध्यान गया हो, वह यह कि हिन्दी ने भी बदलते वक़्त के साथ अपना चोला बदला है। इसमें कोई दो राय नहीं कि हिन्दी ने धीरे-धीरे ही सही डिजिटल उत्पादों में, डिजिटल प्रक्रिया में एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी पैठ बना ली है। हर वह चीज़ जो जनता के सम्मुख प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत की जाती है वह केवल और केवल हिन्दी के माध्यम से ही संभव हो पाती है। चाहे कितनी भी मार्केटिंग रणनीतियाँ बना लीजिए, हिन्दी भाषा व क्षेत्रीय भाषाओं के बिना किसी भी सेवा, किसी भी योजना एवं किसी भी उत्पाद का कोई औचित्य नहीं है। हम तभी सफल माने जाएंगे जब हम अपनी भाषाओं का दामन थामे जनता के बीच पहुंचेंगे। जनता के मानस पटल पर अपनी छाप अंकित करने का सबसे उत्तम तरीका है उनकी भाषा में उनके हृदय तक पहुँचना। अंग्रेजी भले ही आपको कुछ क्षणों के लिए ऊंचा दर्ज़ा दे-दे, किन्तु आपके उदेश्य की पूर्ति हमारी अपनी भाषाएँ ही कर पाएँगी। यानि सौ सुनार की, एक लुहार की। आज हमारा देश विश्व भर में अपनी साख बनाए हुए है। इस साख में चार चाँद तभी लगेंगे जब हम अपनी संस्कृति, अपनी विचारधारा, अपनी भाषा एवं अपनी सोच को विश्व के हर जन तक पहुंचाएंगे। आइए, हम अपनी मातृभाषा एवं क्षेत्रीय भाषाओं को समुचित सम्मान दें और न केवल अपनी सेवाओं व योजनाओं में इनका उपयोग करें, बल्कि विश्व के कोने-कोने में इनको फैलाने की जिम्मेदारी लें, विशेष रूप से हिन्दी को, जो विश्व भर में किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हिन्दी भाषा को प्रचारित, प्रसारित करना, उसे प्रगति के पथ पर अग्रसर करना, पनपने और फैलने का अवसर प्रदान करना हम सब का महत्त कर्तव्य है। हम सब के संयुक्त प्रयासों व सेवाओं से ही इस कर्तव्य का निर्वहन संभव है। आइए इस महान कार्य में जुट जाएँ। नए वर्ष में नए प्रण के साथ आगे बढ़ें।

नव वर्ष की शुभकामनाओं सहित,

सुरेश कुलकर्णी
उप महा प्रबन्धक एवं संपादक

सतर्क भारत, समृद्ध भारत

भुवन चन्द्र शर्मा, महा प्रबन्धक, केंद्रीय कार्यालय

भूमिका : सतर्क भारत, समृद्ध भारत का अभिप्राय उस भारत से है जो सावधान और सतर्क है और इसी सतर्कता के रास्ते वह समृद्धि की ओर यात्रा कर रहा है। सतर्कता से समृद्धि की इस यात्रा में हमें अर्थात व्यक्ति, समाज और समग्र रूप से विभिन्न संस्थाओं व सरकार को सतर्क निगाहें रखनी होंगी, विभिन्न पड़ावों को जागरूकता के साथ पार करना होगा। सावधानी और सतर्कता के बिना किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती। समृद्धि को अपनी मुट्ठी में करने के लिए हमें हर क़दम पर हर दिशा में जागरूक होकर काम करना होगा। आज भारत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। चहुँमुखी प्रगति और समृद्धि के लिए आज भारत का युवा कृत- संकल्प है। भारत की समृद्धि का प्रश्न समूचे भारतीयों की समृद्धि से जुडा है।

सतर्कता के विविध आयाम : भारत की समृद्धि के लिए समस्त भारत को सतर्क होना होगा। समूचे देश की समृद्धि के लिए सकारात्मक जनभागीदारी और अपने कार्य-निष्पादन में समग्र और सर्वश्रेष्ठ योगदान देना, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे लोकतांत्रिक चरित्र का विकास करते हुए सामाजिक-आर्थिक-सांस्कृतिक व राजनैतिक गतिरोध को तोड़ने के लिए सायास प्रयत्न करने होंगे। सामाजिक न्याय और साम्प्रदायिक सद्भाव, समतामूलक-अर्थव्यवस्था और समानता आधारित समाज की स्थापना के लिए दलित-पिछड़े-गरीब सवर्ण जैसी तमाम भेदभाव मूलक और निकृष्ट व्यवस्थाओं के खिलाफ विवेकपूर्ण और निर्णायक कदम उठाने के लिए वैयक्तिक स्तर से लेकर सरकारी निर्णयों तक में भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। रोज़गार के नए-नए क्षेत्रों की तलाश, देश के पढ़े-लिखे युवा वर्ग को उचित रोज़गार, मज़दूर और किसान को नियमित काम दिलाना, उसकी मेहनत का उचित मूल्य दिलाने के प्रति सचेत कार्रवाई करते रहना भी ज़रूरी है।

राष्ट्र के निर्माण में प्रमुख महत्व वहाँ के लोगों में मौजूद उत्साह एवं निष्ठा का होता है। लोग जब आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ अपने किसी लक्ष्य की ओर चल निकलते हैं, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए समुचित साधनों, तकनीकों और व्यवस्थाओं आदि का सर्जन करते हैं तो समाज के प्रत्येक घटक को जागृत और सतर्क बनना ही पड़ता है। हमें पूरी सतर्कता के साथ अपनी सांस्कृतिक अस्मिता के स्वरूप को और आज के विश्व में अपनी परिस्थिति को समझना होगा, अपनी विशिष्ट भारतीय दिशा और अपने विशिष्ट भारतीय लक्ष्य का वरण करना होगा और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पुनः राष्ट्रव्यापी आत्मविश्वास एवं दृढ़ संकल्प जागृत करना होगा। आज के भारत में व्यवसाय के हज़ारों विकल्प मौजूद हैं। ज़रूरत है तो केवल सतर्कता और समझदारी से इन उपलब्ध साधनों और संसाधनों से उचित लाभ उठाने की। आज़ादी के बाद आज तक ग़रीबी, भुखमरी, बीमारी, कुपोषण, बेरोज़गारी आदि की विकरालता से देश खुद को मुक्त नहीं कर पाया। उपलब्ध विकल्पों के प्रति जागरुकता की कमी के कारण भी ये समस्याएँ बनी हुई हैं। भारत में जहाँ राजनीति को जनता के हित में काम करना चाहिए था उसमें भ्रष्टाचार पैठ चुका है जिसके चलते खुद सरकार द्वारा बनाई नीतियों का पूरा लाभ समाज को नहीं मिल पाता। इसके लिये आवश्यक है कि मौजूद विकल्पों और नीतियों के प्रति जनता खुद सतर्क रहकर इनसे लाभ उठाए। इसके लिये हम सभी को जन-प्रतिनिधियों के चुनाव में विवेकपूर्ण सतर्कता बरतनी होगी। देश में बुनियादी सुविधाओं, सुसंगत प्रणालियों का योजनाबद्ध विकास करके रोज़गार के अवसर बढ़ाने होंगे, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के लिए केंद्रीकृत प्रयास करके इन उत्पादों की माँग भी उत्पन्न करने के लिए सरकार को कारगर नीति बनानी होगी। कुटीर, लघु, मझोले उद्योगों के साथ ही बड़े उद्यमियों, हर मौसम में दिन-रात परिश्रम करने वाले किसानों व श्रमिकों और ईमानदारी से कर अदा करने वाली आम जनता के लिए सार्थक योजनाएँ कार्यान्वित की जानी होंगी और इसके लिए व्यक्तियों, संगठनों और सरकार के स्तर पर जागरूक प्रयत्न किए जाने होंगे।

सतर्कता के कुछ महत्वपूर्ण पहलू और समृद्धि की यात्रा : भारत की समग्र समृद्धि के लिए समस्त राष्ट्र के प्रत्येक घटक द्वारा अत्यधिक सतर्कता बरतते हुए कुछ सम्मिलित प्रयास किए जाने होंगे :

- गन्दगी को दूर करके स्वच्छता के प्रति सजग होना, न गन्दगी करना न किसी और को करने देना की संकल्पना में जन-जन की भागीदारी सुनिश्चित करना। वातावरण में बदबू फैलना, भूजल प्रदूषण, प्लास्टिक व इलेक्ट्रानिक कचरे से बचना, जैवविविधता पर खतरे, पर्यावरण संरक्षण के प्रति सजगता का विकास और समाज के प्रत्येक व्यक्ति, विशेष रूप से बच्चों को छोटी उम्र से ही इसका बोध करवाने के प्रति सजग प्रयत्न ज़रूरी है। संभवतः समृद्धि के बीज इसी प्रकार के प्रयत्नों में अंकुरित होते हैं।
- देश में कानून-व्यवस्था, प्रशासन को चुस्त-दुरुस्त करना, प्रशासन को पारदर्शी बनाना, व्यवस्था से भ्रष्टाचार को दूर करने, देश का प्रत्येक व्यक्ति, विशेष रूप से महिलाएँ, बच्चे अपने को सुरक्षित महसूस कर सकें, इसके लिए भी दूरगामी उपाय हर स्तर पर करना अंततः राष्ट्र को समृद्धि की ओर ही ले जाएँगे।

- सामाजिक जन-जीवन, धार्मिक सौहार्द्रता, जाति-पंथ-संप्रदाय आदि कुछ ऐसे पहलू हैं जिनमें भारत की आत्मा बसती है। समस्त भारतीय समाज में सहजता का संचार करना, मतभेदों की कडुवाहट को दूर करना।
- अर्थ-व्यवस्था को आज की वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप ढालना और सकल घरेलू उत्पाद में सायास, सार्थक उपाय करना और हमारी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के बाद, अपने अधिशेष उत्पादों को तथा विशेष रूप से नियोजित निर्यातोन्मुख उत्पादों का निर्यात करने की ओर ध्यान देना। परम-आवश्यक वस्तुओं व उपकरणों का ही आयात करने की नीति बनाना ताकि हमारे अर्जन का हिस्सा विदेशों में जाने से बच सके। सेवा क्षेत्र में हमारा युवा वर्ग नए कीर्तिमान स्थापित कर सकता है।
- शिक्षा के क्षेत्र में फैली अराजक स्थितियों से निपटना, शिक्षा को अधिक सहज-सुलभ सर्वग्राह्य बनाना, बालिकाओं की शिक्षा पर कारगर नीति बनाना और उसका कार्यान्वियन सुनिश्चित करना, महिलाओं को स्वावलंबी बनाना, सामाजिक, शैक्षिक व आर्थिक रूप से उन्हें सशक्त बनाना भी समृद्ध भारत के सपने को साकार करने का प्रयत्न ही माना जाएगा।
- बैंकिंग क्षेत्र देश की समग्र उन्नति में सर्वाधिक सहायता करता है। इस क्षेत्र में धोखाधडियाँ, ऋणों रकम को डुबाने के उद्देश्य से जानबूझ कर चूक करने वालों के प्रति कठोर नियम और उनका क्रियान्वयन भी वित्त क्षेत्र को सशक्तता प्रदान करेगा। इस क्षेत्र में, बैंकों, बैंकिंग क्षेत्र के वियामकों और सरकार को अपने अपने क्षेत्र में सतर्क प्रयास करने होंगे।
- राजनीतिक-व्यवस्था में सुधार लाने के लिए हमें अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते समय इस बात पर ध्यान देना होगा कि हम स्वच्छ-राजनैतिक-चरित्र वाले व्यक्ति का चुनाव करें ताकि वह समग्र रूप से भारत की समृद्धि में योगदान कर सके।
- हमारे देश के जांबाज सैनिकों की शूर-वीरता और सतर्कता के चलते हमारी सीमाएं सदा सुरक्षित हैं। हमारी सेनाओं को अत्याधुनिक उपकरणों, मिसाइलों, लड़ाकू जहाजों, विमानों, पनडुब्बियों से सुसज्जित बनाए रखना और हर संभव प्रभावशाली सुरक्षा की स्थितियाँ उपलब्ध करवाना बहुत ज़रूरी है। पिछले कुछ वर्षों में भारत की सामरिक शक्ति कई गुना बढ़ी है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक थल सेना, नौसेना और वायुसेना हर मोर्चे पर हमारी सीमाओं की अनवरत रक्षा कर रही है,तभी तो हम अपने घरों में चैन से सोते हैं, अपना काम भी निश्चिंतता के साथ कर पाते हैं।
- भारत की भौतिक समृद्धि उसकी जलवायु, हरी-भरी उपजाऊ जमीन, जंगल, पहाड़ और यहाँ के खनिजों से है। पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, स्वास्थ्य, समग्र ग्रामीण-विकास, वैज्ञानिक पद्धति से खेती करने की ओर पूरी निष्ठा और सतर्कतापूर्ण तरीक़े से कदम बढाना, कारगर नीतियों के क्रियान्वयन के माध्यम से कृषि जनित प्रगति तथा कृषक के जीवन-स्तर को नई ऊँचाइयों की ओर ले जाना ताकि हमारे अन्नदाता-कृषक को उसकी मेहनत का उचित मुआवज़ा, मूल्य प्राप्त हो सके।
- समस्त भारत के स्वास्थ्य और कल्याण के प्रति सतर्कता भी देश की समृद्धि का महत्वपूर्ण घटक है। चिकित्सा सुविधाओं को जन-जन तक सहजता से, कम क़ीमतों पर पहुँचाना भी प्रकारांतर से देश को समृद्धि की ओर ले जाता है। कोरोना वायरस से जन्मी महामारी के चलते वर्ष 2020 ने विश्व भर को चिंतित कर रखा है। बार-बार हाथ धोने से लेकर साफ-सफाई रखने, स्वास्थ्य को सर्वोपरि मानने, स्वच्छता में रहने की आदत के महत्व से भी हम अवगत हुए। सतर्कता के साथ एहतियात बरतते हुये ही जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है।
- भारत विविधताओं में एकता का जीता-जागता उदाहरण है। देश में सांस्कृतिक-ऐतिहासिक धरोहरों की, प्राकृतिक सुंदरता और देखने लायक प्रतिमानों, इमारतों, धार्मिक आस्था से जुड़ी हज़ारों जगहों की अपार श्रृंखला मौजूद हैं जो हमारे देश में पर्यटन के साथ-साथ सेवा-क्षेत्र उद्योग की अनंत संभावनाओं के द्वार खोलती हैं, समस्त विश्व के पर्यटकों को आकर्षित करती है। इस दिशा में भी हमारे नियोजित और जागरूक प्रयास हमें अंततः समृद्धि की ओर ले जाएँगे।
- सूचना प्रौद्योगिकी, डिजिटलाइज़ेशन की स्थितियाँ जीवन को अधिक आसान बनाती है, इससे देश की विकासशीलता, प्रगति, समृद्धि भी आकार लेती है। आज सूचना प्रौद्योगिकी का कारगर उपयोग नहीं किया जाए तो विश्व भर में मौजूद विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी माहौल में हमारे पिछड़ जाने का खतरा भी है।

उपसंहार : यह कहना बिल्कुल सही है, 'सावधानी हटी, दुर्घटना घटी'। सावधानी, सतर्कता का ही एक आयाम है जो हमारे प्रत्येक क्रियाकलाप में सार्थकता और श्रेष्ठता को समाहित करता है। सतर्क भारत ही ले जाएगा समृद्धि की ओर। सामाजिक समरसता, शिक्षा, रोज़गार, सकल घरेलू उत्पाद में अबाधित उन्नति, पर्यटन व सेवा क्षेत्र उद्योग में विस्तार, निर्यात उन्मुख उत्पादन, सूचना प्रौद्योगिकी, डिजिटलाइज़ेशन, देश और सैनिकों की रक्षा-सुरक्षा की व्यवस्था आदि क्षेत्रों में सतर्कता के साथ, केंद्रीकृत (फ़ोकस्ड) प्रयास, भारत की समृद्धि के रूप में अनायास ही एक बाइप्रॉडक्ट की तरह अवतरित होंगे। भारत की समृद्धि के बीज वस्तुतः हमारे कार्यकलापों के हर क्षेत्र में जागरूक सतर्कता अपनाने से ही सार्थक रूप में अंकुरित होंगे, पुष्पित और पल्लवित होंगे।

विश्व हिन्दी दिवस

हिन्दी को देश तथा विदेश की भूमि पर मान्यता दिलाने के प्रयास स्वतंत्रता पूर्व ही शुरू हो गए थे और इन सब में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा किए गए प्रयास को उनके ही शब्दों के माध्यम से रेखांकित करते हुए हम अपनी बात की शुरुआत करेंगे :

“यदि स्वराज्य अंग्रेजी – पढ़े भारतवासियों का है और केवल उनके लिए है तो संपर्क भाषा केवल अंग्रेजी होगी। यदि वह करोड़ों भूखे लोगों, करोड़ों निरक्षर लोगों, निरक्षर स्त्रियों, सताए हुए अछूतों के लिए है तो संपर्क भाषा केवल हिन्दी हो सकती है... आप और हम चाहते हैं कि करोड़ों आदमी अन्तर्प्रान्तीय संपर्क कायम करें। स्पष्ट है कि अंग्रेज़ी द्वारा कई पीढ़ियों के गुज़र जाने पर भी वे परस्पर संपर्क स्थापित न कर सकेंगे”।

-महात्मा गांधी (सन 1931)

पराधीनता की बेड़ियाँ कटीं तो स्वाधीनता के राज्य में हमने राष्ट्रीय स्तर पर हिन्दी के विकास, प्रचार-प्रसार का खाका खीच लिया। उसके लिए तमाम धाराएँ-उपधाराएँ, नियम-उयपनियम और अनुच्छेद तो गढ़ लिए किन्तु जैसे-जैसे समय बीतता गया वैसे-वैसे भाषा को वैश्विक मानचित्र पर पहचान दिलाने के प्रायास भी आरंभ कर दिए गए और इन सभी विचारों को केंद्र में रखते हुए अन्तर-राष्ट्रीय स्तर पर हिन्दी के प्रति जागरुकता पैदा करने, समय-समय पर हिन्दी की विकास यात्रा का आकलन करने, लेखक व पाठक दोनों के स्तर पर हिन्दी साहित्य के प्रति सरोकारों को और दृढ़ करने, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने तथा हिन्दी के प्रति प्रवासी भारतीयों के भावुकतापूर्ण व महत्त्वपूर्ण रिश्तों को और अधिक गहराई व मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 1975 में विश्व हिन्दी सम्मेलन मनाने की परम्परा का शुभारंभ हुआ। पहला विश्व हिन्दी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा के सहयोग से नागपुर में सम्पन्न हुआ था। विश्व हिन्दी सम्मेलन, हिन्दी भाषा का सबसे बड़ा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, जिसमें विश्व भर से हिन्दी विद्वान, साहित्यकार, पत्रकार, भाषा विज्ञानी, विषय विशेषज्ञ तथा हिन्दी प्रेमी जुटते हैं। इसी सम्मेलन में पारित मंतव्य – 'विश्व हिन्दी पीठ की स्थापना वर्धा में हो' - को कार्य रूप देते हुए 1997 में संसद ने एक अधिनियम पारित किया, जिसके तहत वर्धा में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्व विद्यालय की स्थापन की गई। पिछले 2 दशकों के दौरान आई गतिशीलता से हम सब भली भांति परिचित ही हैं।

मगर इस बीच एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए तात्कालिक सरकार ने दिनांक 10 जनवरी 2006 को आधिकारिक घोषणा की कि प्रति वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिन्दी दिवस के रूप मनाया जाए। तदुपरांत, इस दिन को प्रतिवर्ष विश्व हिन्दी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। इसी संबंध में 1979 में मॉरीशस में आयोजित द्वितीय विश्वहिंदी सम्मेलन में 'विश्व भर की हिन्दी गतिविधियों के समन्वय' के उद्देश्य को पूरा करने के लिए 'मॉरीशस' में एक विश्व हिन्दी केंद्र की स्थापना का मंतव्य भी पारित किया गया था जिसकी परिणति 'विश्व हिन्दी सचिवालय की स्थापना के रूप में हुई। मॉरीशस में स्थित इस वैश्विक संस्थान ने 11 फरवरी 2008 से औपचारिक रूप से अपना काम शुरू कर दिया था। इस कार्यालय का काम विश्व भर की हिन्दी की विपुल जानकारियों को जुटाना है। अनेक सम्मेलनों में दोहराए गए अन्य महत्वपूर्ण मंतव्य को पूरा करने के प्रयास भी जारी है। हिन्दी को 'संयुक्त राष्ट्र संघ' की आधिकारिक भाषा बनाने के मार्ग पर अग्रसर हम निकट भविष्य में अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। राष्ट्र और राष्ट्रभाषा की बढ़ती शक्ति हमें आसानी से वहाँ तक ले जाएगी।

विश्व हिंदी दिवस, भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों, उपक्रमों, निगमों आदि में सरकारी तौर पर मनाया जाता है। हिन्दी भाषा की विकास यात्रा को सहज-सकारात्मक गति देने के लिए सरकारी, ग़ैर-सरकारी और स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा विभिन्न कार्यक्रम संपन्न किए जाते हैं और इस अवसर पर विभिन्न संगोष्ठियाँ, साहित्यिक-सांस्कृतिक कार्यक्रम, चर्चा-गोष्ठियाँ, विभिन्न विषयों पर हिन्दी में व्याख्यान आदि भी आयोजित किए जाते हैं। विश्व हिंदी दिवस को मनाए जाने का मूल उद्देश्य, विश्व भर में हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिये जागरूकता पैदा करना तथा हिन्दी को अन्तर-राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रतिष्ठापित करना है। विश्व हिंदी दिवस मनाने की प्रक्रिया में यह भी संकल्प मुखर रूप से उभरता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिन्दी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्थान दिलाया जाए। विदेशों में भारत के दूतावास इस दिन को विशेष रूप से मनाते हैं। वास्तव में देखा जाए तो विश्व हिन्दी दिवस की शुरुआत, भारतवर्ष के भीतर और विश्व-भर में हिन्दी का विकास करने और इसे प्रचारित-प्रसारित करने के उद्देश्य से की गई थी, साथ ही, देश में और विदेशों में, विश्व हिंदी सम्मेलन भी नियमित रूप से मनाए जा रहे हैं, हिन्दी भाषा के निष्णात विद्वानों, भाषा शास्त्रियों, साहित्य कर्मियों द्वारा इन सम्मेलनों में सार्थक विचार-विमर्श किए जाते हैं, संकल्प लिए जाते हैं। हिन्दी के वैश्विक प्रचार-प्रसार के लिए यह वैश्विक मंच भी अपने स्तर पर कारगर उपाय कर रहा है।

सरकार के नए आर्थिक पैकेज का एमएसएमई पर प्रभाव

ए एल नारायण, वरिष्ठ प्रबन्धक, क्षेत्रीय कार्यालय, पुणे

पिछले कुछ वर्षों से भारत की अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुज़र रही थी और कोरोना महामारी ने इस संकट को और अधिक बुरी तरह से प्रभावित किया है। कोरोना की वजह से देश में लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था को काफी ज्यादा नुकसान हुआ ही है। देश में बेरोजगारी भी 40 वर्षों में सबसे ज्यादा हो गई है। पिछले 40 वर्षों में बेरोजगारी की दर इतनी ज्यादा कभी नहीं रही, उसमें युवा बेरोजगारी का आंकड़ा तो और भी अधिक है। बेरोजगारी की दर में बढ़ोत्तरी तथा ग्रामीण खपत में कमी को आपातकालीन स्थिति के रूप में लिया जाना ज़रूरी है। इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए रु. 20 लाख करोड़ के नए आर्थिक पैकेज की घोषणा की, जो न केवल भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा बल्कि आर्थिक रूप से मजबूती भी प्रदान करेगा यह पैकेज भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 10% है। इस पैकेज का मुख्य उद्देश्य देश की विकास यात्रा को नई गति देना है जिसमें श्रम, कुटीर उद्योग व लघु उद्योग की अहम भूमिका होगी।

वास्तव में कोरोना महामारी के लिए सारी दुनिया चीन को जिम्मेदार मानती है। प्रायः विश्व के सभी देशों के विशेषज्ञों का यही मानना है कि चीन की विस्तारवादी नीतियों के कारण चीन ने सारे विश्व में कोरोना फैलाया है। चीन ने पूरे विश्व में अपने उत्पादों को सस्ते दामों में पहुंचाकर वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी पकड़ काफी मजबूत बना ली है, लेकिन सारे विश्व को महामारी देने की वजह से पश्चिमी देश व अन्य देश चीन को वैश्विक अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने से हटाने पर विचार कर रहे हैं, जिसका एकमात्र विकल्प है भारत। क्योंकि चीन की तरह भारत में श्रम व कच्चा माल कम लागत पर उपलब्ध होता है लेकिन कमी है तो केवल मजबूत इन्फ्रास्ट्रक्चर की।

चीन के साथ हमारा व्यापार घाटा किसी भी देश के मुक़ाबले सबसे ज्यादा है। भारत में इस बढ़ते व्यापार घाटे को लेकर चिंता के दो कारण हैं – एक है घाटे का वास्तविक आकार; और दूसरा है – साल-दर-साल बढ़ता हुआ असंतुलन। सरकारी आकड़ों के अनुसार वर्ष 2013 में चीन के साथ व्यापार घाटा 39 अरब डॉलर था जबकि 2018 में यह बढ़ कर 49 अरब डॉलर हो गया। और तो और कोरोना महामारी की शुरुआत के समय यह घाटा लगभग 58 अरब डॉलर हो गया। इसका सीधा मतलब है कि भारत चीन से ज्यादा सामान खरीदता है लेकिन इसके मुकाबले चीन भारत से उतना सामान नहीं खरीदता है। चीन से खरीदे जाने वाले माल में सबसे ज्यादा खिलौने, प्लास्टिक का सामान, एलेक्ट्रोनिक वस्तुएँ, लोहे व इस्पात का सामान, फर्नीचर, रसायन, खाद तथा विविध प्रकार की धातुएँ आदि शामिल हैं।

आज हमारे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन प्रतिभा है, जिसका हमने अभी तक पूरी तरह से दोहन नहीं किया है। इसका प्रमुख कारण है पूँजी की कमी। कोरोना काल/ लॉक डाउन में भारतीयों ने अपनी आत्मशक्ति तथा प्रतिभा को पहचान लिया है, ऐसे मौके में सरकार का समर्थन तथा उचित इन्फ्रास्ट्रक्चर मिल जाए तो इस दिशा में देश की अर्थव्यवस्था को बहुत आगे तक ले जाया जा सकता है। सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योग आर्थिक विकास के इंजन हैं जो कम पूँजी लागत में ज्यादा लोगों को रोजगार मुहैया करवाते हैं। लेकिन लॉकडाउन ने इन उद्योगों की कमर तोड़ दी है। ऐसे में विकास का इंजन ठप न पड़े इसके लिए सरकार ने विशेष पैकेज की घोषणा की ताकि इन्हें पुनः खड़ा किया जा सके। इस विशेष पैकेज की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं : सरकार ने इन उद्योगों को तीन लाख करोड़ की राशि का ऋण बिना संपार्श्विक प्रतिभूति के देने की घोषणा की है। बिना संपार्श्विक प्रतिभूति के ऋण का अर्थ है कि बैंक उद्यमियों से उनके कारोबार चलाने के लिए अब कोई अतिरिक्त प्रतिभूति की मांग नहीं करेगा तथा ऐसे ऋणों की गारंटी सरकार देगी। ऐसे ऋणों की अवधि चार वर्ष की होगी तथा एक वर्ष तक इन्हें चुकाने की आवश्यकता नहीं होगी। इस नए पैकेज से देश के 10 करोड़ मजदूरों को लाभ होगा तथा एमएसएमई क्षेत्र से जुड़े 11 करोड़ कर्मचारियों को फायदा पहुंचेगा। इन योजनाओं से देश के गरीब नागरिक, श्रमिक, प्रवासी मजदूर, पशु पालक, मछुआरे, किसान, काश्तकार, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग व मध्यम वर्गीय उद्योगों को लाभ पहुंचेगा। इस नवीन पैकेज के अंतर्गत आत्मनिर्भर भारत के महत्वपूर्ण क्षेत्र इस प्रकार होंगे –

- कृषि प्रणाली तथा आपूर्ति चेन प्रणाली
- सरल तथा स्पष्ट नियम कानून
- मूलभूत संरचना में सुधार
- समर्थ तथा संकल्पित मानवाधिकार
- बेहतर वित्तीय सेवाएँ

- नए व्यवसायों को प्रेरित करना
- निवेश को बढ़ाना
- मेक इन इंडिया मिशन

एसएमई क्षेत्र के तहत लगभग 15 करोड़ लोगों को अभी तक ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई जा चुकी है। इसके अलावा 35 लाख इकाइयाँ भी इससे लाभान्वित होंगी। जिन इकाइयों का टर्नओवर 100 करोड़ तक का है, उन्हें 25 करोड़ तक का ऋण प्राप्त होगा। इसके अलावा सरकार ने एमएसएमई उद्योगों के लिए फ़ंड की भी घोषणा की जिसका आकार 10000 करोड़ होगा। इससे उन उद्योगों को फायदा होगा जो अपना उद्योग बढ़ाना चाहते हैं।

इस नए पैकेज में एमएसएमई उद्योगों के लिए बड़ी राहत की बात यह है कि इनके 45 दिन के सभी बकायों का भुगतान सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम करेंगे। सभी सरकारी कंपनियों को इनके उत्पाद खरीदना अनिवार्य किया गया है। सरकारी खरीद के लिए 200 करोड़ रुपये से कम के लिए ग्लोबल ट्रेंडिंग नहीं होगी जिससे घरेलू उद्योगों को टेंडर (निविदा) में भाग लेने का मौका मिलेगा। सभी उद्योगों को प्रदर्शनी में शामिल किया जाएगा।

भारतीय रिजर्व बैंक ने भी देश के लाखों छोटे-मोटे कारोबारियों को राहत दी है कि वे 31 अगस्त तक कर्ज चुकाने के लिए बाध्य नहीं होंगे। एसएमई के लिए मोराटोरियम अवधि को बढ़ा कर छः माह की कर दिया गया है, इस प्रकार नए पैकेज में एसएमई को कई स्तरों पर राहत प्राप्त हुई है।

इस तरह देखा जाए तो यह नया आर्थिक पैकेज भारतीय उद्योग के लिए एक वरदान साबित हो सकता है यदि इसका सही उपयोग मेहनत तथा निष्ठा के साथ किया जाए। इसके सफल कार्यान्वयन से भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा तथा अर्थव्यवस्था को नई गति प्राप्त होगी।

नीरज की पतंगें

बंजारे हैं हम इक दिन चले जाएंगे
पता ना पूछ लेना होगी मुश्किल,
जब हमें ही नहीं पता
तो तुम्हें हम क्या बतलाएंगे ।।

न दौड़ना उन रास्तों पर काफ़िले के पीछे,
तजुर्बा बड़ा है हमारा इस पागलपन का - 2
इस लिए कह दें कि फिर वो कहाँ मिलेंगे
जो ज़िन्दगी के सफर में छूट जाएंगे ।।

गर पतझड़ के बाद आए कोई
जुबां पर लिए अपने दिल की बात,
न ढूंढने लगना उसमें अक्स मेरा,
हम तो बस एक ही हैं फिर कहाँ नज़र आएंगे ।।

बंजारे हैं हम इक दिन चले जाएंगे
बंजारे हैं हम इक दिन चले जाएंगे ।।

नीरज कुमार तिवारी
वरिष्ठ प्रबन्धक
क्षेत्रीय कंप्यूटर केंद्र, राँची

क्या बैंकों का निजीकरण तार्किक कदम है ?

अनुराग सिंह क्षत्रिय, वरिष्ठ प्रबन्धक, एफआरएमसी, केंद्रीय कार्यालय

बैंक हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है और ये हमारे देश के विकास की दिशा और दशा तय करते हैं। बैंकिंग क्षेत्र की स्थिति काफी हद तक देश की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती है क्योंकि बैंकों की आर्थिक स्थिति का भाग्य देश के सरकारी क्षेत्र और कॉर्पोरेट क्षेत्र तय करते हैं।

सन 1969 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गाँधी ने उस समय के 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इंदिरा गाँधी जी के द्वारा लिया गया यह फैसला भारत में बैंकों के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। राष्ट्रीयकरण से पूर्व सभी बैंकों की अपनी-अपनी अलग एवं स्वतंत्र नीतियाँ थी और उनका मुख्य उद्देश्य अधिकाधिक लाभ अर्जन करना था। राष्ट्रीयकरण से पहले भारत में बैंकों का अपना निजी अस्तित्व था , अपना स्वामित्व था और ये ज्यादातर कॉर्पोरेट घरानों द्वारा संचालित होते थे। उस समय बैंक , केवल बड़े शहरों और बड़े लोगों को ही बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करते थे। बैंकों द्वारा ऋण अधिकतर धनी एवं सम्पन्न वर्गों तथा बड़ी परियोजनाओं और व्यवसायों के लिए उपलब्ध होते थे।

बैंकों का राष्ट्रीयकरण सदियों से भारतीय किसानों का खून चूस रही महाजनी व्यवस्था पर एक मारक चोट थी। महाजनी पंजों से देहाती भारत की मुक्ति थी। 1969 में हुए राष्ट्रीयकरण ने गरीबों को सहारा दिया। राष्ट्रीयकरण के बाद स्थिति बदल गई, बैंकों की शाखाएँ गाँव-गाँव में खुली और मध्यम व निम्न वर्ग के लोगों को भी बैंकिंग सुविधाएँ उपलब्ध हुईं। किसानों को जरुरी, छोटे कर्ज लेने का भरोसेमंद और सुरक्षित उपाय मिला।

छोटे तथा मंझले स्तर के किसानों तथा भूमिहीन मजदूरों को आसानी से बैंकिंग सेवाओं और सुविधाओं का लाभ मिला तथा उन्हें महाजनों एवं साहूकारों के चंगुल से मुक्ति मिली और अपने गौरव को पुनर्जीवित करने में सहायता मिली। राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकिंग सुविधा ग्रामीण तबकों के लिए खासकर, किसान जिन्हें आर्थिक मदद की सर्वाधिक आवश्यकता थी, मिलना आरम्भ हो गई, जिसके फलस्वरूप हरित क्रांति को अत्याधिक बल मिला, जिससे कृषि उत्पादन कई गुना बढ़ गया। राष्ट्रीयकरण के कारण गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए सहारा मिला, उन्हें उच्च शिक्षण हेतु सरकारी बैंकों से सरल शर्तों पर शिक्षा ऋण की सुविधा मिली। कुटीर उद्योगों को पनपने का रास्ता मिला। सरकारी बैंक गरीब जरूरतमंदों की आर्थिक सहायता में उदार बने।

निजीकरण की परिभाषा :

आर्थिक सुधारों के संदर्भ में निजीकरण का अर्थ है कि सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योगों में से अधिक से अधिक उद्योगों को निजी क्षेत्रों के लिए खोलना। इसके अंतर्गत वर्तमान सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को पूर्णतया या उसके एक हिस्से को निजी को बेच दिया जाता है। निजीकरण वह प्रक्रिया है , जिसके द्वारा निजी क्षेत्र किसी सरकारी उद्यम का स्वामी बन जाता है अथवा उसका प्रबन्धन करता है।

निजीकरण की वर्तमान स्थिति :

जो सरकारी उपक्रम किसी जमाने में सरकार और देश की शान हुआ करते थे , वही उपक्रम इस नए दौर में बोझ और बेकार लगने लगे हैं। सरकार ने भी उनको निजी हाथों में बेचने की कवायद शुरू कर दी है। इसके दो फायदे हैं एक तो सरकार को पैसा मिलना शुरु हो जाएगा और दूसरा इनकी देखभाल से मुक्ति मिल जाएगी। बड़े – बड़े पूँजीपति जो सरकार के लिए चुनावी चंदे के सबसे बड़े स्रोत हैं , उनके दबाव में अनेक नीतियाँ बदली गईं। इसी सिलसिले में बैंकों को भी निजी हाथों में बेचने की अफवाह जोर पकड़ने लगी है। वर्तमान सरकार निजीकरण की दिशा में निवेश को आकर्षित करने के लिए स्ट्रैटिजिक और नॉन स्ट्रैटिजिक दोनों सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर के लिए खोलना चाहती है। इसमें बैंकिंग भी शामिल है।

सरकारी बैंकों का निजीकरण करने के कारण :-

सरकारी बैंकों के निजीकरण के पीछे निम्नलिखित कारण बताए जा रहे। निम्न कारणों से ही सरकारी बैंकों का निजीकरण अनिवार्य हो गया है :

1. बैंकिंग विश्लेषकों के अनुसार सार्वजनिक बैंकों को वित्तीय वर्ष 2020-21 में नियामकीय शर्त पूरी करने के लिए अर्थात बैंकों के परिचालन के लिए कम से कम 50000 करोड़ रुपए की जरुरत पड़ेगी। सरकार ने अभी तक सार्वजनिक बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए कोई घोषणा नहीं की है। सरकार के पास फंड की कमी है।

2. सरकारी बैंकों का बेहतर प्रदर्शन न कर पाना।

3. सरकारी बैंकों के एनपीए में वृद्धि होना।

4. पिछले कुछ वर्षों में हुए घोटालों से बैंकों को हुए नुकसान से उनके लाभ में गिरावट।

5. कमजोर आर्थिक स्थिति वाले सरकारी बैंकों के निजीकरण से सरकार को राहत मिलेगी क्योंकि उन बैंकों में उसे साल दर साल पूँजी नहीं डालनी पड़ेगी।

6. सन् 2015 से लेकर 2020 तक केंद्र सरकार ने बैड लोन के संकट से घिरे सरकारी बैंकों में 3.2 लाख करोड़ रुपए का पूँजी निवेश किया था। इसके बाद भी इन बैंकों का मार्केट कैपिटलाइजेशन तेजी से कम हुआ। कोरोना काल में यह संकट और गहरा हुआ।

निजीकरण से संबंधित समस्याएँ :

सरकारी बैंकों के अनेक लाभ हैं, इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता है कि निजी बैंकों की अपेक्षा सरकारी बैंकों के अधिक आर्थिक व सामाजिक लाभ हैं और भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में निजीकरण की कई कठिनाइयाँ हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की संकल्पना की गई है, सैद्धांतिक तौर पर इन विचारों का निजीकरण की प्रक्रिया से मतभेद होता है।

- निजीकरण की प्रक्रिया की सबसे बड़ी कठिनाई यूनियन के माध्यम से श्रमिकों की ओर से होने वाला विरोध है। वे बड़े पैमाने पर प्रबन्धन और कार्य संस्कृति में परिवर्तन से भयभीत होते हैं।
- निजीकरण के कारण कई लोगों की नौकरी छूट जाने का / नौकरी चली जाने का संकट उत्पन्न होगा।
- निजीकरण के पश्चात कंपनियों की विशुद्ध परिसंपत्ति का प्रयोग सार्वजनिक कार्यों और जन सामान्य के लिए व देश के हित के लिए नहीं किया जा सकेगा।
- निजीकरण द्वारा बड़े उद्योगों को लाभ पहुँचाने के लिए निगमीकरण प्रोत्साहित हो सकता है जिससे धन संकेंद्रण की संभावना बढ़ जाएगी।
- धन संकेंद्रण और व्यापारिक एकाधिकार की वजह से बाज़ार में स्वस्थ प्रतियोगिता का अभाव हो सकता है।
- कार्यकुशलता औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं का एकमात्र उपाय निजीकरण नहीं है। उसके लिए तो समुचित आर्थिक, वातावरण व कार्य संस्कृति में आमूल चूल परिवर्तन होना आवश्यक है। भारत में निजीकरण को अर्थव्यवस्था की वर्तमान सभी समस्याओं को एकमात्र उपाय नहीं माना जा सकता है।

बैंकों के निजीकरण से होने वाले लाभ :

सरकार व नीति आयोग के अनुसार बैंकों के निजीकरण से

निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे:

1. बैंक अपनी पूँजी स्वयं जुटाएंगे जिससे सरकार पर वित्तीय दबाव में कमी आएगी।
2. अनुशासन में वृद्धि होगी तथा ग्राहकों को समुचित सुविधाएँ आसानी से प्राप्त होंगी।
3. बैंकों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तथा ग्राहक सेवा के स्तर में वृद्धि होगी।
4. कर्मचारियों में लालफीताशाही कम होगी।
5. बैंकों की लाभप्रदता बढ़ेगी जिससे देश के आर्थिक विकास में वृद्धि होगी।
6. कर्मचारियों की कार्यकुशलता में वृद्धि होगी।

बैंकों के निजीकरण से होने वाले नुकसान :

सरकारी बैंकों के निजीकरण से निम्नलिखित नुकसान हैं :-

1. तानाशाही को बढ़ावा मिलेगा।
2. कर्मचारियों में असंतोष बढ़ेगा व वे खुलकर विरोध करेंगे।
3. सरकार के सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकेगी।
4. बैंक केवल कुछ घरानों तक सीमित होकर रह जाएंगे।
5. आम जनता को बेहतर सुविधाएँ प्राप्त नहीं हो सकेंगी।
6. ग्राहकों को सुविधाएँ अधिक कीमत चुकाने पर मिलेंगी।

कुछ लोगों को लगता है कि बैंकों का निजीकरण ही सारी समस्याओं का निराकरण है, जो कि तरह से पूर्णतया गलत है। यहाँ इस बात पर तवज्जोह देना काफी महत्वपूर्ण है कि सरकारी बैंकों की शाखाएँ दूरदराज की ऐसी जगहों पर भी होती हैं जहाँ निजी बैंक पहुँचना पसंद नहीं करते। साथ ही सरकारी बैंक गाँव देहात तक सरकारी मदद या सरकार की योजनाओं का लाभ पहुँचाते हैं। ऐसे में इन बैंकों पर निर्भर रहने वाले गरीबों के लिए, सरकारी बैंकों के निजीकरण के क्या मायने होंगे ? क्या इससे उन्हें मिलने वाली सरकारी सुविधाओं

पर असर नहीं पड़ेगा ? सरकारी बैंकों ने पाँच रुपए की पूँजी रखने वालों का भी खाता खोलना शुरू किया और इस तरह इन बैंकों ने कम ब्याज दर पर छोटे उद्योगों को ऋण देना शुरू किया और सभी वर्ग के लोगों तक पहुँचने की कोशिश की। आर्थिक तौर पर निचले पायदान के लोगों को सरकारी बैंकों ने एक जमाकर्ता के रूप में सम्मान देना शुरू किया जो बैंकों की बड़ी उपलब्धि थी जिसे हम वित्तीय समावेशन के नाम से जानते हैं।

सरकार की सभी सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में सरकारी बैंकों की अहम भूमिका होती है। बिना सरकारी बैंकों के सहयोग से इनकी सफलता असंभव है। चाहे पेंशन बाँटना हो, कृषकों को ऋण देना हो, विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं को लागू करवाना हो या जन- धन खाता खोलना हो, इन सभी कार्यों में सरकारी बैंकों का बहुत बड़ा योगदान होता है। देश के समग्र विकास हेतु केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली सभी योजनाओं में सरकारी बैंकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। सभी योजनाओं में धन की आवश्यकता होती है। बैंक के बिना इन योजनाओं की सफलता की कल्पना ही नहीं की जा सकती है।

आज जो आर्थिक संकट सरकारी बैंक झेल रहे हैं उनके पीछे पिछली व वर्तमान सरकारों का हाथ है। तमाम सरकारों द्वारा अपने कॉर्पोरेट मित्रों को कर्ज बाँटने और उसकी वसूली न करने की नीति भी बड़े पैमाने पर जिम्मेदार है। इसी के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बर्बाद हुए हैं। इस बात पर पुनर्विचार करने की जगह सरकार बैंकों का निजीकरण करने में लगी है। एक तरफ सरकार, किसानों, बुनकरों और छोटे मझौले कर्मचारियों का कर्ज आज भी माफ करने को तैयार नहीं है, वहीं सक्षम कॉर्पोरेट घरानों के लाखों, करोड़ों के कर्ज माफ किए जा रहे हैं। अपने कॉर्पोरेट मित्रों की मदद के लिए तमाम सरकारों ने नियम कानूनों को ताक पर रखकर सार्वजनिक बैंकों के ज़रिए कर्ज़ बाँटा गया और जनता के धन की लूट को अंजाम दिया गया है। सरकार ने जानबूझकर कर्ज न लौटाने वाले इन कॉर्पोरेट घरानों के कर्ज़ों को माफ कर दिया और वसूली नहीं की, जिसने बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुँचाया और देश की अर्थव्यवस्था को खोखला करने का काम किया। सारे दोष का ठीकरा सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सिर पर डाल दिया गया।

जब कोई दुर्घटना हो जाती है, उस वक्त बैंकों के निजीकरण की आवाज उठना शुरू हो जाती है जो कि पूर्णतया गलत है। लेकिन सिर्फ घोटालों की बात नहीं है जब ऐसी बात सामने आती है। इससे पहले जो सबसे बड़ी घटना हुई थी और जिसकी वजह से बैंकों के निजीकरण की बात की गई थी, वह थी बैंकों में बढ़ते हुए एनपीए। कहा यह गया है कि बैंकों के कॉर्पोरेट ऋण में 15 से 20 फीसदी एनपीए हो गया है, जो कि कुल एनपीए का 10 से 15 फीसदी है, जिससे बैंकों की लाभप्रदता में कमी आई है। यह माना जा रहा है कि इससे बैंकों की पूँजी कम हो जाएगी और बैंक अंतर्राष्ट्रीय मानक बेसल पर खरे नहीं उतर पाएंगे। इसका सीधा असर बैंकों के ऋण देने की क्षमता पर पड़ेगा। ये समस्याएँ तो हैं किंतु इसका निदान निजीकरण बिलकुल नहीं है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर श्री रघुराम राजन के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण ही उनकी तमाम समस्याओं की एकमात्र रामबाण दवा नहीं है। बैंकों की समस्याओं को दूर करने के लिए बड़े कर्ज़ के लक्ष्य का बोझ बैंकों पर डालने व बैंकों की शाखाओं द्वारा सरकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने के मामले में कमी लाई जानी चाहिए। संचालन, पारदर्शिता और व्यवस्था में प्रोत्साहन जैसे मुद्दों को बेहतर बनाए जाने की ज़रूरत है। सरकार विभिन्न क्षेत्रों में कर्ज देने के लक्ष्य को तय करती है, जिन्हें पूरा करने के लिए बैंक कर्ज़ लेने वालों की जरूरी जाँच परख भी ठीक से नहीं कर पाते हैं। यह कर्ज बाद में एनपीए का खतरा पैदा करता है।

सरकारी बैंकों को सुधारने की ज़रूरत है। सरकारी बैंकों में कई तरह की समस्याएँ है, उन्हें हटाए जाने की जरूरत है ताकि बैंक बेहतर तरीके से काम कर सकें। सरकारी बैंकों का निजीकरण कर देना कुछ कंपनियों या कुछ बाहरी कारणों से हुए नुकसान से थक कर समस्याओं को और भी बड़ा कर देना है, ऐसा करने पर इसकी जद में आम लोग भी आ जाएँगे। ये बैंकों के सामने आने वाली समस्याओं को खत्म करने का कारगर तरीका कतई नहीं हो सकता।

सरकारी बैंकों की परिचालन व्यवस्था में अभी सुधार की आवश्यकता है। बैंकिंग उद्योग में शीर्ष स्तर पर पेशेवरों की ही नियुक्ति होनी चाहिए। सरकारी बैंकों के बोर्ड में पेशेवर निदेशक होने चाहिए। इन निदेशकों को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए जिससे इनकी जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। व्यवहारिक रूप से बैंकों में शीर्ष प्रबन्धन स्तर पर कोई जवाबदेही प्रणाली मौजूद नहीं है जिसकी वजह से गैर निष्पादित आस्तियों की समस्या और अधिक बढ़ती जा रही है। बढ़ते कर्ज की संख्या देखते हुए सरकार को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (एनसीएलटी) की और शाखाएँ खोलनी चाहिए तथा ट्रिब्युनल की क्षमता बढ़ाई जानी चाहिए। जोखिम प्रबन्धन में आमूलचूल परिवर्तन की ज़रूरत है। देश में एक स्वतंत्र ऋण प्रबन्धन एजेंसी की आवश्यकता है। सरकार को बैंकों के आंतरिक प्रशासन में सुधार तथा विधिक प्रणाली को और अधिक बेहतर बनाने की दिशा में अतिशीघ्र काम करना होगा। सार्वजनिक बैंकों के क्षेत्र में निजीकरण के बजाए अनुशासन के साथ व्यापक सुधारों की जरूरत है।

प्रेरक प्रसंग

बगदाद के व्यापारी अली ख्वाजा (अलिफ़ लैला से साभार)

पुराने जमाने में फारस में खुसरो शाह नाम का शहजादा था। वह रातों को अक्सर भेस बदल कर सिर्फ एक सेवक को अपने साथ रख कर नगर की सैर किया करता था और संसार की विचित्र बातें देख कर अपना ज्ञान बढ़ाया करता था। जब अपने वृद्ध पिता की मृत्यु होने पर वह राजगद्दी का मालिक हुआ तो उसने अपना नाम कैखुसरो रखा। किंतु उसने भेस बदल कर नगर का घूमना तब भी जारी रखा। हाँ, उसके साथ सेवक के बजाय मंत्री होता था।

एक दिन इसी तरह नगर भ्रमण करते हुए वह एक गली में गया। वहाँ एक मकान के अंदर से स्त्रियों की कुछ ऐसी बातचीत सुनाई दी कि वह कान लगा कर उस दरवाजे पर खड़ा हो गया। दरवाजे की दरारों से झाँक कर देखा तो उसे एक दालान में तीन नवयुवतियाँ बातें करती दिखाई दीं। यह तीनों बहनें थीं। बड़ी बहन ने कहा, मुझे अच्छी रोटियाँ खाने का शौक हैं। अगर मेरा विवाह शाही नानबाई से हो तो मजा आ जाए। मँझली बहन बोली, मैं तो तरह-तरह के खानों की शौकीन हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा विवाह बादशाह के बावर्ची से हो। छोटी बहन चुप रही। उसकी बहनों ने बहुत पूछा तो उसने कहा, मेरा काम नौकर-चाकरों से नहीं चलेगा, मैं तो स्वयं बादशाह से शादी करना चाहती हूँ। इतना ही नहीं, मैं चाहती हूँ कि बादशाह से मेरे एक बेटा पैदा हो जिसके एक ओर के बाल सोने के हो, दूसरी ओर के चाँदी के। वह बालक जब रोए तो उसकी आँखों से आँसुओं की जगह मोती गिरे और जब वह हँसे तो उसके होंठों में कलियाँ खिली हुई मालूम हो। उसकी बड़ी बहन यह सुन कर हँसने लगी और बोली कि तू हमेशा पागलों जैसी बात करती है।

बादशाह को इस वार्तालाप से बड़ा कौतूहल हुआ। उसने मंत्री को आज्ञा दी कि इस घर को अच्छी तरह पहचान रखो और कल सुबह इन तीनों बहनों को मेरे सामने हाजिर करो। मंत्री ने दूसरे दिन उसकी आज्ञा का पालन किया और तीनों बहनों को बादशाह के समक्ष ला कर पेश कर दिया। बादशाह ने देखा कि छोटी बहन अपनी अन्य बहनों से कहीं अधिक सुंदर है। वह निगाहों से बुद्धिमान भी लगी। बादशाह उसे देख कर मुग्ध हो गया।

फिर बादशाह ने कहा, तुम लोग कल रात को अपने दालान में बैठी क्या बातें कर रही थीं। ठीक-ठीक वही बताना जो तुमने कहा था। खबरदार, एक शब्द का भी अंतर न पड़े। याद रखो कि तुम्हारी बातें कल रात को मैंने खुद अपने कानों से सुनी हैं। गलत बात कहोगी तो मुझे मालूम हो जाएगा। यह सुन कर तीनों बहनें सिर झुकाए बैठी रहीं, लज्जा और भय के कारण उनकी जबान बंद हो गई। पूछने पर उन्होंने कहा कि हमें कुछ याद नहीं कि हमने क्या कहा था।

बादशाह ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, तुम लोग भूली कुछ भी नहीं हो। निडर हो कर बताओ कि कल रात आपस में क्या बातें कर रही थीं। तुम कोई बुरी बात नहीं कर रही थीं। मैं केवल अपने सामने एक बार फिर तुम्हारी बातें सुनना चाहता हूँ। बादशाह का काम प्रजा की आवश्यकताएँ पूरी करना होता है। मैं भी जहाँ तक हो सकेगा तुम्हारी इच्छाएँ पूरी करूँगा। हाँ, यह ख्याल रहे कि तुम लोग वही कहो जो तुमने कल रात को कहा था। बयान बदला न जाए।

मजबूर हो कर तीनों ने एक-एक करके बताया कि पिछली रात क्या कह रही थीं। बादशाह सुन कर मुस्कुरा उठा। उसने अपने नानबाई और बावर्ची को बुलाया और नानबाई को बड़ी तथा बावर्ची को मँझली का हाथ पकड़ा दिया और कहा कि इन लोगों को बढ़िया रोटियाँ और सालन खिलाते रहना। उसने मंत्री को आदेश दिया कि इसी समय काजी और गवाहों को बुला कर इनका निकाह पढ़वा दिया जाए। छोटी के लिए कहा, जैसी इसकी इच्छा थी, इसके साथ मैं विवाह करूँगा। यह विवाह पूरी शाही शान-शौकत से होगा, उसी तरह जैसे मैं किसी राजकुमारी को ब्याह रहा हूँ। मेरी शादी की इसी समय से तैयारियाँ शुरू कर दी जाएँ। यह कहने के बाद वह उठ कर दरबार को चला गया।

बड़ी और मँझली बहन की शादी उसी दिन क्रमशः नानबाई और बावर्ची के साथ हो गई। छोटी का विवाह पूरी धूमधाम से बादशाह के साथ कुछ दिन बाद हुआ और उसे शाही जनानखाने में पहुँचा दिया गया। दोनों बहनों को छोटी के भाग्य से बड़ी ईर्ष्या हुई। वे सोचतीं और आपस में कहा करतीं कि छोटी को तो एक बात मुँह से निकालने पर ही राजपाट मिल गया और हम लोग उसकी एक तरह से नौकरानियाँ हो गईं। एक दिन बड़ी ने मँझली से कहा, यह छोटी ऐसी कौन-सी हूर परी है कि इसे बादशाह ने ब्याह लिया। मुझे तो इस बात से बड़ा बुरा लग रहा है। मँझली बोली, मुझे भी बड़ा बुरा लग रहा है। आखिर बादशाह ने उसमें क्या देखा कि उसे मलिका बना लिया। कही हुई बातों का क्या है, आदमी हर तरह की बातें करता है। मेरी समझ में तो छोटी नहीं बल्कि तुम बादशाह के योग्य थीं। बड़ी ने कहा, मुझे भी यह देख कर आश्चर्य है कि बादशाह की क्या आँखें फूट गई थीं जो उसने उस चुहिया को पसंद किया, उससे तो तुम हजार दरजे अच्छी थीं।

फिर दोनों ने सलाह की कि इस तरह कुढ़ने और एक-दूसरे को तसल्ली देने से काम नहीं चलेगा। किसी तरह उसे खत्म किया जाए या बादशाह की निगाहों से गिराया जाए तभी मन को शांति मिलेगी। फिर भी उनकी समझ में न आता कि इसके लिए क्या उपाय किया जा सकता है। यद्यपि यह ठीक बात थी कि जब वे दोनों छोटी बहन से मिलने जातीं तो वह

उनकी हैसियत का ख्याल न करती बल्कि बहनों की तरह ही अपनेपन से उनकी अभ्यर्थना किया करती थी। फिर भी उनकी हैसियत उससे नीची थी ही। सभी लोग जानते थे कि वे दोनों नौकरों की स्त्रियाँ हैं और उनकी बहन रानी है। बादशाह भी अपने सेवकों की पत्नियों को क्यों खातिर में लाता।

कुछ महीनों बाद रानी को गर्भ रहा। यह सुन कर बादशाह को बड़ी खुशी हुई। अब उन दोनों ने अपनी छोटी बहन से कहा, हमें इस बात से इतनी प्रसन्नता है कि बयान नहीं कर सकते। हम दोनों की इच्छा है कि तुम्हारी प्रसूति और उसके चालीस दिन बाद तक तुम्हारी देखभाल पूरी तरह हमारे ही सुपुर्द हो। मलिका ने कहा, इससे अच्छा क्या हो सकता है। तुम दोनों मेरी माँ जैसी हो, तुम से बढ़ कर कौन देखभाल करेगा। तुम अपने पतियों के द्वारा यह आवेदन बादशाह के सामने करो। आशा है वे इसे स्वीकार कर लेंगे। उन्होंने अपने-अपने पतियों के द्वारा बादशाह से यह आवेदन किया तो उसने कहा कि मलिका से पूछ कर ही यह अनुमति दूँगा। उसने अपनी मलिका से पूछा तो वह खुशी से तैयार हो गई क्योंकि उसने तो पहले ही बहनों की बात मान ली थी। बादशाह ने कहा, मेरी समझ में भी यही बात ठीक रहेगी। वे कुछ भी हों, हैं तो तुम्हारी बहनें ही। गैर आदमियों से तो अधिक अच्छी तरह तुम्हारी देखभाल करेंगी। इस बातचीत के बाद बादशाह ने दोनों बहनों को प्रसूति के समय मलिका की देखभाल करने की अनुमति दे दी। वे दोनों महल के अंदर रहने लगीं।

अब उन्हें अपनी दुष्टता को कार्यान्वित करने का अवसर मिल गया। जब मलिका की प्रसूति का समय आया तो उन्होंने समस्त दासियों को वहाँ से हटा दिया। मलिका ने एक अत्यंत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इससे उन दोनों की डाह और बढ़ी। उन्होंने चुपचाप उस बच्चे को महल के बाहर पहुँचा दिया और एक मरा हुआ पिल्ला ला कर रख दिया। बच्चे को उन्होंने एक कंबल में लपेट कर एक पिटारी में रखा और एक नहर में बहा दिया और महल में आ कर दासियों को दिखाया कि मलिका ने मरा पिल्ला जना है। सब लोगों को इस पर बड़ा आश्चर्य हुआ किंतु बादशाह को जब यह मालूम हुआ तो उसका क्रोध से बुरा हाल हो गया। वह कहने लगा, ऐसा मरा पिल्ला जननेवाली रानी का मैं क्या करूँगा, मैं उसे मरवा दूँगा। संयोग से मंत्री भी वहाँ मौजूद था। उसने समझा-बुझा कर बादशाह का क्रोध शांत कर दिया।

जिस नहर में ईर्ष्यालु बहनों ने बच्चेवाली टोकरी बहाई थी वह शाही बागों के अंदर से जाती थी। सारे शाही बागों के व्यवस्थापक यानी बागों के दारोगा का स्थान उसी नहर के किनारे था। उसने नहर में टोकरी बहते देखा तो एक माली से कह कर उसे निकलवाया क्योंकि नहर में इधर-उधर की चीजें नहीं आनी चाहिए। देखा तो उसमें एक अत्यंत सुंदर बालक था। दारोगा को देख कर आश्चर्य हुआ कि टोकरी में रखा बच्चा नहर में कैसे आ गया। लेकिन उसने अधिक सोच-विचार नहीं किया। वह निपूता था। बच्चे को उठा कर वह पत्नी के पास ले गया और कहा, भगवान ने यह बच्चा हमें दिया है। उसकी पत्नी भी बड़ी प्रसन्न हुई और बच्चे का पुत्रवत लालन-पालन करने लगी।

दूसरे वर्ष मलिका के फिर एक पुत्र पैदा हुआ। इस बार भी उसकी बहनों ने वैसी ही दुष्टता की। बच्चे को बाहर जा कर नहर में बहा दिया और मलिका के नीचे एक मरा बिल्ली का बच्चा ला कर रख दिया। महल में फिर मातम सा छा गया और बादशाह का क्रोध फिर आसमान छूने लगा और उसने मलिका का वध कराने की बात फिर कही। इस बार भी दयालु मंत्री ने समझा-बुझा कर उसे मलिका को मरवाने से रोका। मलिका पहले से अधिक अपमान की स्थिति में रहने लगी। इधर जिस टोकरी में बच्चा रखा था वह फिर बागों के दरोगा के हाथ लगी। वह इस बच्चे को भी पहले की भाँति पालने लगा।

कुछ दिनों बाद मलिका को फिर गर्भ रहा। बादशाह को आशा थी कि इस बार की संतान ठीक-ठीक होगी। लेकिन दोनों दुष्ट बहनें अब भी वहाँ मौजूद थीं और उनके मुँह खून लग चुका था। इस बार मलिका के बेटी हुई। मलिका की बहनों ने उसे भी नहर में बहा दिया। उस टोकरी को भी बागों के दारोगा ने निकलवा लिया और ईश्वरीय देन समझ कर इसका पालन-पोषण करने लगा। उधर दुष्ट बहनों ने मशहूर किया कि मलिका ने छछुंदर जना है।

इस बार बादशाह अपना क्रोध बिल्कुल नहीं सँभाल पाया। उसने कहा कि ऐसी जीव-जंतु पैदा करनेवाली रानी से बदनामी ही होगी, इसे जरूर मरवा देना होगा। दयालु मंत्री ने उसके पैरों पर गिर कर कहा, पृथ्वीपाल, आप कुछ न्याय-अन्याय का विचार करें। इसमें रानी का क्या अपराध है? आप की बदनामीवाली बात ठीक है। तो इसके लिए यह करें कि मलिका के पास जाना छोड़ दें।

बादशाह ने कहा, तुम इतना कहते हो तो उसे जान से नहीं मरवाऊँगा। लेकिन मैं सजा जरूर दूँगा और सजा भी ऐसी दूँगा जो मृत्युदंड से भी बढ़ कर कष्टकारक हो। और इस सजा के बारे में मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूँगा।

यह कह कर उसने शाही इमारतों के निर्माता को बुला कर कहा, जामा मस्जिद के ठीक सामने एक कैदखाना बनाओ। उसका द्वार खुला रहे और मलिका को एक लकड़ी के पिंजरे में वहाँ बंद कर दिया जाए। वहाँ एक शाही फरमान लगाया जाए कि जो भी नमाज पढ़ने आए मस्जिद में जाने के पहले मलिका के मुँह पर थूक कर जाए। जो आदमी ऐसा न करे उसे भी वही सजा दी जाए जो मलिका को दी जा रही है। मंत्री यह सुन कर चुप हो रहा लेकिन सोचने लगा कि मलिका को जो सजा दी जा रही है उसके

योग्य तो उसकी बहनें हैं। खैर, बादशाह ने जिस तरह कहा था उसी तरह का कैदखाना और पिंजड़ा तैयार किया गया और मलिका को उसमें रखा गया। दिन भर सैकड़ों नगर निवासी मस्जिद में नमाज के लिए जाते और नमाज से पहले मलिका के मुख पर थूका करते। उन्हें इस बात का बड़ा दुख होता कि वे निर्दोष मलिका को दंडित कर रहे हैं लेकिन क्या करते, बादशाही आदेश था और दंड का भय भी। बेचारी मलिका भी ईश्वरीय इच्छा समझ कर सब कुछ सह लेती।

उसके पुत्रों और पुत्री को, जिनके जन्म से भी वह अनभिज्ञ थी, बागों का दारोगा और उसकी पत्नी बड़े प्यार और सावधानी से पाल-पोस रहे थे। तीनों बच्चों को खेलता देख कर उन दोनों को अपार हर्ष होता था। वे कुछ बड़े हुए तो दारोगा ने बड़े लड़के का नाम बहमन, छोटे लड़के का परवेज और लड़की का परीजाद रखा। जब वे लोग कुछ और बड़े हुए तो बागों के दारोगा ने उनकी शिक्षा-दीक्षा के लिए विद्वानों और विभिन्न कलाओं के विशेषज्ञों को नियुक्त किया। तीनों की शिक्षा एक साथ होती और परीजाद भी जो बुद्धि में अपने भाइयों से कम नहीं थी, विभिन्न विषयों में उन्हीं की भाँति पारंगत हो गई। तीनों ने काव्य, इतिहास, गणित आदि सभी प्रचलित विद्याएँ सीखीं।

तीनों की बुद्धि इतनी तीक्ष्ण थी कि उनके अध्यापक कहने लगे कि यह लोग तो कुछ दिनों में हम से भी बढ़ कर विद्वान हो जाएँगे, इन्हें तो कोई बात सीखने में देर ही नहीं लगती।

लिखने-पढ़ने के अलावा तीनों ने घुड़सवारी, धनुर्विद्या, शस्त्र-संचालन आदि की शिक्षा भी ली और जल्द ही इनमें भी प्रवीण हो गए। इसके अलावा परीजाद ने गाना और वाद्य वादन भी सीखा। दारोगा को ख्याल तो पहले भी था कि यह लोग शाही महल के जन्मे होंगे, अब विश्वास भी हो गया। उसे अपना छोटा-सा घर उनके निवास के उपयुक्त न लगा। उसने शहर के बाहर जंगल के समीप उनके लिए विशाल भवन बनवाना शुरू किया।

(क्रमश:)

कविता

भूख कविता नहीं पढ़ती

तुम खींचो फ़ोटो !
या लिखो कविता,
गीत या नव-गीत कोई,
दिखाओ अपना विद्वत्व,
हमारी रोटी, चूल्हे और
भूख के व्याकरण पर,
और इतराओ अपनी विद्वता पर ।

तुम लिखो !
लघुकथा या कहानी कोई,
गांव पर, गरीबी पर,
भूख पर, लाचारी पर,
तंगहाल किसी नारी पर
और दिखाओ करतब अपनी
पैनी नज़र व तेज धारदार कलम के ।

तुम लिखो !
उपन्यास ही कोई
रख कर केंद्र में हमें,
उकेरो चित्र उसमें
लाल बत्ती चौराहों पर
भीख मांगती लड़की के,
फुटपाथ पर फटे वस्त्रों में
दूध पिलाती माँ के,
और लिखवा लेना
अकादमी के पुरस्कार भी अपने नाम ।

फुर्सत मिले
तो आंकलन करना !
हमें लिखने, उकेरने, परोसने के
परिणाम क्या निकले,
परिवर्तन हुए क्या ?
होरी, बुधिया, हमीद और अमीना,
तो जहाँ थे, आज भी वहीं हैं ।

खैर ! आप मनाओ
जश्न नव-सृजन का,
हमें तो जाना होगा,
फिर रोटी की तलाश में,
क्या है न साहेब !
पेट की ये भूख है ना,
आपकी कविता नहीं पढ़ती ।

कश्मीर सिंह
सहायक महाप्रबंधक
अं.ले.प. कार्यालय हैदराबाद

“कौन ठगुवा नगरिया लूटल हो” – काशीनाथ सिंह

कश्मीर सिंह, सहायक महाप्रबंधक, आँचलिक लेखा परीक्षा कार्यालय, हैदराबाद

हिन्दी साहित्य के कालजयी लेखक 'श्री काशीनाथ सिंह' का एक उपन्यास है “काशी का 'अस्सी'”। इस उपन्यास का पहला संस्करण 2002 में प्रकाशित हुआ और 2019 में इसका 15वां संस्करण मेरे हाथ में आया था। पूरा उपन्यास कुल पाँच अध्यायों में समाहित है और इस उपन्यास का सबसे अन्तिम अध्याय है “कौन ठगुवा नगरिया लूटल हो" । यह शीर्षक निस्सन्देह आम पाठक को आकर्षित करता है । मुझे भी आकर्षित किया। इस शीर्षक या इस अध्याय “कौन ठगुवा नगरिया लूटल हो" ने ही नहीं बल्कि 'काशीनाथ सिंह' के इस पूरे उपन्यास ने ही मुझे आकर्षित किया और परिणाम यह कि मुझे इस उपन्यास पर अपनी प्रतिक्रिया लिखने के लिए प्रोत्साहित कर दिया।

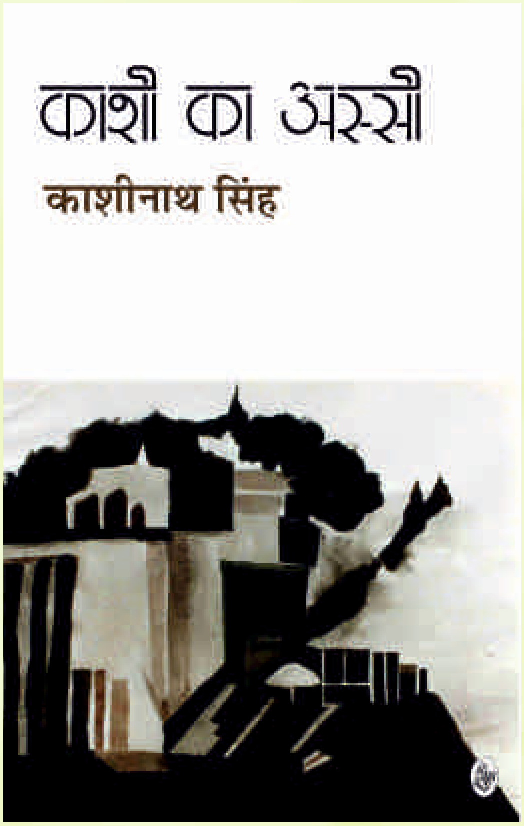

'काशीनाथ सिंह' ने इस उपन्यास “काशी का 'अस्सी'” के आवरण पृष्ठ पर ही लिख दिया था कि “यह संस्मरण वयस्कों के लिए है, बच्चों और बूढ़ों के लिए नहीं; और उनके लिए भी नहीं, जो यह नहीं जानते कि 'अस्सी' और भाषा के बीच ननद-भौजाई और साली-बहनोई का रिश्ता है। वे, जो भाषा में गन्दगी, गाली, अश्लीलता और जाने क्या-क्या देखते हैं और जिन्हें हमारे मुहल्ले के भाषाविद 'परम' (चूतिया का पर्याय) कहते हैं, वे भी कृपया इसे पढ़कर अपना दिल न दुखाएं।” यह कथ्य पढ़ने के बाद तो मुझे लगता था कि पता नहीं इस उपन्यास में ऐसा क्या लिखा है ? पढ़ने से पूर्व ही मन में दोनों ही प्रकार के भाव, संशय भी, और जिज्ञासा भी, उत्पन्न होने लगे थे।

जिन लोगों ने काशीनाथ सिंह को देखा होगा, वे लोग ही इस बात को प्रमाणित कर सकते हैं कि शायद ही उन्होंने बातचीत में काशीनाथ सिंह के मुख से कभी किसी प्रचलित एक भी गाली का कोई शब्द सुना हो। गाँव का किसान अपने बैलों, बेटों, बेटियों और बहुओं के लिए प्यार और प्रसन्नता इसी भाषा में अभिव्यक्त करता है। जिन सफेदपोश शहरी लोगों की जिन्दगी में अश्लीलता और गन्दगी के सिवाय कुछ भी नहीं बचा है उनकी शिष्ट जबान में काशीनाथ सिंह की भाषा एक अश्लील उत्पात है।

“काशी का 'अस्सी”, का पहला संस्करण 2002 में प्रकाशित हुआ और इस संस्करण को 'हंस' के सम्पादक स्व राजेन्द्र यादव को इस उल्लेख के साथ समर्पित किया गया “'हंस' के सम्पादक राजेंद्र यादव के लिए जिन्होंने जाने कितनों-कितनों और कैसों-कैसों के बोल सहे मेरी खातिर।”

इस उपन्यास की कहानी शुरू होती है 'बनारस शहर' से, जी हाँ दुनिया के सबसे पुराने और जीवन्त शहर 'बनारस; और उसमें भी 'अस्सी' घाट' से। जो लोग बनारस को जानते हैं वे लोग 'अस्सी' को भी अवश्य ही जानते होंगे ऐसा मेरा विश्वास है।

मैं 1997-98 के दौरान राजभाषा विभाग में कार्यरत था, और उन्हीं दिनों राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एक राजभाषा सम्मेलन बनारस में आयोजित किया गया । यह मेरा सौभाग्य था कि बैंक ने मुझे इस सम्मेलन में अपने बैंक के प्रतिनिधि के रूप में प्रतिभागिता करने के लिए नामित किया । मैं बनारस गया, सम्मेलन में प्रतिभागिता भी की, पर मैं इसे अपना दुर्भाग्य ही मानता हूँ कि उस यात्रा के दौरान मैं काशी के इस 'अस्सी' का दर्शन लाभ प्राप्त नहीं कर सका। मेरी यह प्रबल इच्छा थी कि 'काशी का 'अस्सी' ' पर कुछ भी लिखने से पहले एक बार "अस्सी' ' के दर्शन कर आऊँ, पर विधि का विधान कि 'होइहि सोई जो राम रचि राखा' और 'अस्सी' के प्रत्यक्ष दर्शन न होने पर भी उपन्यास में वर्णित पात्रों, स्थानों, घटनाओं के माध्यम से हो रहे अप्रत्यक्ष दर्शन से ही यह लेख लिखने की धृष्टता कर रहा हूँ।

बनारस के "अस्सी' घाट' पर सतत घटित होने वाली घटनाओं पर आधारित लिखे गए “काशी का 'अस्सी' ” उपन्यास में कुल पांच अध्याय हैं और सभी पाँचों अध्यायों का केंद्र "अस्सी' ही है।

1. देख तमाशा लकड़ी का
2. संतों घर में झगरा भारी
3. संतों, असंतों और घोंघाबसंतों का 'अस्सी'

नहीं एक बड़ी हिम्मत भी की, जो काशीनाथ सिंह को लेखकों की जमात से बिलकुल अलग स्थान पर ला खड़ी करती है। लेखक ने यदि यह हिम्मत न जुटाई होती तो 'काशी के 'अस्सी' का सच, इसमें प्रयुक्त विशेष भाषा, विधा, बोली, या कहें कि बनारसी हुंकार से मैं स्वयं और मैं ही क्या साहित्य जगत का एक बहुत बड़ा समुदाय अपरिचित रह जाता।

"देख तमाशा लकड़ी का" उपन्यास का पहला अध्याय है। बचपन से ही सुनते आये हैं "जीते लकड़ी मरते लकड़ी देख तमाशा लकड़ी का"। लकड़ी हमारे जीवन का अभिन्न अंग रही है और रहेगी इस सत्य को झुठलाया नहीं जा सकता। 'अस्सी', बोधिवृक्ष और पप्पू की चाय की दुकान इस अध्याय के केंद्र बिंदु हैं तो डॉ गया सिंह, रामजी राय, तन्नी गुरू, प्रो० चौथीराम यादव, हरिद्वार, रामवचन पाण्डेय और डॉ काशीनाथ सिंह स्वयं इस अध्याय के मुख्य पात्र हैं। बनारस के तुलसीघाट, रीवाँ कोठी, मुमुक्ष भवन, मारवाड़ी सेवा संघ, लोलार्क कुण्ड आदि-आदि के साथ बर्फी की दुकान वाले सीताराम जादो, केदार और पप्पू की चाय की दुकानें 'अस्सी' को दोनों ओर से घेरे हुए हैं। जिन लोगों ने बनारस को शहर की संकरी गलियों, सडकों से गुजरते हुए पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर खड़े होकर देखा होगा, और जिन्होंने चना, चबेना गंगाजल, भाँग और धतूरे में छनी पप्पू की चाय से जिन्दगी गुजारते हुए वहाँ सड़क पर लगने वाली संसद में शिरकत की होगी, वे तो उस सुबह और उस बनारसी साँझ के दीवाने होकर रह गए होंगे। डॉ गया सिंह, रामजी राय, तन्नी गुरू, प्रो० चौथीराम यादव, हरिद्वार, रामवचन पाण्डेय और डॉ काशी सिंह आदि-आदि के लिए 'अस्सी' तो उनकी जीवन-जेवड़ी थी। जन्म-जन्मान्तर के इस अटूट बन्धन में ऊब–उमस, पक्ष–विपक्ष और कटुता-समरसता, चाहे थी या नहीं, पर दोनों के होते हुए इस मंडली का दूसरा ठिकाना कोई और था ही नहीं।

बनारस के किसी मुहल्ले, शहर से लेकर, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, देश और विदेश में कहीं कोई भी घटना घटती, तो उसे लेकर 'अस्सी'

4. पांडे कौन कुमति तोहें लागी

5. कौन ठगवा नगरिया लूटल हो

यदि "काशी का 'अस्सी' " में उल्लखित 'अस्सी' अर्थात बनारस के 'अस्सी घाट' की संक्षित प्रस्तावना लिखी जाए तो 'शहर बनारस के दक्षिणी छोर पर गंगा किनारे बसा एक ऐतिहासिक मोहल्ला 'अस्सी' और उसी 'अस्सी' के चौराहे पर भीड़-भाड़ भरी 'पप्पू' की चाय की दुकान और इस दुकान में रात-दिन बहसों में उलझते, लड़ते-झगड़ते, गाली-गलोज करते कुछ स्वनामधन्य अखाड़ीये बैठकबाज़ जिनकी न कभी बहसें ख़त्म होती थी और न ही सुबह-शाम। 'जिन्हें आना हो वे आयें, जिन्हें जाना हो वे जाएँ', इसी दुकान का लाइव शो है "काशी का 'अस्सी'"। जितना चर्चित उतना ही विवादित भी। जितना नाम और उतना ही बदनाम। इन अध्याययों में उल्लखित स्थान, और पात्र सभी असली नाम के साथ प्रयोग हुए हैं। मेरे व्यक्तिगत विचार से इस उपन्यास की 'जान' तो बस इसकी भाषा ही है जो पाठक को खींचती है। खींचती ही नहीं उसको सम्मोहित भी करती है। वरना तो अध्याय, स्थान और पात्र तो सभी किस्से, कहानी, उपन्यास, गाँव, कस्बे, नगर और शहर में मिल ही जाते हैं।"

यह उपन्यास बनारस की आम बोलचाल की भाषा में लिखा गया है या ये कहें कि इस उपन्यास में प्रयुक्त हुई भाषा, बोली, बाणी एवं शब्दावली एक साहित्यकार की नहीं बल्कि उस समय, उस स्थान पर रहने वाले हर उस व्यक्ति की है जो 'अस्सी' का खाता है, 'अस्सी' में हगता है, उसे ही पहनता है, उसे ही धोता है और उसी को जीता है। यह उपन्यास कवियों, लेखकों, विचारकों, नेताओं, चमचों, अध्येताओं, अध्यापकों, प्रोफेसरों, डॉक्टरेट की डिग्रीधारी एक बड़ी जमात, और साहित्यकारों की परिचर्चाओं का समग्र संकलन प्रतीत होता है जो 'अस्सी' के इस अड्डे पर हुआ करती थीं। काशीनाथ सिंह ने इस उपन्यास को साहित्य के विराट पटल पर लाने का एक विलक्षण प्रयास ही

पर बहस होना साहित्यिक एवं राजनैतिक यज्ञ में आहूति देने के समान ही होता था। बहसों के इस यज्ञ से साहित्य और राजनीति ही नहीं घाट पर होने वाले अंतिम संस्कार, पूजा, अर्चना, ज्योतिष, सेक्स, विद्यालयों और विश्वविद्यालय में होने वाले दैनिक कांडों के धुएँ की गन्ध भी बदस्तूर वातावरण को जीवन्त रखने वाली प्राणवायु के समान थी। काशीनाथ सिंह जी के ही शब्दों में देखिये.....

"ऐ दुनिया वालों ! यह संसार कुछ नहीं, सिर्फ लकड़ी का तमाशा है। मित्रों, मुझे यह कहते हुए न लाज है न सरम कि मानव-योनि से बढकर बेकार जनम किसी जीव का नहीं, उसमें भी अगर पढ़-लिख गया तो कौड़ी तीन का समझिये। बुरा हो मेरा कि मुझे लगने लगा कनाट-सर्कस (दिल्ली), चौरंगी (कलकत्ता), चर्च-गेट (बम्बई), वगैरह-वगैरह चौराहे जरुर हैं, जिनके लिए दुनिया सोने की है, चांदी की है, इस्पात की

है, लेकिन अपना भी एक चौराहा है जो दुनिया को लकड़ी का समझता है।"

लकड़ी हमारे जीवन का शाश्वत सत्य है। चाहे वह बालपन का पालना हो, गडीलना, गुल्ली डंडा, पटडी, मास्टर जी की छड़ी, शादी का मण्डप, पीढ़ा, दुल्हन की सेज, और बुढ़ापे का सहारा बनने वाली लाठी ये सब लकड़ी के ही तो हैं।

'संतों घर में झगरा भारी' इस उपन्यास का दूसरा अध्याय है। इस अध्याय का आरम्भ लेखक भारी मन से करते हैं और बताते हैं कि हरिद्वार और रामवचन पांडे दोनों ही 'अस्सी' से चल बसे हैं। चल बसने से उनका अभिप्राय बनारस छोड़ कर लखनऊ, दिल्ली या बिहार में जा बसे हैं, से है। काशीनाथ सिंह प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें ...जो यहाँ अस्सी के चौराहे पर ही भटकती है।

इस अध्याय में राजनीति पर खूब जम कर चर्चा होती है। इस अध्याय में राजनीति की धूरी माने जाने वाले या कहें तो राजनीति में राजनीतिज्ञों द्वारा बहुधा प्रयोग किये जाने वाले चार शब्दों 'आदर्श', 'सिद्धांत', 'भ्रष्टाचार', और 'राजनीति' की जो व्याख्या की गई हैं वह अद्भुत है। काशीनाथ सिंह जी के ही शब्दों में ....

"आदर्श" – 'आदर्श बालपोथी की चीज है। वाद-विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने और पुरस्कार जीतने की। आदर्शों की चिंता यदि कृष्ण ने की होती, तो न दुर्योधन ही मारा जाता और न कर्ण ही।'

"सिद्धान्त" – 'सिद्धान्त सोने का गहना है जो रोज-रोज पहनने की चीज नहीं है। शादी-ब्याह, तीज-त्यौहार में पहन लिया जाता है बस। सिद्धान्त की बात साल में एक-आध बार कर ली, तो कर ली, बाकी अपनी पॉलिटिक्स करो।'

"भ्रष्टाचार" – 'भ्रष्टाचार लोकतंत्र के लिए ऑक्सीजन है। है कोई ऐसा राष्ट्र जहां लोकतंत्र हो और भ्रष्टाचार न हो ? जरा नज़र दौड़ाइए पूरी दुनिया पर, ये छोटी बड़ी पार्टियाँ क्या हैं ? अलग-अलग छोटे-छोटे संस्थान, भ्रष्टाचार के प्रशिक्षण केंद्र।'

"राजनीति" – राजनीति बेरोजगारों के लिए रोज़गार कार्यालय हैं, इम्प्लोय्मेंट ब्यूरो। राजनीति सत्तापक्ष की भी हो सकती है, विपक्ष की भी और उग्रवाद की भी।'

काशीनाथ सिंह अपने लेखन में बेबाकी के लिए सिध्हस्त हैं। इस अध्याय का एक अंश देखिये....

"धक्के देना और धक्के खाना, जलील करना और जलील होना, गालियाँ देना और गालियाँ खाना औघड़ संस्कृति है। गालियाँ इस संस्कृति की राष्ट्रभाषा है जिसमें प्यार और आशीर्वाद का लेन-देन होता है।"

वे राजनीतिज्ञों की जाति पर भी करारा प्रहार करते हुए कहते हैं – "देखो यह जाति का नया चेहरा है। मुलायम सिंह यादव जिसे टिकट दे दें, वह अहिर। कांशीराम जिसे टिकट दें, वह चमार, नीतीश कुमार जिसे टिकट दें, वह कुर्मी हो जाता है, ठाकुर, बाभन, बनिया, लाला, चाहे जो हो ये जातियां तभी तक उनकी पूंछ होती हैं जब तक वे राजनीति के हाथी की पूंछ नहीं थामते।"

वर्ष 1998 में एक नारा आया था 'राजतिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं अटल बिहारी।' इस नारे को दृष्टिगत करते हुए राजतिलक, लोकतंत्र और राजतंत्र पर कटाक्ष करते हुए भी काशीनाथ सिंह ने कहा... "राजतिलक राजतंत्र में होता है, लोकतंत्र में नहीं।" राजतंत्र और लोकतंत्र की दी गई काशीनाथ सिंह यह व्याख्या आप आज के संदर्भ देखेंगे तो पायेंगे, कि उनका यह कथ्य कितना प्रमाणिक है।

'संतों घर में झगरा भारी' एक सार्थक लघुकथा के साथ समाप्त होता है। कथा कुछ इस प्रकार है कि "एक बार पक्षियों की एक सभा हुई और इस विषय पर विचार विमर्श हुआ कि मनुष्यों की तरह उनका भी एक राजा होना चाहिए। सभा ने धीर गम्भीर उल्लू को राजा बनाने का प्रस्ताव रखा गया। सभापति महोदय ने सभी सदस्यों से कहा कि यदि किसी को इस प्रस्ताव पर आपत्ति है तो बतायें। इस पर एक कौए ने आपत्ति दर्ज की और "आज उल्लू और कौआ दोनों दिल्ली में हैं।"

'राजनिति' में रुचि रखने वाले व्यक्तियों और राजनिति के विद्यार्थियों

के लिए 'संतों घर में झगरा भारी' यह बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है उन्हें इस अध्याय को 'राजनीति चालीसा' समझ कर रट ही लेना चाहिए और जो संकट काल में इसकी माला रटेगा उसे मनवांछित फल प्राप्त होना तो निश्चित ही है।

'संतों, असंतों और घोंघाबसंतों का 'अस्सी' - तीसरा अध्याय है। इस अर्थतन्त्र में, शेयर बाजार की गन्दगी बटोर कर जिन्होंने अपने ड्राइंग रूम को सजा रखा है। जिनकी दिनचर्या बीवी के तानों के साथ शुरू होकर टी.वी. पर चल रही बहसों और सास-बहू के झगड़ों को देखने के साथ बीत जाती है। भद्र नागरिकता का लबादा ओढ़े जिन्होंने जीवन का व्याकरण कुलीनता के 'फ्रेम' में मढ़ लिया है। उन संवेदनहीन घोंघा बसन्तों का जिक्र यहाँ न हो, सम्भव नहीं है। यह अंक उन तमाम लोगों को समर्पित है जो लोग जार्ज पंचम से लेकर जार्ज बुश तक के लिए तोरण पताकाएँ और बन्दनवार सजाए रहे, जिन्होंने अमरबेल की हरी-भरी लताओं सा हर आती-जाती बयार का गीत गाया है। इनके पास भाषा का छद्म है और तो कुलीन संस्कारों का ढोंग भी। इन्हीं की प्रतिक्रिया स्वरुप रचा गया है 'काशी का 'अस्सी"। पहली पंक्ति से लेकर आखिरी पंक्ति तक यह उपन्यास इसी मध्यवर्गीय भद्रलोक की ऐसी-तैसी करता हुआ भाषा के कुलीन छद्म को तहस-नहस करता है।

जैसा कि पूर्ववर्ती अध्यायों में इंगित किया गया था कि 'काशी का अस्सी" के कई सारे आयाम हैं जो इस उपन्यास को दूसरों से अलग करते हैं। उन आयामों में काशीनाथ सिंह की भाषा अपने आप में विशेष एवं बहु-चर्चित है। यदि आप इस लेख के शीर्षक को ध्यान से देखेंगे तो वह भी काशीनाथ सिंह की भाषा शैली का एक विशिष्ट उदाहरण है। आइये देखते हैं इस विशेष भाषा की एक बानगी इसी उपन्यास के इस अंश में

"इधर सुनते हैं कि कोई बुढ़ऊ-बुढ़ऊ से हैं कासीनाथ- इनभर्सीटी (यूनिवर्सिटी) के मास्टर जो कहानियाँ-फहानियाँ लिखते हैं और अपने दो-चार बकलोल दोस्तों के साथ मारवाड़ी सेवा संघ के चौतरे पर 'राजेश ब्रदर्स' में बैठे रहते हैं ! अकसर शाम को ! ए भाई ! ऊ तुमको किधर से लेखक-कवी बजाता है जी ? बकरा जैसा दाढ़ी-दाढ़ा बढ़ाने से कोई लेखक-कवी थोड़े नु बनता है ? देखा नहीं था दिनकर को ? अरे, उहै रामधारी सिंघवा ? जब चदरा-ओदरा कन्हियाँ पर तान के खड़ा हो जाता था - छह फुटा ज्वान, तब भह-भह बरता रहता था। आउर ई अख़बार पर लाई-दाना फइलाय के, एक पुड़िया नून और एक पाव मिरचा बटोर के भकोसता रहता है ! कवी-लेखक अइसे होता है को ? सच्ची कहें तो नामवर-धूमिल के बाद 'अस्सी' का साहित्य-फाहित्य तो गया।"

सुना है लोकबंधु राजनारायण जी भी इसी बनारसी शैली के माहिर नेता थे। लालू यादव चाहे जहाँ भी पैदा हुए हों लेकिन उनका जनेऊ 'अस्सी' पर ही हुआ था। विशेष भाषा-शैली और सम्बोधनों में प्रयुक्त उनका गँवई, ह्यूमरस और विट्टी अन्दाज़ और जनता जनार्दन पर उनकी यूँ छा जाने की कला भी बनारसी शैली की ही खूबी बतायी जाती है। जैसे संगीत में घराना चलता है उसी तरह राजनीति का भी घराना है। यह अलग बात है कि 'अस्सी' पर लालू के समर्थक सबसे कम पाये जाते हैं।

हो सकता है जहाँ पप्पू की चाय की दुकान है वहां पर कल कोई मल्टी स्टोरी, शापिंग मॉल बन जाए, सम्भव है बन भी गया हो और मारवाड़ी सेवा संघ किसी पाँच सितारा होटल में तब्दील हो गया हो। बावजूद इनके 'अस्सी' ज़िंदा रहेगा अपनी विशिष्ट भाषा में अपने ऐतिहासिक परिदृश्य में और महादेवमयी गंगा की लहरों में, हर-हर महादेव की गुंजाओं में, उत्सवों के उल्लास से सराबोर मस्ती में, बनारसी फक्कड़पन और जनतन्त्र की मूल आत्मा में।

'अस्सी' का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि यह केवल राजनीति का ही अड्डा नहीं है। 'अस्सी' चिंतनशील रहता है उन मां-बाप के लिए जो अपने बेटों को लायक बनाने के लिए रात-दिन खून-पसीना बहाते हुए अपने सुख-चैन, इत्मीनान और हँसी-ठिठोली सब साहूकार के यहाँ गिरवी रखकर बेटों को लायक बनाने के सपने देखते हैं और बाद में खूनी आँसू रोते हैं, देख कर कि वही बेटे जब इंजीनियर, आई.ए.एस., आई.पी.एस., डॉक्टर और वकील बनकर अपनी लायकी दिखाते हैं। जिलाधिकारी बनकर पूरे के पूरे जनपद की विकास परियोजनाओं, अंधे- अपाहिजों के कल्याण का फण्ड, कोढ़ियों के इलाज का पैसा, साक्षरता प्रसार, बाढ़, अकाल, भूकम्प, महामारी इन सबके नाम पर करोड़ो-अरबों की रकम डकार जाते हैं।

'अस्सी' चिंता करता है नौजवानों की उस सोच की जिसमें रात के अँधेरे में लूटपाट करने वाले चोर-डाकू भी जब किसी मरीज को देखकर कह देते हों – कि निकल जाने दो इसकी हालत तो खराब है- और शहर का डॉक्टर बेटा सफेद कोट की आड़ में उसका पैसा और बीवी के गहने एक-एक कर लूट लेता हो, जब इंजीनियर बेटे की प्रतिभा और लायकियत पी.डब्लू.डी. की सड़कों, आवास विकास की कालोनियों, असमय टूट कर बिखर गए पुलों को देखकर मां-बाप को यह सोचने के लिए मजबूर कर दें कि अगर लायक सन्तानों की यही करतूतें हैं तो बे-औलाद मर ही क्यों न गए।

'अस्सी' परवाह करता है जीवन के उन मूल नैतिक मूल्यों की, संस्कारों की जिन्हें हजारों वर्षों से यत्न पूर्वक सहेजकर धरोहर बनाया गया है – और आज वे शीर्षासन करते दीखते हैं।

'पांड़े कौन कुमति तोहें लागी' इस उपन्यास का चौथा अध्याय है। इस अध्याय को पढ़ते हुए मुझे भारत देश की समग्र छवि के दर्शन होते हैं। धर्म, जाति, जातिवाद, पंडत, बाम्हन, ठाकुर, चमार, मल्लाह, मन्दिर, महादेव, महिषासुरमर्दिनी माँ, पंचांग, किरायेदार, पेइंग गेस्ट, गू, गोबर, कुत्ते, सुअर, नालियां और धर्मान्धता क्या नहीं है ? कहने को तो इसमें कुल मिलाकर गिने-चुने चार ही पात्र हैं। पंडित धरमनाथ शास्त्री, कन्नी गुरु, शास्त्रीजी की पत्नी पड़ाइन सावित्री और एक अंगरेजिन मिस मालदेन। पंडित धरमनाथ शास्त्री, अपने आप में धर्म के एक बड़े ठेकेदार हैं, मज़ाल कोई बाम्हन उनके रहते हुए किसी अंग्रेज या अंगरेजिन को किरायेदार रख ले। कन्नी गुरु की भाषा में पंडित धरमनाथ शास्त्री, "ही इज रीयल रिसी-मुनि । ए ग्रेट पंडित, व्याकरणाचार्य, जोतिषाचार्य, भिषगाचार्य, वेदाचार्य, और पामिस्ट।

अपना उल्लू सीधा करने के लिए कैसे धर्म-निपुण पंडित धरमनाथ शास्त्री अपने स्वार्थ को युक्तिसंगत बना लेते हैं, कैसे पड़ोसी की समृद्धि से कुंठित शास्त्रीजी भी विदेशियों की आवभगत में पाखंड रचते हैं और ऐसा करने के लिए वे कैसे अपने धर्मनिपुण मन को बहला लेते हैं ? यह अध्याय हमें आस्था और पाखंड के सम्यक अर्थ और शाश्वत अंतर के दर्शन करवाता है। यह अध्याय स्पष्ट करता है कि "आस्था" मूत्र तक पीने को प्रेरित कर देती है, लेकिन "पाखंड" दलित के हाथों से स्वच्छ जल भी नहीं पीने देता !

कोई भी मामूली-सी लगने वाली घटना, जिसे हम यूँ ही हो जाने देते हैं, यह सोचकर कि इतने मात्र से क्या फर्क पड़ेगा, और वह देखते-देखते हमारे समूचे वजूद को तहस-नहस कर देती है। पंडित धरमनाथ शास्त्री अपने घर में एक अंग्रेजिन को 'पेइंग गेस्ट' रख लेते हैं और पता भी नहीं चलता कि कब पड़ाइन अपने उसी घर में, जहाँ कभी वह मालकिन बनकर रह रही थी, नौकरानी बन जाती है। ईस्ट इंडिया कम्पनी का इतिहास भारत की प्रथम गुलामी का इतिहास है तो आधुनिक युग में देश की दूसरी गुलामी का आख्यान भी।

उपन्यास का अंतिम अध्याय है "कौन ठगुवा नगरिया लूटल हो" । काशीनाथ सिंह ने 'अस्सी' को एक चरित्र की तरह प्रतिपादित किया और श्रीलाल शुक्ल के 'रागदरबारी' की तरह पठनीय, रोचकता से सम्पन्न कर यह उपन्यास साहित्य जगत के पटल पर रखा एक महत्वपूर्ण उपन्यास 'काशी की अस्सी' लिखा।

इसी अध्याय में काशीनाथ सिंह ने 'शाम के समय' को उन्नति के लिए सबसे खतरनाक समय बताया। इस वाक्य को पढने के बाद मेरे मन में भी कुछ वैसे ही विचार तैरने लगे थे जैसे कि शायद आपके मन भी। शाम का समय, काम से दफ्तरों से लौटते थके-माँदें, झुंझलाए, चिड़चिड़े लोगों की घर वापसी। चाय की दुकानों पर लगी भीड़ और फिर घरों में चें–चें, पों–पों। ये सब तो है ही पर इस समय भी वे सिर्फ और सिर्फ देश की सोचते हैं, समाज की सोचते हैं और आने वाली पीढ़ियों की सोचते हैं। काशीनाथ सिंह क्या सोचते हैं ? ...आप भी पढ़िए....

"यह वही वक्त है जब बच्चे स्कूल से घर लौटते हैं और उनके लौटने का मतलब है - किचकिच। पैं - पौं। सिरदर्द। ...देखो और सोचो तो ये बच्चे

नहीं, भविष्य हैं और इनके लिए एक ही रास्ता है - मल्टीनेशनल। भरो उनके दिमाग में कि यह रही तुम्हारी मंजिल। पहुंचना है वहां। पाना है इसे ? दूसरे पहुँचें या पाएं, उस से पहले। ... इसकी बात ही कुछ और है। आज हांगकांग, परसों न्यूयोर्क, नरसों पेरिस। ... मगर बेटा। यह गुल्ली-डंडा नहीं, जलेबी दौड़ है - तुम्हारे साथ दौड़नेवाले हज़ारों-लाखों में नहीं, करोड़ों में हैं। इसलिए दौड़ो, जान लड़ा दो। कुछ कर के दिखाओ। शाब्बाश !... और 'होमवर्क' के बोझ के नीचे चाँप दो इतना कि कें-कें करने का भी मौका न मिले। ... मेरी बेटियों, जियो और लाखों बरस जियो। अगर पढ़ते-पढ़ते ऊब गयी हो; स्टेनो, प्राइवेट सेक्रेटरी, रिसेप्शनिस्ट, प्रोबेशन अफ़सर नहीं बनना चाहती, डॉक्टर, इंजीनियर, एयर होस्टेस बनना अपने वश में नहीं तो निराश न हो, शहनाज़ हुसैन से संपर्क करो और अपने नगर में - मोहल्ले में ब्यूटी पार्लर खोल लो। या खुद को ज़रा गौर से देखो - बम्बई, दिल्ली, बंगलौर, हैदराबाद में पैदा नहीं हुई तो क्या हुआ? किस ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन या लारा दत्ता से कम हो तुम ? न 'मॉडलिंग' की दुनिया कहीं गयी है, न 'फैशन शो' की कोई कमी है, न 'सीरियलों' का टोटा है, न 'म्यूजिक अलबम' की किल्लत है ।"

अर्थशास्त्र जानने वाले कहते हैं कि गाँव की तरक्की हो गयी है। समाजशास्त्र के विद्वान कहते हैं कि रिश्तों में दरार आ गयी है। गाँव के लोग कहते हैं कि अब वह पहले वाली बात कहाँ रही। बहुत उदास-उदास लगता है। यहाँ रहने का मन नहीं होता। लब्बो-लुबाब यह कि इतनी उदास, मनहूस और कर्ज में डूबी तरक्की। बैंकों की मदद से हमारे गाँव में कितने लोगों ने ट्रैक्टर खरीदे और कितनों के खेत बिक गये। पता नहीं कर्ज चुकता हुआ कि नहीं ? पंचायती राज में लोकतन्त्र को गाँवों तक ले जाने का कार्यक्रम बना तो अपहरण, हत्याएँ और मुकदमेबाजी भी। गाँव के गाँव थानों और कचहरियों में जाकर कानून की धाराएँ रटते नज़र आते हैं।

उपन्यास के ही एक पात्र गया सिंह के एक उग्र वक्तव्य में आज के युवा का नशे की चपेट में आना और बनारस में विदेशियों के आने में सम्बन्ध बताया गया है।

"क्या हो रहा है गलियों में, देखा है कभी ? डॉलर का धन्दा ! दीनबन्धु , डॉलर अमरीका की जीभ है। वह शुरू में ऐसे ही किसी मुल्क को चाटना शुरू करता है जैसे गाय बछड़े को चाटती है - प्यार के साथ ! बाद में जब चमड़ी छिलने लगती है, खाल उधड़ने लगती है, दर्द शुरू हो जाता है, जीभ पर कांटे उभरते दिखाई पड़ने लगते हैं, जबड़े चलने की आवाज सुनाई पड़ती है तब पता चलता है कि यह जीभ गाय की नहीं, किसी और जानवर की है।... कभी जानने की कोशिश की कि क्या हो रहा है यहां ? पता है आपको कि मोहल्ले में कितने मकान खरीदे हैं इन्होंने लोकल आदमियों के नाम से ? ... उन्हें जितनी बार आना-जाना हो - आएं जाएँ, जब तक रहना हो, तब तक रहें, लेकिन हम? है हमारी हैसियत एक भी बार अमेरिका जाने की ? हमारा घर उनका घर है लेकिन उनका घर उन्हीं का घर है, हमारा-तुम्हारा नहीं। ... अभी क्या देख रहे हो ? थोड़े दिन बाद ही ये बोलेंगे - अस्सी जर्जर हो रहा है, ढह रहा है, मर रहा है; हमें दे दो तो नया कर दें - एकदम चमाचम। कल बनारस को चमकाएंगे, परसों दिल्ली को ठीक करेंगे, नरसों पूरे देश को ही गोद ले लेंगे और झुलाएंगे-खेलाएँगे अपनी गोदी में, यह बाद में पता चलेगा कि हम किसकी गोद में हैं - जसोदा मइया की, पूतना की ?"

कुछ पात्र लगभग हर कहानी मैं मौजूद हो कर अपने चरित्र की छाप छोड़ते हैं। इनमे प्रधान हैं - गया सिंह, तन्नी गुरु, रामजी राय और पूरा व्याख्यान प्रत्यक्ष दर्शी की तरह सुनाते स्वयं काशीनाथ सिंह। पाँच की पाँच कहानियाँ अस्सी के इसी मोहल्ले की एक चाय की दूकान को धुरी बना कर उसके इर्द-गिर्द घूमती हैं।

'काशी का अस्सी', में चित्रित घाटों का वाद-व्यवहार और हर छोटी-बड़ी बात पर बहस करने की फुर्सत - यह सब शायद अब घाटों और नुक्कड़ की दुकानों से निकल कर व्हाट्सप्प ग्रुप्स, ट्वीटर और फेसबुक के मायावी जाल में शिफ्ट हो गयी प्रतीत होती हैं। यह उपन्यास भीड़-भाड़ और भागम-भाग के इस युग में हमें ठहराव का सन्देश देता है। काशीनाथ सिंह की ये कहानियां लम्बी हैं और सुस्त भी जिसके कारण आज की पीढ़ी का पाठक, उपन्यास को बीच में छोड़, उसे बुकशेल्फ में वापस रखने को बाध्य हो सकता है। लेकिन धीरज धर कर पढ़ने पर यह उपन्यास दिलचस्प ही नहीं ज्ञानवर्धक भी है।

'काशी का अस्सी', को पढने के बाद कम से कम, एक बार " कौन ठगुवा नगरिया लूटल हो" में चित्रित पात्र तो शायद ही अब वहाँ मिलें, पर अस्सी घाट, गंगा दर्शन, बोधिवृक्ष, उपन्यास में वर्णित विभिन्न स्थानों और दृश्यों को अपनी नज़रों से देखने, अनुभव करने और आत्मसात करने को प्रेरित करता हैं 'काशी का 'अस्सी' और इसकी की ये कहानियाँ।

करतारपुर गलियारे से करतारपुर साहिब गुरुद्वारे तक ...

नेहा रंजन, सहायक प्रबन्धक, केंद्रीय कार्यालय

विश्व में ऐसे कई पवित्र स्थल हैं जो दुनिया के नक्शे पर आस्था और इतिहास दोनों ही लिहाज़ से महत्वपूर्ण हैं। आज हम सिख धर्म के एक ऐसे ही ऐतिहासिक पवित्र स्थल करतारपुर , जो पहले भारत का अंग था और 1947 के बंटवारे के पश्चात पाकिस्तान के हिस्से में चला गया, स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब गुरुद्वारे और उससे संबंधित करतारपुर गलियारे के बारे में बात करेंगें , जो आस्था और इतिहास दोनो ही लिहाज़ से अपनी एक अलग पहचान और अहमियत रखता है। यह पंजाब के अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर और ननकाना साहिब में स्थित गुरुद्वारा जन्म स्थान (जो ननकाना साहिब गुरुद्वारा के नाम से भी मशहूर है) के साथ सिख धर्म के सबसे पवित्र धर्म स्थलों में से एक है । नवंबर 2019 में गुरुनानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के अवसर पर भारत के गुरुदासपुर जिले के डेरा बाबा नानक गुरुद्वारे से पाकिस्तान स्थित करतारपुर साहिब गुरुद्वारे को जोड़ने वाले करतारपुर गलियारे या करतारपुर कॉरिडोर को आम जनता के लिए खोल दिया गया और उसी दिन 550 तीर्थयात्रियों का पहला जत्था करतारपुर साहिब गुरुद्वारा के लिए रवाना हुआ।

क्या है करतारपुर गलियारा ..

करतारपुर कॉरिडोर एक वीज़ा –मुक्त बॉर्डर क्रॉसिंग और सुरक्षित गलियारा है जो पाकिस्तान स्थित सिखों के पवित्र धार्मिक स्थल करतारपुर साहिब गुरुद्वारा को भारत की सीमा से जोड़ता है । यह गलियारा सिख श्रद्धालुओं को भारत – पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से 4.7 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान के करतारपुर जिले में स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब की यात्रा और दर्शन करने की वीजा-मुक्त सुविधा प्रदान करता है।

करतारपुर कॉरिडोर का प्रस्ताव वर्ष 1999 में भारत व पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्रियों क्रमशः श्री अटल बिहारी वाजपेयी और श्री नवाज शरीफ ने दिल्ली – लाहौर बस कूटनीति के दौरान रखा था । 26 नवंबर 2018 को भारत में इस गलियारे के निर्माण हेतु आधारशिला रखी गई और इसके दो दिनों के पश्चात पाकिस्तान में इसकी आधारशिला रखी गई। यह कॉरिडोर नवंबर 2019 में पूरी तरह से बन कर तैयार हुआ। इस कॉरिडोर के निर्माण के पूर्व भारत के सिख तीर्थयात्रियों को करतारपुर जाने के लिए लाहौर के लिए बस लेनी पड़ती थी। इस गलियारे के बन जाने से समय की बचत होने की वज़ह से दरबार साहिब गुरुद्वारा तक पहुँचने का मार्ग सुगम हुआ है।

करतारपुर कॉरिडोर के निर्माण की पृष्ठभूमि

सिख धर्म के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी ने 1504 ई. में रावी नदी के दाहिने तट पर करतारपुर शहर को बसाया था और इसी जगह पर उन्होंने सिख धर्म – संप्रदाय की आधारशिला रखी । 1947 के विभाजन के दौरान इस स्थान को भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित कर दिया गया। इस विभाजन के दौरान रेडक्लिफ रेखा से विभाजित रावी नदी के दो हिस्से हुए - करतारपुर सहित रावी नदी का दाहिने भाग पाकिस्तान के हिस्से आया और गुरुदासपुर जिला सहित रावी नदी का बायाँ भाग भारत के हिस्से आया । 1948 में अकाली दल ने ननकाना साहिब और करतारपुर स्थित गुरुद्वारे की भूमि पर भारत द्वारा अपना आधिपत्य स्थापित करने हेतु प्रस्ताव रखा जिसे तत्कालीन सरकार ने नामंजूर कर दिया और रेडक्लिफ अवार्ड द्वारा विभाजित भूमि में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने से मना कर दिया।

वर्ष 1965 तक भारत – पाकिस्तान के बीच सीमा नियंत्रण सख़्ती से लागू न होने के कारण भारतीय सिख रावी नदी पर बने पुल के रास्ते अनौपचारिक रूप से करतारपुर साहिब जा सकते थे पर 1965 के भारत – पाकिस्तान युद्ध के दौरान पुल के नष्ट हो जाने और सीमा नियंत्रण संबंधी नियमों में सख़्ती होने के कारण यह बंद हो गया।

करतारपुर स्थित गुरुद्वारे के केयरटेकर श्री गोविंद सिंह का कहना है कि “गुरुद्वारे को वर्ष 1947 से 2000 तक बंद रखा गया । गुरुद्वारे में तीर्थयात्रियों के निरंतर रूप से आने के बावजूद यहाँ कोई भी कर्मचारी नियुक्त नहीं था, साथ ही प्रवेश भी प्रतिबंधित था ।” पाकिस्तानी सरकार द्वारा सितंबर 2000 में श्री गुरुनानक देव जी की मृत्यु के वर्षगाँठ के अवसर पर पाकिस्तानी सरकार ने गुरुद्वारे में

मरम्मत का कार्य आरंभ किया और औपचारिक रूप से इसे सितंबर 2004 में खोला गया।

1969 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी ने गुरु नानक देव जी के 500वीं वर्षगाँठ के अवसर पर भूमि की अदला- बदली के संबंध में पाकिस्तान सरकार से वार्ता करने का वादा किया ताकि करतारपुर भारत का हिस्सा बन सके पर इसका कोई नतीज़ा नहीं निकला। हालाँकि वर्ष 1974 में भारत और पाकिस्तान के बीच धार्मिक तीर्थ स्थलों पर आने – जाने के संबंध में एक प्रोटोकॉल पर सहमति बनी, जिसमें वर्ष 2005 में कुछ और धार्मिक स्थलों को जोड़ा गया। करतारपुर साहिब को इस प्रोटोकॉल के तहत दर्शनीय धार्मिक स्थलों की सूची में कभी भी स्थान नहीं मिला। भारत और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्रियों द्वारा वर्ष 1999 की दिल्ली-लाहौर कूटनीति बैठक के दौरान पहली बार करतारपुर बॉर्डर क्रॉसिंग को खोलने पर चर्चा की गई, जिसके बाद ही पाकिस्तान सरकार ने करतारपुर साहिब गुरुद्वारा की मरम्मत का कार्य आरंभ किया। 2004 में भारत – पाकिस्तान के मध्य शुरू हुई "समग्र वार्ता प्रक्रिया " में अमृतसर – लाहौर – करतारपुर लिंक रोड के रास्ते करतारपुर तक पहुँचने के संबंध में चर्चा की गई।

वर्ष 2008 में भारतीय विदेश मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी ने अपने पाकिस्तानी समकक्ष श्री शाह महमूद कुरैशी के साथ वार्ता के दौरान करतारपुर साहिब के लिए "वीज़ा – मुक्त यात्रा" के संबंध में चर्चा की, जिसपर पाकिस्तान की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई लेकिन अनौपचारिक रूप से पाकिस्तान ने भी सिख समुदाय के लिए अपने खुलेपन को व्यक्त करना शुरु कर दिया। लेकिन दोनो देशों के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनज़र भारत के पास इस संबंध में ना तो कोई स्पष्ट सूचना थी और ना ही कोई स्पष्ट निर्णय। इसी बीच 20 जून

रोशनी में झिलमिलाता करतारपुर साहिब गुरुद्वारा

2008 को डेरा बाबा नानक में एक प्रेस कॉन्फरेंस के दौरान श्री जॉन डब्ल्यू. मैकडोनॉल्ड, पूर्व अमेरिकी राजदूत और इंस्टीट्यूट फॉर मल्टी – ट्रैक डिप्लोमेसी के संस्थापक, ने "सीमा के दोनो किनारों पर स्थित तीर्थस्थलों को जोड़ने वाले 'एक शाँति गलियारा, एक शाँति क्षेत्र' का आह्वाहन किया था।"

28 जून 2008 को तत्कालीन विदेश मंत्री ने कहा था कि भारत सरकार शाँति गलियारे के लिए व्यवहार्यता अध्ययन करेगी लेकिन 2008 के मुंबई हमले के पश्चात इस पहल पर कार्य रुक गया। इसी बीच वाशिंगटन डीसी में सिख समुदाय के सदस्यों ने इंस्टीट्यूट फॉर मल्टी – ट्रैक डिप्लोमेसी के साथ मिलकर एक स्वतंत्र व्यवहार्यता अध्ययन किया और अगस्त 2010 में "करतारपुर मार्ग" के नाम से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के अनुसार, इस गलियारे के निर्माण की कुल लागत अनुमानतः 17 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी और पाकिस्तान व भारत सरकार पर क्रमशः अनुमानतः 14.8 मिलियन डॉलर और 2.2 मिलियन डॉलर का खर्च पड़ने वाला था। नवंबर 2010 में पंजाब राज्य विधान सभा ने सर्वसम्मति से दोनों साइटों के बीच एक अंतरराष्ट्रीय गलियारे के पक्ष में एक प्रस्ताव पारित किया और 01 अक्टूबर 2010 को इसे केंद्र सरकार को भेज दिया। अगस्त 2018 में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गलियारे से संबंधित एक अन्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सर्व सम्मति से पारित हुआ। इसके बाद पंजाब की राज्य सरकार ने भारत सरकार के सामने गलियारे के उद्घाटन का प्रस्ताव रखा, साथ ही 30 अक्टूबर 2018 को अमेरिका स्थित सिख समुदाय के एक समूह ने भी इस गलियारे को खोले जाने के संबंध में भारत सरकार से मदद माँगी। नवंबर 2018 में भारतीय मंत्रिमंडल ने करतारपुर गलियारा स्थापित करने की योजना को मंजूरी प्रदान की और साथ ही पाकिस्तान से भी इस संबंध में अपनी मंजूरी प्रदान करने की अपील की। इस अपील पर पाकिस्तान से सकरात्मक उत्तर प्राप्त हुआ और वहाँ सरकार की ओर से ट्वीट करके जानकारी दी गई कि " पाकिस्तान ने भारत को पहले ही बता दिया है कि वह यह गलियारा खोलेगा"

अगस्त 2019 में दोनो ही देश भारतीय तीर्थयात्रियों के वीज़ा मुक्त यात्रा के विषय पर सहमत हुए और 24 अक्तूबर 2019 को दोनो देशों ने करतारपुर गलियारे से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए गए जिसने करतारपुर साहिब गुरुद्वारा तक प्रतिदिन 5000 भारतीय तीर्थयात्रियों की वीज़ा- मुक्त यात्रा का मार्ग प्रशस्त किया। समझौते के अनुसार, सभी तीर्थयात्रियों को दरबार साहिब के दर्शन कर उसी दिन वापस लौटना होगा। प्रत्येक आंगतुक / तीर्थयात्री को सेवा शुल्क के रूप में 20 अमेरिकी डॉलर का भुगतान, जो कि पाकिस्तान के विदेश विभाग के अनुसार वर्तमान परिचालनगत लागत का एक-

तिहाई हिस्सा होगा। हालाँकि भारत द्वारा इस शुल्क को माफ करने का आग्रह किया था जिसके जवाब में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने 01 नवंबर 2019 को ट्वीट करके घोषणा की कि "करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन के दिन और गुरु नानक देवजी 550वी जयंती के अवसर पर यानि 12 नवंबर 2019 को करतारपुर साहिब गुरुद्वारे के दर्शन हेतु आने वाले सिख तीर्थयात्रियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। "

करतारपुर साहिब गुरुद्वारा का महत्व

करतारपुर साहिब गुरुद्वारा के नाम से मशहूर गुरुद्वारा दरबार साहिब सिख समुदाय का एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है जहाँ सिख धर्म के संस्थापक गुरुनानक देव जी ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष गुजारे थे। यह भारत – पाकिस्तान सीमा से तीन किलोमीटर दूर पाकिस्तान के नारेवाल जिले के करतारपुर में स्थित है। इतिहास के अनुसार वर्ष 1522 में गुरुनानक देव जी यहाँ पधारे थे और उन्होंने अपनी जिन्दगी के आखिरी 17-18 वर्ष इस स्थान पर गुजारे थे। 22 सितंबर 1539 में उनके देहावसान के बाद इस स्थान पर गुरुद्वारा दरबार साहिब का निर्माण किया गया। गुरु नानक देव ने इसी स्थान पर तीन महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए थे – कृत करो (Kirat Karo), नाम जपो (Naam Japo) और बाँट चखो (Vand Chako) जिनका अर्थ है जीविका के लिए कड़ी मेहनत करें, भगवान का नाम स्मरण करें और अपना जीवन सबके/ समुदाय के विकास व उन्नति के लिए समर्पित करें।लाहौर स्थित कला इतिहासकार फकिर सैय्यद एज़ाजुद्दीन के अनुसार "इस गुरुद्वारे में मूल गुरु ग्रंथ साहिब की आखिरी प्रतियाँ रखी हैं।" एक सिख तीर्थयात्री के अनुसार "इस स्थान पर रखा हर एक कदम हमें गुरु के जीवन की याद दिलाता है।"

एक प्रचलित किंवदंती के अनुसार, जब गुरुनानक ने अपनी आखिरी सांस ली तो उनका पार्थिव शरीर फूलों में तबदील हो गया और उन फूलों को सिख, जो उन्हें अपना गुरु मानते थे और मुसलमान, जिन्होंने गुरु नानक देव जी को "पीर" का दर्ज़ा दिया था, समुदायों के बीच समान रूप से बाँट दिया गया।

करतारपुर साहिब गुरुद्वारा का निर्माण एवं रख रखाव

रावी नदी के तट के किनारे करतारपुर नामक शहर में स्थित यह गुरुद्वारा दुनिया भर में मौजूद लगभग 30 मिलियन सिखों के लिए पवित्र स्थानों में से एक है। इस गुरुद्वारे के मुख्य भवन का निर्माण वर्ष 1925 में पटियाला के महाराज सरदार भूपिन्दर सिंह द्वारा दान में दिए गए रु. 1,35,600 की धनराशि से किया गया। ऐसी मान्यता है कि इस प्रांगण में मौजूद पवित्र कुँआ 500 वर्ष पुराना है और उसका निर्माण गुरु नानक देव जी के जीवनकाल में हुआ था। पाकिस्तान सरकार ने वर्ष 1995 में इस गुरुद्वारे की मरम्मत का कार्य प्रारंभ किया जिसे वर्ष 2004 तक पूरा कर लिया गया। मई 2017 में अमेरिका स्थित एनजीओ "इकोसिख" ने इस तीर्थस्थल के समीप "पवित्र जंगल", जिसका क्षेत्रफल करीब 100 एकड़ होगा, को स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। नए प्रांगण, संग्रहालय, शयनगृह व लॉकर कक्ष के निर्माण के साथ ही नवंबर 2018 में इसका पुनः विस्तार किया गया, जो कि करीब 42 एकड़ या 17 हेक्टेयर में फैला हुआ है। सितंबर 2018 में पाकिस्तान सरकार ने भारत के गुरुदासपुर जिले के डेरा बाबा नानक से भारत – पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा से गुजरते हुए करतारपुर साहिब गुरुद्वारे तक आने के लिए निर्मित "करतारपुर कॉरिडोर या करतारपुर गलियारे" के रास्ते प्रतिदिन 5000 भारतीय सिखों के वीज़ा मुक्त प्रवेश की मंजूरी प्रदान की और इस गलियारे को गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के अवसर पर खोला गया। इस कॉरिडोर को "शाँति का गलियारा" भी कहा गया है।

करतारपुर कॉरिडोर में निर्मित किया जाने वाला पैसेंजर टर्मिनल

करतारपुर कॉरिडोर कॉम्पलेक्स का डिजाइन

कॉम्पलेक्स में एक अंतरराष्ट्रीय मानक होटल, कई अपार्टमेंट, दो कॉमर्शियल क्षेत्र और दो कार पार्किंग क्षेत्र सहित एक पॉवर ग्रिड स्टेशन, पर्यटक सूचना केंद्र, इत्यादि होंगें। मुख्य गुरुद्वारा परिसर और आस पास के क्षेत्रों को स्थापित व निर्मित करने के लिए पाकिस्तान सरकार ने 400 एकड़ की भूमि अधिग्रहित की है। मूल रूप से मुख्य गुरुद्वारा परिसर 4 एकड़ में फैला हुआ था जिसे 42 एकड़ क्षेत्र में 10 गुना विस्तारित किया गया है। गुरुद्वारा परिसर का मास्टर प्लान भारत सहित अन्य देशों के आंगतुकों के लिए भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।

करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण व उद्घाटन

नवंबर 2018 में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री इमरान खान और भारतीय उप राष्ट्रपति श्री वेंकय्या नायुडु द्वारा सीमा के

दोनो किनारों पर गलियारे की नींव रखी गई। पाकिस्तान के फ्रंटियर वर्क्स संगठन ने रावी नदी पर निर्मित 800 मीटर लंबे पुल सहित पाकिस्तान की तरफ 4.7 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेस वे का निर्माण किया। करतारपुर कॉरिडोर परियोजना के निर्माण का पहला चरण नवंबर 2019 के आरंभ में पूरा कर लिया गया था। इस कॉरिडोर से संबंधित भारतीय हिस्से का निर्माण लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और सीगल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया। डेरा बाबा नानक में एक एकीकृत चेक पोस्ट, 3.5 किलोमीटर लंबी फोर-लेन हाइवे और 100 मीटर लंबे पुल का भी निर्माण किया गया। पाकिस्तान ने एक आप्रवासन कार्यालय स्थापित करने के साथ-साथ गुरुद्वारा दरबार साहिब के परिसर का विस्तार भी किया है ताकि आने वाले तीर्थयात्रियों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

09 नवंबर 2019 को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री इमरान खान ने गुरुद्वारा दरबार साहिब परिसर, करतारपुर में आयोजित एक समारोह में करतारपुर गलियारे का उद्घाटन किया जिस अवसर पर लगभग 12000 तीर्थयात्री मौजूद थे। इस अवसर पर श्री इमरान खान ने कहा "पाकिस्तान का मानना है कि क्षेत्र की समृद्धि और हमारी आने वाली पीढ़ी का उज्ज्वल भविष्य शांति में है। आज (यानि 09 नवंबर 2019 को) पाकिस्तान न केवल सीमा को खोल रहा है बल्कि सिख समुदाय के लिए अपना दिल भी खोल रहा है।"

श्री गुरुनानक देव जी के 550वीं जयंती के जश्न के साथ- साथ करतारपुर कॉरिडोर का जश्न मनाते हुए भारत के पंजाब प्रांत में डेरा बाबा नानक को गुरुद्वारा करतारपुर साहिब से जोड़ने वाले इस गलियारे को 09 नवंबर 2019 को खोला गया जिसमें 550 से अधिक तीर्थयात्रियों को पहले जत्थे में यात्रा करने की सुविधा प्राप्त हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस गलियारे के उद्घाटन भाषण में करतारपुर गलियारे को खोले जाने के फैसले की तुलना बर्लिन की दीवार गिराए जाने की ऐतिहासिक घटना से करते हुए कहा कि यह दोनो देशों के बीच तनाव कम करने की कड़ी के रूप में कार्य करेगा।

लाहौर स्थित इतिहासकार फकीर एस. एज़ाजुद्दीन ने इसे भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा-पार संबंधों में एक "अद्वितीय प्रयोग" के रूप में उल्लिखित किया है। उन्होंने यह दावा किया कि गुरुनानक देव द्वारा दिया गया सर्वभौमिकता का सिद्धांत सभी धर्मों के लोगों को साथ ला सकता है।

करतारपुर गलियारे को गुरुनानक देव जी की विरासत परियोजना के रूप में वर्णित किया गया है, जहाँ उनके जीवन जीने के तरीके को दर्शाया गया है।

गेंहू के दाने

एक समय की बात है जब श्रावस्ती नगर के एक छोटे से गाँव में अमरसेन नामक व्यक्ति रहता था। अमरसेन बड़ा होशियार था, उसके चार पुत्र थे जिनके विवाह हो चुके थे और सब अपना जीवन जैसे-तैसे निर्वाह कर रहे थे परन्तु समय के साथ-साथ अब अमरसेन वृद्ध हो चला था! पत्नी के स्वर्गवास के बाद उसने सोचा कि अब तक के संग्रहित धन और बची हुई संपत्ति का उत्तराधिकारी किसे बनाया जाये ? ये निर्णय लेने के लिए उसने चारो बेटों को उनकी पत्नियों के साथ बुलाया और एक-एक करके गेहूं के पाँच दानें दिए और कहा कि मै तीर्थ पर जा रहा हूँ और चार साल बाद लौटूंगा और जो भी इन दानों की सही हिफाजत करके मुझे लौटाएगा तिजोरी की चाबियाँ और मेरी सारी संपत्ती उसे ही मिलेगी, इतना कहकर अमरसेन वहां से चला गया।

पहले बहु-बेटे ने सोचा बुड्ढा सठिया गया है चार साल तक कौन याद रखता है हम तो बड़े हैं तो धन पर पहला हक़ हमारा ही है। ऐसा सोचकर उन्होंने गेहूं के दानें फेक दिये।

दूसरे ने सोचा की संभालना तो मुश्किल है यदि हम इन्हे खा लें तो शायद उनको अच्छा लगे और लौटने के बाद हमें आशीर्वाद देदे और कहे की तुम्हारा मंगल इसी में छुपा था और सारी संपत्ती हमारी हो जाएगी यह सोचकर उन्होंने वो पाँच दानें खा लिये।

तीसरे ने सोचा हम रोज पूजा पाठ तो करते ही हैं और अपने मंदिर में जैसे ठाकुरजी को सँभालते हैं, वैसे ही ये गेहूं भी संभाल लेंगे और उनके आने के बाद लौटा देंगे।

चौथे बहु- बेटे ने समझदारी से सोचा और पाचों दानो को एक- एक कर जमीन में बो दिया और देखते-देखते वे पौधे बड़े हो गये और कुछ गेहूं ऊग आये फिर उन्होंने उन्हें भी बो दिया इस तरह हर वर्ष गेहूं की बढ़ोतरी होती गई पाँच दानें पाँच बोरी, पच्चीस बोरी,और पचासों बोरियों में बदल गए।

चार साल बाद जब अमरसेन वापस आया तो सबकी कहानी सुनी और जब वो चौथे बहु-बेटों के पास गया तो बेटा बोला, " पिताजी , आपने जो पांच दाने दिए थे अब वे गेंहूँ की पचास बोरियों में बदल चुके हैं, हमने उन्हें संभल कर गोदाम में रख दिया है, उनपर आप ही का हक़ है।" यह देख अमरसेन ने फ़ौरन तिजोरी की चाबियाँ सबसे छोटे बहु-बेटे को सौंप दी और कहा, तुम ही लोग मेरी संपत्ति के असल हक़दार हो।

इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि मिली हुई जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाना चाहिए और मौजूद संसाधनों, चाहे वो कितने कम ही क्यों न हों, का सही उपयोग करना चाहिए। गेंहूँ के पांच दाने एक प्रतीक हैं, जो समझाते हैं कि कैसे छोटी से छोटी शुरुआत करके उसे एक बड़ा रूप दिया जा सकता है।

ज्ञान के मोती

- आप सफलता तब तक नहीं प्राप्त कर सकते जब तक आप में असफल होने का साहस न हो ।
- किसी भी इंसान की इच्छाशक्ति और दृढ़संकल्प उसे भिखारी से राजा बना सकती है ।
- लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वो यह कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें ।
- जिंदगी की लम्बाई नहीं बल्कि गहराई मायने रखती है ।
- विश्वास के दम पर खड़े सपने असंभव जैसे शब्दों को नहीं पहचानते ।
- अगर ज़िन्दगी में कामयाब होना चाहते हो ... तो बोलने से ज़्यादा सुनने की आदत डालो ।
- जीवन का उद्देश्य यह है कि उद्देश्य भरा जीवन हो ।
- हुनर तो सब में होता है फर्क बस इतना होता है कि किसी का छिप जाता है तो किसी का छप जाता है ।
- यदि ज़िन्दगी में शांति चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल पर लेना छोड़ दो ।
- यह बात बिलकुल सच है कि आप बहुत सारी चीज़ों में परफेक्ट नहीं हैं , लेकिन यह बात बिलकुल सच नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें आपके बिना परफेक्ट नहीं हैं।
- व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है , वह जो सोचता है वही बन जाता है ।
- उत्साह , प्रयास की जननी है और इसके बिना आज तक कोई महान उपलब्धि हासिल नहीं की गई ।
- ज़िन्दगी आसान नहीं होती , इसे आसान बनाना पड़ता है... कुछ 'अंदाज' से , कुछ 'नज़र अंदाज' से ।
- जहाँ कोई सादगी, अच्छाई और सच्चाई नहीं है , वहाँ कोई महानता नहीं है।
- सच परेशान हो सकता है .. लेकिन हार नहीं सकता ।
- ज़िन्दगी भी वीडियो गेम जैसी हो गई है , एक लेवल क्रॉस करो तो अगला लेवल और मुश्किल आ जाता है ।
- जीवन में कभी किसी को कसूरवार न बनाएँ , अच्छे लोग खुशियाँ लाते हैं और बुरे लोग तजुर्बा ।
- पागलों के झुंड में समझदारी दिखाना भी पागलपन है ।
- जो भी दिल में हो साफ-साफ कह देना चाहिए, क्योंकि कहने से फैसले होते हैं और चुप रहने से फासले होते हैं ।
- मैं दुनिया से लड़ सकता हूँ पर अपनों से लड़ नहीं सकता, क्योंकि अपनों के साथ मुझे 'जीतना' नहीं बल्कि 'जीना' है ।
- जिम्मेदारियाँ भी एक इम्तेहान होती हैं.. जो निभाता है उसी को परेशान करती हैं ।
- दो पल की ज़िन्दगी के अनमोल नियम - निखरो फूल की तरह , बिखरो खूशबू की तरह ।
- फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग आप पर यकीन करते हैं या नहीं करते हैं , आपको खुद पर यकीन होना चाहिए ।
- तुम अपनी ज़िन्दगी का अगला पाठ तब तक नहीं पढ़ सकते जब तक पिछले पाठ को याद कर रहे हो ।

धूप में निकलो ...

धूप में निकलो
घटाओं में नहाकर देखो
ज़िन्दगी क्या है,
किताबों को हटाकर देखो।

सिर्फ आँखों से ही
दुनिया नहीं देखी जाती
दिल की धड़कन को भी
बीनाई बनाकर देखो।

पत्थरों में भी ज़बाँ होती है
दिल होते हैं
अपने घर के
दरो-दीवार सजाकर देखो।

वो सितारा है चमकने दो
यूँ ही आँखों में
क्या ज़रूरी है
उसे जिस्म बनाकर देखो।

फासला नज़रों का
धोखा भी तो हो सकता है
चाँद जब चमके तो
ज़रा हाथ बढ़ाकर देखो।

दिन सलीके से उगा ...

दिन सलीके से उगा
रात ठिकाने से रही
दोस्ती अपनी भी कुछ
रोज़ ज़माने से रही

चंद लम्हों को ही बनती हैं
मुसव्विर आँखें
ज़िन्दगी रोज़ तो
तसवीर बनाने से रही

इस अंधेरें में तो
ठोकर ही उजाला देगी
रात जंगल में कोई
शमा जलाने से रही

फासला, चाँद बना देता है
हर पत्थर को
दूर की रौशनी नज़दीक तो
आने से रही

शहर में सबको कहाँ मिलती है
रोने की जगह
अपनी इज्जत भी यहाँ
हँसने-हँसाने में रही।

जो हुआ सो हुआ ...

उठके कपड़े बदल, घर से बाहर निकल
जो हुआ सो हुआ।
रात के बाद दिन, आज के बाद कल
जो हुआ सो हुआ।

जब तलक साँस है, भूख है प्यास है
ये इतिहास है
रख के काँधे पे हल, खेत की ओर चल
जो हुआ सो हुआ।

खून से तर-ब-तर, करके हर रहगुज़र
थक चुके जानवर
लकड़ियों की तरह, फिर से चूल्हे में जल
जो हुआ सो हुआ।

जो मरा क्यों मरा, जो जला क्यों जला
जो लुटा क्यों लुटा
मुद्दतों से हैं गुम, इन सवालों के हल
जो हुआ सो हुआ।

मन्दिरों में भजन, मस्जिदों में अजाँ
आदमी है कहाँ ?
आदमी के लिए एक ताज़ा गज़ल
जो हुआ सो हुआ।

खोया हुआ सा कुछ

कहीं छत थी, दीवारो-दर थे कहीं
मिला मुझको घर का पता देर से
दिया तो बहुत ज़िन्दगी ने मुझे
मगर जो दिया वो दिया देर से।

हुआ न कोई काम मामूल से
गुज़ारे शबों – रोज़ कुछ इस तरह
कभी चाँद चमका गलत वक़्त पर
कभी घर में सूरज उगा देर से।

कभी रुक गए राह में बेसबब
कभी वक़्त से पहले घिर आई शब
हुए बंद दरवाज़े खुल-खुल के सब
जहाँ भी गया मैं गया देर से।

ये सब इत्तिफाक़ात का खेल है
यही है जुदाई, यही मेल है
मैं मुड़-मुड़ के देखा किया दूर तक
बनी वो खामोशी, सदा देर से।

सजा दिन भी रौशन हुई रात भी
भरे जाम लगराई बरसात भी
रहे साथ कुछ ऐसे हालात भी
जो होना था जल्दी हुआ देर से।

भटकती रही यूँ ही हर बन्दगी
मिली न कहीं से कोई रौशनी
छुपा था कहीं भीड़ में आदमी
हुआ मुझमें रौशन खुदा देर से।

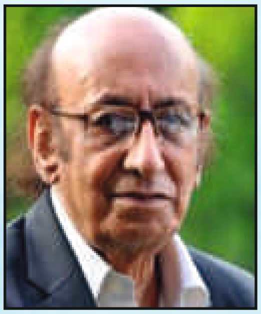
निदा फ़ाज़ली

विश्व हिंदी दिवस 2021 की कुछ झलकियाँ

अहमदाबाद

भोपाल

भुवनेश्वर

गोवा

कोयम्बतूर

हैदराबाद

लुधियाना

मेरठ

विश्व हिंदी दिवस 2021 की कुछ झलकियाँ

पुणे

विजयवाड़ा

एनसीआर – दिल्ली

पटना

बंगलूरु

नागरकोइल

देहरादून

राँची

बेगुनाही के लिए 70 साल का इंतज़ार

शुभम दीक्षित, सहायक प्रबन्धक, केंद्रीय कार्यालय

हमारे आज के स्तम्भ का केंद्र 14 साल के अफ्रीकन-अमेरिकन जॉर्ज स्टिन्नी जूनियर की तस्वीर है जिसे 16 जून 1944 में कैरोलीना, यूएसए में मौत की सज़ा दी गई थी। यहाँ आपको बताता चलूँ कि जॉर्ज स्टिन्नी जूनियर 1786 के बाद से आज तक के अमेरिकी इतिहास में मृत्यु दंड पाने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति है। जॉर्ज स्टिन्नी को 2013 से 2014 तक कोर्ट में चली लंबी जिरहों, वादों और विवादों के बाद अंततः उसकी मौत के लगभग 70 साल बाद सन 2014 में इंसाफ मिल सका और उस पर लगाए गए सारे आरोपों को ख़ारिज़ करते हुए उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया। जॉर्ज स्टिन्नी पर दो श्वेत लड़कियों बैटी जून बिन्निकर (11 वर्ष) और मैरी एमा थेम्स (7 वर्ष) की हत्या का आरोप था।

बात सन 1944 की है जब जॉर्ज स्टिन्नी जूनियर अपने पिता जॉर्ज स्टिन्नी सीनियर (1902-1965), माँ ऐमे (1907-1989), भाई जॉन (17 वर्ष), चार्ल्स (12 वर्ष) और बहन कैथरीन (10 वर्ष) के साथ दक्षिणी कैरोलीना के अल्कोलू में कंपनी के क्वाटर में रहता था। अल्कोलू एक छोटा कामकाजी वर्ग का शहर था। शहर के बीच में पटरियाँ थी या यूँ कहें कि पटरियाँ शहर की रिहाइश को उनके रंग की बुनियाद पर दो टुकड़ों में बांटतीं थीं। पटरियों के एक ओर श्वेत लोगों के घर थे और दूसरी तरफ अश्वेत लोगों के। अमेरिका में उस समय दक्षिण की ओर बसे छोटे शहरों का यही हाल था। उस दौर में श्वेतों व अश्वेतों के बीच आपसी बातचीत और मेल-जोल के स्तर का अंदाज़ इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके आने-जाने की सड़कें, प्रार्थनाओं के चर्च और बच्चों के स्कूल अलग-अलग हुआ करते थे। अमूमन अश्वेतों का पटरियों को पार करना किसी राष्ट्रीय सीमा को पार करने जितना ही मुश्किल हुआ करता था, जहाँ बिना ज़रूरी काम और वजह के दूसरी तरफ पाया जाना उनके लिए तमाम तरह की मुसीबतों को दावत दे सकता था।

जिस घटना क्रम को केंद्र में रख कर हम आज की चर्चा करेंगे उसकी शुरुआत 23 मार्च 1944 को होती है, जब एक दिन पहले अपने घर से निकली दो श्वेत लड़कियाँ रात भर घर वापस नहीं आती हैं। अगले दिन जॉर्ज स्टिन्नी जूनियर के पिता लड़कियों को खोजने में पुलिस की मदद करते हैं लेकिन बद-किस्मती से दोनों लड़कियों के शव कुछ दूरी पर एक खाई में मिलते हैं। ऑटॉपसी रिपोर्ट में ये तथ्य सामने निकल कर आता है कि उनकी मृत्यु लोहे के भारी हथियार से पीटे जाने के कारण हुई थी जिस वजह से उनके सर में गंभीर छोटे आई थीं जिसके चलते उनकी मृत्यु हो गई। लड़कियों को आखिरी बार साइकिल पर फूलों को ढूंढते हुए देखा गया था। वो उस वक्त "मेयोपॉप्स" (पैशन फ्लावर जिसे स्थानीय भाषा में मेयोपॉप्स के नाम से जाना जाता है) नाम के फूलों को खोज रहीं थी। कुछ लोगों ने उन्हें जॉर्ज स्टिन्नी से इसी बारे में बात करते देखा था। शायद जॉर्ज स्टिन्नी को इस मामले में घसीट लाने, हत्या का जुर्म उसके सिर मढ़ने और उसे मौत की सज़ा दिए जाने के पीछे यही एक गवाही काफी थी।

पुलिसिया छानबीन

स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने बिना कोई ढिलाई बरते शक की बुनियाद पर जॉर्ज स्टिन्नी और उसके बड़े भाई को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में ले लिया (उस वक़्त तक बराबरी का अधिकार मिलने और तमाम तरह के कानून बनाने के बावजूद भी किसी भी छोटे ये बड़े जुर्म के मामले में अश्वेतों के साथ काफी सख्ती बरती जाती थी)। बाद में जॉर्ज स्टिन्नी के बड़े भाई जॉन को रिहा कर दिया गया मगर जॉर्ज स्टिन्नी को हिरासत में ही रखा गया। अधिकारियों का दावा था कि सख्ती बरते जाने के बाद जॉर्ज स्टिन्नी उन्हें उस जगह तक लेकर गया जहाँ उसने हत्या में प्रयुक्त हथियार छुपाया था। स्थानीय पुलिस ने ये भी दावा किया कि जॉर्ज स्टिन्नी ने लिखित रूप में बयान दिया है कि उसने लोहे के टुकड़े से उन दोनों लड़कियों की हत्या कर दी। कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान जॉर्ज स्टिन्नी ने बताया कि उसे कई दिनों तक भूखा रखा गया और उसने ये बयान खाने के लालच में आकर दिया था। हालांकि कोर्ट की सुनवाई के दौरान जॉर्ज

स्टिन्नी द्वारा लिखित या हस्ताक्षरित कोई भी बयान कभी पेश नहीं किया जा सका। कोर्ट की पूरी कार्रवाई से लेकर अपनी सजा की तामील होने तक जॉर्ज स्टिन्नी हर वक्त अपनी बेगुनाही साबित करने की उम्मीद से अपने साथ बाइबल रखता और ईश्वर से प्रार्थना करता था कि शायद कभी तो किसी का दिल उसके लिए पसीजेगा।

जॉर्ज स्टिन्नी की गिरफ्तारी के बाद उसके पिता को नौकरी से निकाल दिया गया जिसके चलते उन्हें तत्काल ही घर खाली करना पड़ा। सिर्फ गहरे रंग के कारण होने वाले भेदभाव के चलते जॉर्ज स्टिन्नी के परिवार ने उसे गिरफ्तारी के बाद कभी नहीं देखा। जॉर्ज स्टिन्नी के ऊपर 81 दिनों तक चले मुकदमे के दौरान उसे किसी से भी मिलने की इजाज़त नहीं थी, लिंचिंग हो जाने के खतरे के मद्देनज़र जॉर्ज स्टिन्नी को अल्कोलू से 50 मील की दूरी पर स्थित कोलम्बिया की एक जेल में बंद कर दिया गया। सारी पूछताछ उसके परिवार वालों या उसके वकील की अनुपस्थिति में की गई। हालांकि, उस वक्त अमल में आ चुके हुए छठे कानून संशोधन के अनुसार, मुजरिम को अपने वकील से सलाह-मशविरा करने का अधिकार प्राप्त हो गया था।

कोर्ट की कार्रवाई

WANTED

You to petition those in authority, along with your prayers, in behalf of George Stinney, Jr., 14, who is sentenced to die in the electric chair of South Carolina June 16.

Only God can save. But those in authority can spare this boy's life. God's will be done.

उस दौर में अमेरिका में कानूनी फैसलों के लिए जज के साथ-साथ ज्यूरी का भी प्रावधान था। यहाँ ये बात ध्यान देने वाली है कि जॉर्ज स्टिन्नी के केस में ज्यूरी (जिसमें केवल श्वेत लोगों का चयन किया गया था, क्योंकि सिविल वार खत्म होने के लगभग 80 सालों बाद सन 1944 तक अधिकतम अफ्रीकी-अमेरिकन्स को द्वितीय दर्जे का नागरिक समझा जाता था। यहाँ तक कि दक्षिणी अमेरिका में उनको मतदान का अधिकार तक प्राप्त नहीं था) के चयन से लेकर सुनवाई तक सभी कुछ एक ही दिन में पूरा कर लिया गया। अदालत में जॉर्ज स्टिन्नी का पक्ष रखने के लिए चार्ल्स प्लोडेन को वकील नियुक्त किया गया था जो स्थानीय कार्यालय में चुनाव के लिए प्रचार करने वाले आयुक्त थे। आपको ये जानकार शायद हैरानी होगी कि कोर्ट की कार्रवाई के दौरान 1,000 से अधिक श्वेत लोगों ने कोर्ट का घेराव कर लिया और किसी भी अश्वेत को कोर्ट के अंदर आने की अनुमति नहीं दी गई। प्लोडेन ने उन तीन पुलिस अफसरों (जिन्होंने जॉर्ज स्टिन्नी का बयान दर्ज करने का दावा किया था) से कोई भी जवाब तलब नहीं किया। उन्होंने जॉर्ज स्टिन्नी की गवाही के दो अलग-अलग संस्करणों (पहले संस्करण में जॉर्ज स्टिन्नी द्वारा लड़की पर हमला किया गया, क्योंकि उसने खाई में गिरने वाली लड़की की मदद की कोशिश की थी जिसके चलते पहली लड़की की मौत हो गई और फिर उसने दूसरी लड़की को भी मार दिया। दूसरे संस्करण में जॉर्ज स्टिन्नी ने दोनों लड़कियों का पीछा किया और एक एक कर दोनों की हत्या कर दी। हालांकि दोनों ही बयानों को हत्याओं से जोड़ने के कोई भौतिक प्रमाण उपलब्ध नहीं थे।) के बारे में कोई आपत्ति ज़ाहिर नहीं की। तीन पुलिस वालों के अलावा तीन और लोगों को भी गवाही के लिए बुलाया गया जिसमें से एक लड़कियों के शवों की खोज में मदद करने वाला तथा ऑटॉपसी करने वाले दो डॉक्टर शामिल थे। सुनवाई के दौरान कई भड़काऊ बयान दिए गए, कई गंभीर आरोप लगाए गए। बलात्कार की संभावनाओं पर चर्चा की गई (हालांकि ऑटॉपसी रिपोर्ट में ऐसी किसी भी संभावना से इनकार किया गया था) और महज़ ढाई घंटे की सुनवाई के बाद जॉर्ज स्टिन्नी को दोषी करार दे दिया गया। ज्यूरी ने 10 मिनट से भी कम समय लेते हुए अपना फैसला दे दिया और जॉर्ज स्टिन्नी का दोष साबित हो गया। न्यायाधीश फिलिप एच. स्टॉल ने अंतिम फैसला देते हुए इलेक्ट्रोकेन के द्वारा जॉर्ज स्टिन्नी को मौत की सज़ा सुना दी। यहाँ ये बात ध्यान रखी जानी चाहिए कि कोर्ट की कार्रवाई का कोई लिखित अभिलेख उपलब्ध नहीं है। हालांकि जॉर्ज स्टिन्नी के वकील के द्वारा इस फैसले के विरुद्ध कोई अपील दायर नहीं की गई थी।

जॉर्ज स्टिन्नी के हक़ में

एक बार सजा मुकर्रर हो जाने के बाद जैसे-जैसे सज़ा की तामील की तारीख़ करीब आती गई, कुछ अश्वेत लोग टुकड़ियों में जमा होने लगे। दक्षिणी कैरोलिना में जॉर्ज स्टिन्नी की कम उम्र का हवाला देते हुए उसकी मौत की सज़ा को कारावास में तबदील करने के लिए कई जगह शांति मार्च किए जाने लगे, कैरोलिना के गवर्नर ओलिन डी जॉन्स्टन को पूरे देश से सैकड़ों की संख्या में दया याचना पत्र प्राप्त होने लगे और सभी का एक ही अनुरोध था कि जॉर्ज स्टिन्नी की कम उम्र को ध्यान में रखते हुए उसकी मृत्युदंड की सज़ा को आजीवन कारावास से बदल दिया जाए। जॉर्ज स्टिन्नी के माता-पिता ने स्थानीय चर्च और

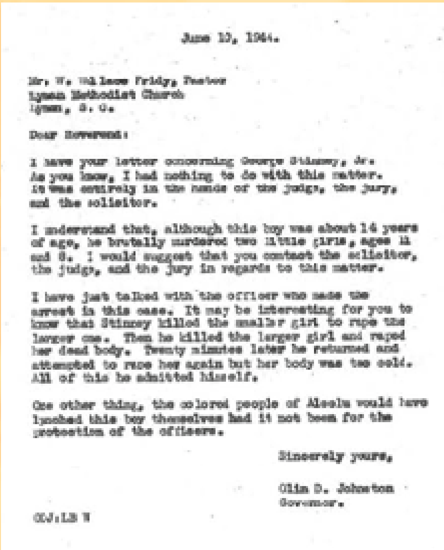

June 13, 1944.

Mr. W. Wallace Fridy, Pastor
Lyman Methodist Church
Lyman, S. C.

Dear Reverend:

I have your letter concerning George Stinney, Jr. As you know, I had nothing to do with this matter. It was entirely in the hands of the judge, the jury, and the solicitor.

I understand that, although this boy was about 14 years of age, he brutally murdered two little girls, ages 11 and 8. I would suggest that you contact the solicitor, the judge, and the jury in regards to this matter.

I have just talked with the officer who made the arrest in this case. It may be interesting for you to know that Stinney killed the smaller girl to rape the larger one. Then he killed the larger girl and raped her dead body. Twenty minutes later he returned and attempted to rape her again but her body was too cold. All of this he admitted himself.

One other thing, the colored people of Alcolu would have lynched this boy themselves had it not been for the protection of the officers.

Sincerely yours,

Olin D. Johnston
Governor.

ODJ:LB W

गवर्नर से रहम की भीख मांगी मगर उनकी एक नहीं सुनी गई । यहाँ तक कि आने वाले पत्रों से तंग आ कर गवर्नर ओलिन डी जॉन्स्टन ने कुछ पत्रों का उत्तर भी दिया था जिनमें उनके द्वारा जॉर्ज स्टिन्नी की खींची गई तस्वीर कुछ इस तरह थी :

आपके लिए ये जानना शायद दिलचस्प हो कि जॉर्ज स्टिन्नी ने बड़ी लड़की का बलात्कार करने के लिए छोटी लड़की को मार दिया। फिर उसने बड़ी लड़की को मार दिया और उसकी लाश के साथ बलात्कार किया। लगभग बीस मिनट बाद वो फिर से वापस आया और फिर से बलात्कार करने का प्रयास किया लेकिन उसका शरीर बहुत ठंडा था। ये सब उसने खुद स्वीकार किया है।

- ओलिन डी जॉन्स्टन

सज़ा की तामील

16 जून 1944 की सुबह जॉर्ज स्टिन्नी की सज़ा की तामील इलेक्ट्रोनिक चेयर (इसकी खोज और प्रयोग से जुड़े कई दिलचस्प किस्से हैं मगर उन पर चर्चा फिर कभी) के माध्यम से की जानी थी, जो कि उस दौर में मौत की सज़ा देने की एक आम प्रक्रिया थी, जिसमें अपराधी को एक कुर्सी पर बैठा कर उसके हाथ, पैर और मुँह बांध दिए जाते थे और चेहरे को कपड़े से ढँक दिया जाता था। इसके बाद अपराधी के सर पर विशेष रूप से तैयार धातु का हैलमेट पहना दिया जाता था जिसमें उच्च वोल्टेज के तार जुड़े रहते थे। एक बार लीवर खींचते ही अपराधी के दिमाग में 5000 वोल्ट का झटका लगता था और तत्काल ही मृत्यु हो जाती थी । अब क्योंकि ये कुर्सी वयस्क अपराधियों के लिए तैयार की गई थी और जॉर्ज स्टिन्नी इस लिहाज़ से काफी छोटा था जिसके चलते उसका सर उस धातु के हैलमेट तक नहीं पहुँच पा रहा था। इस समस्या से निजात पाने के लिए जॉर्ज स्टिन्नी को कुर्सी पर बैठाने से पहले उसके हाथ से बाइबल की किताब, जिसे वो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए हमेशा अपने साथ रखता था, ले ली गई और कुर्सी पर बाइबल की किताब रख दी गई।

उसके बाद बाइबल के ऊपर जॉर्ज स्टिन्नी को बैठाया गया ताकि आवश्यक ऊंचाई पाई जा सके। सज़ा की तामील के वक्त जिस कपड़े से जॉर्ज स्टिन्नी का मुंह ढंका गया था वो बड़ा होने के कारण नीचे सरक गया जिसके बाद कमरे में उपस्थित लोगों ने जॉर्ज स्टिन्नी को रोते हुए देखा था। सुबह के 07.30 बजे लीवर खींच दिया गया और एक बेगुनाह की मौत हो गई । डॉक्टरों द्वारा जॉर्ज स्टिन्नी को मृत घोषित किए जाने के बाद उसे अज्ञात जगह पर दफन कर दिया गया।

इंसाफ की ज़ंग

सन 2004 में अल्कोलू में पले-बढ़े स्थानीय इतिहासकार जॉर्ज फ्रीर्सन ने अखबार में एक लेख पढ़ने के बाद इस मामले की छानबीन करनी शुरू की । छानबीन करने पर फ्रीर्सन को कई अनकही कहानियों और अनदेखे पहलुओं से हो कर गुजरना पड़ा । अपनी शुरुआती छानबीन के दौरान जॉर्ज की मुलाक़ात दक्षिणी कैरोलिना के वकील स्टीव मैकेंज़ी और मैक बर्ग्स से हुई। इन दो वकीलों के अलावा जिस किसी ने भी जॉर्ज स्टिन्नी के बारे में सुना, अफसोस ज़ाहिर किया और फ्रीर्सन की हर संभव मदद करने की कोशिश की। अनगिनत घंटों की चली लंबी चर्चाओं में कई अहम दस्तावेज़, साक्ष्य, जीवित गवाह और प्रमाण जुटाए जाने लगे जिसमें स्थानीय बुज़ुर्गों ने ख़ासी मदद की। मदद करने वालों में रे ब्राउन, अटार्नी जेम्स मून ने ख़ासी मदद की। इस पूरी प्रक्रिया में लगने वाले समय का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिस सच की खोज की शुरुआत 2004 में हुई थी उस सच को उसका जायज हक़ दिलवाने के लिए जॉर्ज स्टिन्नी के परिवार के सदस्यों की मदद से सन 2013 में अदालत

का दरवाजा खटखटाया जा सका। नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ के सिविल राइट एंड रिसटोरेटिव जस्टिस प्रोजेक्ट ने सन 2014 को अदालत में एक संक्षिप्त विवरण दायर किया था जो कुछ इस तरह था :

ऐसा कोई कारण था ही नहीं कि उस बच्चे को दोषी ठहराया जा सके। इस बात के साफ-साफ सबूत हैं कि उस बच्चे को जिन गुनाहों के लिए सज़ा दी गई वो उसने कभी किए ही नहीं थे। अभियोजन पक्ष ने आँखें मूँद कर महज़ एक लोहे के टुकड़े को बुनियाद बनाते हुए उस बच्चे को दोषी ठहरा दिया। एक 14 साल के बच्चे का वो बयान जो उसके परिवार की गैर मौजूदगी में लिया गया, जिसे न तो दर्ज ही किया गया और न ही उस पर कोई दस्तख़त करवाए गए, सबसे बड़ा साक्ष्य साबित हुआ। इस सब में सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि बचाव पक्ष का वकील न केवल किसी भी गवाह को बुला कर उसकी गवाही दर्ज़ करने में बल्कि उस बच्चे के अपील करने के अधिकार को भी संरक्षित नहीं कर सका।

दुबारा हुई सुनवाई के दौरान जॉर्ज स्टिन्नी के भाई बहनों ने गवाही दी कि ऑटौप्सी की रिपोर्ट में लड़कियों की मौत का जो वक्त दर्शाया गया था उस वक्त के पहले से लेकर बाद तक जॉर्ज स्टिन्नी उनके साथ था। इसके अलावा एक रेवरेंड फ्रांसिस बैट्सन का हलफ़नामा भी दर्ज़ किया गया, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा था कि जिस जगह लड़कियों की लाश बरामद हुई उस जगह खून काफी कम या न के बराबर था, जिससे ये स्पष्ट होता है कि लड़कियों की हत्या उस जगह नहीं हुई थी जिस जगह उनकी लाश बरामद हुई थी, और एक 14 साल के बच्चे के लिए दो लाशों को हत्या की जगह से दूर ले जाना और उसे ऐसा करते हुए किसी का न देखना काफी संदेह पैदा करता है। जॉर्ज स्टिन्नी के साथ जेल में कैद विलफोर्ड जॉनी हंटर ने गवाही दी कि "जॉर्ज स्टिन्नी ने बताया था कि उसने डर और कई दिनों तक भूखा रखे जाने के चलते खाने के लालच में वो बयान दिया था, मगर वो बेगुनाह है, उसने कोई खून नहीं किया"। सज़ा की तामील किए जाने तक जॉर्ज स्टिन्नी अपनी इसी बात पर बना रहा कि उसने कोई खून नहीं किया लेकिन एकांत में सिर्फ एक बार डर के चलते दिए गए बयान को ही अंतिम व निर्णायक बयान मान लिया गया। कोर्ट के सामने जो सबसे बड़ी दलील पेश की गई वो ये थी कि किसी भी हलात में एक 14 साल का लड़का, जिसका खुद का वज़न 38 किलो के करीब है अपने वज़न से कुछ ही कम वज़न की रॉड को उठा कर किसी के सर पर इतनी तेज़ी से नहीं मार सकता कि सामने वाले के सिर की हड्डियों में कई सारे फ्रेक्चर हो जाएँ।

सर्किट कोर्ट की न्यायाधीश कार्मेन मुलेन ने 17 दिसंबर 2014 को इस मामले पर अपना फैसला सुनते हुए कहा कि जॉर्ज स्टिन्नी को निष्पक्ष सुनवाई का मौका नहीं मिला, उसके पक्ष को प्रभावी तरीके से नहीं रखा गया। साथ ही जज ने अपने फैसले में कहा कि जॉर्ज स्टिन्नी के मामले में, छठे संशोधन में प्राप्त उसके अधिकारों का हनन भी हुआ है और ये उस वक्त के मौजूदा क़ानूनों का दुरुपयोग था। कार्मेन मुलेन के अनुसार जॉर्ज स्टिन्नी के द्वारा वह बयान दवाब में दिया गया था जिस वजह से कोर्ट में वह अमान्य हो जाता है तथा स्टिन्नी के वकील द्वारा सुनवाई में शामिल गवाहों से किसी भी तरह की पूछताछ न करना दर्शाता है कि किस तरह के 14 साल के बच्चे की हत्या में पूरा तंत्र शामिल था। सारे गवाहों, सबूतों और कोर्ट की कार्रवाई के मद्देनजर कोई भी इस 14 साल के बच्चे पर आरोप लगा कर उसे दोषी ठहराते हुए 80 दिनों के भीतर मृत्यु दंड नहीं दे सकता है। संक्षेप में, जब वह जीवित था उस वक्त तक इस बच्चे के लिए बहुत कुछ किया जा सकता था, जो नहीं किया गया। और इस तरह अपनी मौत के लगभग 70 सालों के बाद जॉर्ज स्टिन्नी को न्याय मिल सका।

तारीख़-ए-बयाँ

अमेरिका आज भले ही महाशक्ति, विकसित राष्ट्र, सभ्य समाज व सबके लिए समान अवसर उपलब्ध करवाने के कितने ही दावे क्यूँ न कर ले, लेकिन अगर अमेरिकन रंगभेद (या शायद इसे नस्लवाद कहना ज्यादा सटीक होगा) के दरख़्त तले जमी मिट्टी को उघाड़ा जाए तो बेशक उसकी जड़ें आपको दासता से जुड़ी मिलेंगी और ये जड़ें इतनी मजबूत और इतनी गहराई तक धँसी हैं कि उनसे पोसे हुए दरख़्त से जॉर्डन एंडरसन, जॉर्ज स्टिन्नी, जॉर्ज फ्लोएड (सबसे हालिया मृत्यु जिसने इसी नाम से जुड़े प्रदर्शन को जन्म दिया) जैसे जाने कितने किस्सों और जुल्मों की दास्तानें फूट पड़ती हैं।

हम अपने आज के इस स्तम्भ की शुरूआत वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ

अपनी बात हमने पिछले अंक में "ख़तों के रास्ते इतिहास" में छोड़ी थी। हालांकि अमेरिकन सिविल वार (जिसके बारे में हम फिर कभी चर्चा करेंगे) के अंत को दासता के आधिकारिक अंत के रूप में स्वीकार तो कर लिया गया मगर उस ज़मीन से उग आए दरख़्त के फल आज भी रंगभेद का जहर की शक्ल में फूट पड़ते हैं। कहने को तो आज की स्थितियाँ बीती शताब्दियों की तुलना में कहीं गुना बेहतर हैं मगर कोई भी परिवर्तन एक दिन या एक क्रांति में नहीं आता, उस बदलाव को जनमानस के दिल-ओ-ज़ेहन में घर करने के लिए कई दशक से लेकर कुछ एक सदियाँ तक लग सकती हैं। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि आज जिन चीजों को हम सहज और स्वाभाविक रूप से अपना अधिकार मान लेते हैं, जो चीज़ें हमारे लिए उतनी ही स्वाभाविक हैं जितना कि सांस लेना, उनके लिए भी कहीं न कहीं, कभी न कभी इतिहास में किसी ने भारी कीमत चुकाई है। अंग्रेजी में एक कहावत है न "Everything comes with a cost". अपने इस लेख के आधार से इतर कुछ कहूँ तो आपको शायद जान कर हैरानी होगी कि आज जो बाइबल अंग्रेजी में पढ़ी जाती है उसका मूल हिब्रू (इज़राइल की आधिकारिक भाषा) और ग्रीक भाषा में लिखा गया था और इसका अंग्रेजी अनुवाद करने के जुर्म में विलियम टिंडले (बाइबल के हिब्रू से अंग्रेजी के पहले अनुवादक) को हैनरी VIII के द्वारा 06 अक्टूबर1536 को सार्वजनिक रूप से जिंदा जला कर मार देने की सज़ा दी गई थी। अमेरिका भी ऐसे ही छोटे-बड़े परिवर्तनों का साक्षी है।

दासता के उस दौर के कानून इस हद तक अटपटे थे कि दासों के समूहों की गतिविधि आदि की निगरानी के लिए प्रशासन के द्वारा पुलिस की एक अलग संस्था बनाई गई थी। इस संस्था के सिपाहियों का मुख्य काम गुलामों को भागने से रोकना, भागे हुए गुलामों को सज़ा दिलवाना, उन्हें समूह या यूनियन बनाने से रोकना और उनके द्वारा किए जाने वाले किसी भी प्रदर्शन को दबाना था। सन 1704 के दौरान पहला गश्ती संस्थान दक्षिणी अमरीका के कैरोलिना राज्य में बनाया गया था और 17 शताब्दी के मध्य तक लगभग सभी राज्यों के पास गुलामों की गश्ती के लिए अलग-अलग दस्ते थे। लेकिन ये दौर पुनर्जागरण का दौरा था और अश्वेत भी अपने अधिकारों के लिए संघर्षरत थे और इसका परिणाम ये निकला कि 1775 से 1783 तक चले अमेरिकन स्वतंत्रता संग्राम के बाद उत्तरी अमेरिका के 13 उपनिवेशों को स्वतंत्रता का स्वाद चखने को मिला। हालांकि इन उपनिवेशों के दासों को एक आज़ाद जीवन जीने का अधिकार लगभग सन 1861 से लेकर 1865 तक चले अमेरिकन सिविल वार (जिसका अपना अलग इतिहास है) के बाद ही मिला सका। अश्वेतों को जनवरी 1865 में अमेरिकन कांग्रेस के द्वारा पारित अधिनियम जिसे 13वें संशोधन के रूप में जाना जाता है, के बाद लगभग 4 मिलियन से अधिक दासों को आधिकारिक रूप से कागजों पर आज़ादी तो मिली मगर उन्हें बराबरी का हक़ पाने के लिए आने वाले कई दशकों तक संघर्ष करना पड़ा। दक्षिणी अमेरिकी राज्यों की स्थिति की गंभीरता को इस तरह भी समझा जा सकता है कि अश्वतों के प्रति भेदभाव को बनाए रखने और उन्हें अन्यों की श्रेणी से अलग चिन्हित करने के लिए 1885 से लेकर 1964 तक "जिम क्रो"(राज्य समर्थित स्पष्ट, नस्लीय भेदभाव व्यवस्था और शोषण, जो उत्तर-पुनर्निर्माण दक्षिण से निकला था और इतिहास में उसे "जिम क्रो" सिस्टम के नाम से जाना जाता है) नाम के विशेष कानून को लागू रखा गया, जिसके अधीन कई छोटे बड़े कानून बनाए गए और उनको अभ्यास में लाया गया। इस दौरान अश्वेतों के खिलाफ हिंसा काफी उग्र हो गई थी।

ये वो समय था जब श्वेत अमेरिकियों को अन्य जातियों और अल्पसंख्यकों पर सामाजिक और कानूनी विशेषाधिकार दिया गया था। इस बात को इस तरह समझा जा सकता है कि सिविल वार के खत्म होने के बाद भी अश्वेतों को छोटे-छोटे अधिकारों के लिए भी कई विद्रोह, अनशन, प्रदर्शन आदि करने पड़े। यहाँ तक कि कुछ राज्यों में आज तक छुटपुट घटनाएँ होती रहती हैं। तात्कालिक राष्ट्रपति एंड्रयू जॉनसन द्वारा पारित 15वें संशोधन के अनुसार 1870 में प्रत्येक नागरिक को मतदान का अधिकार इस निबंधन के साथ दिया गया था कि राज्यों के पास इस संशोधन को अपने स्तर पर लागू करने की स्वतन्त्रता थी। अपनी बात के पक्ष में एक बात जोड़ना चाहूँगा जिसे जान कर शायद आपको हैरानी होगी कि 1920 में आए 19वाँ संशोधन के बाद तक कई राज्यों में अफ्रीकी अमेरिकन महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं था। सारे कागजी दावों और वादों से इतर दक्षिणी अमेरिकी राज्यों में वर्ष 1961 तक केवल 20% अफ्रीकी अमेरिकन ही मतदान के लिए पंजीकृत थे।

अगर अमेरिका में नस्लीय भेदभाव के चलते हुए अन्यायों में सुधार की बात करें तो 1909 में लोगों के नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए नेशनल एसोसिएशन ऑफ द एडवांसमेंट ऑफ कलर पीपल (NAACP) का योगदान काफी सराहनीय रहा है। हालांकि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन 1954 से शुरू हो कर 1968 तक बड़े पैमाने पर जारी रहा जिसका उद्देश्य अमेरिका में कानूनी नस्लीय भेदभाव, नस्लीय विघटन और नस्लीय अलगाव को समाप्त करना था। हालांकि इस दिशा में बाद में कई अहम फैसले आए व कई कानून बनाए गए। यहाँ पर अमेरिका की शीर्ष अदालत द्वारा ब्राउन बनाम बोर्ड ऑफ एजुकेशन मामले में एक अहम फैसला दिया गया था जिसका यहाँ ज़िक्र करना शायद ज़रूरी जान पड़ता है, इस फैसले के ज़रिए सरकारी स्कूलों के नस्ल के आधार पर विभाजन की व्यवस्था

को समाप्त कर दिया गया। 1950 के बाद के दशकों में नस्लीय भेदभाव में काफी सुधार दर्ज किया गया जिसमें मार्टिन लूथर किंग के सत्ता में आने के बाद सुधारों में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। इस परिपेक्ष्य में उनके द्वारा 28 अगस्त 1963 को दिया गया भाषण पठनीय व ऐतिहासिक है जिसके एक छोटे से अंश का अनुवाद आपके साथ साझा कर रहा हूँ:

वहाँ कुछ लोग हैं जो नागरिक अधिकारों के हिमायतियों से पूछते हैं, "तुम कब संतुष्ट हो सकोगे"? हम तब तक संतुष्ट नहीं हो सकते जब तक कि नीग्रोज़ पुलिस की अकथनीय बर्बरता के शिकार होते रहेंगे। हम तब तक संतुष्ट नहीं हो सकते जब तक सफर की थकान से चूर हो चुके हमारे शरीरों को राजमार्गों के मोटल्स और शहरों के होटल्स में रहने का ठिकाना नहीं मिल जाता। हम तब संतुष्ट नहीं हो सकते जब तक नीग्रोज़ छोटी संकरी बस्तियों से निकल कर बड़ी कॉलोनियों तक नहीं चले जाते। हम तब तक संतुष्ट नहीं हो सकते जब तक "केवल श्वेतों के लिए" जैसे नोटिस बोर्डों से हमारे बच्चों के व्यक्तित्व को छीना जाता है, उनके आत्मासम्मान को कुचला जाता है। हम तब तक संतुष्ट नहीं हो सकते जब तक मिसीसिपी के नीग्रो को मतदान का अधिकार नहीं मिला जाता और न्यूयॉर्क का नीग्रो ये महसूसता है कि उसके लिए मतदान करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। नहीं, नहीं हम तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक "न्याय किसी दैवीय और शक्तिशाली जलधारा की तरह सभी के पास समान रूप में नहीं पहुँच जाता है"।

अगर हम किसी भी विकसित देश का दामन निचोड़ कर देखेंगे तो उसमें से बेगुनाहों का खून ही बह कर निकलेगा। चाहें होलोकास्ट मेमोरियल हो, व्हीटनी प्लांटेशन हो या जिंजेबार का दासता

संग्रहालय, इन सब को देख कर एक बात जो पूरी तरह साफ़ है कि वो अपने इतिहास और अपने किए पर शर्मिंदा हैं, वो अपनी गलतियों को मानते हैं और उनसे सीखते हैं लेकिन इस बात को भुलाया नहीं जा सकता कि जिम क्रो कानून लागू किए जाने के बाद दक्षिणी अमेरिकी राज्यों में अश्वेतों की लिंचिंग की घटनाओं में नाटकीय ढंग से वृद्धि हुई थी। ये तस्वीरें "द नेशनल मेमोरियल फॉर पीस एंड जस्टिस" अलबम के मॉन्टगोमेरी में स्थित म्यूजियम की हैं जिसे अप्रैल 2018 में आम जनता के लिए खोला गया था। ये मेमोरियल दरअसल उन हजारों अश्वेत लोगों की याद में बनाया गया है जिनकी अमेरिका के विभिन्न देशों में भीड़ के द्वारा सिर्फ इस लिए हत्या (लिंचिंग) कर दी गई क्योंकि वो किसी वर्ग, धर्म या स्थान विशेष से आते थे। तस्वीर में जहाँ आपको स्टील की तख़्तनुमा कॉलम (800) टंगे नज़र आ रहे होंगे, उन कॉलम के निचले हिस्से पर उस अमेरिकी देश का नाम लिखा है जहाँ पर भीड़ के द्वारा अश्वेतों की हत्या की गई थी और उन कॉलम के ऊपर उन हजारों निर्दोषों के नाम (कुछ कॉलम में नाम ज्ञात न होने पर उस जगह 'अननोन' लिख हुआ पढ़ा जा सकता है) लिखे हैं जो लिंचिंग का शिकार हुए थे। दूसरी तस्वीर में आपको कुछ मर्तबान (कंटेनर) नज़र आ रहे होंगे, इन मर्तबानों में उस जगह की मिट्टी को रखा गया है जहाँ पर अश्वेतों की भीड़ द्वारा हत्या की गई थी और मर्तबान के ऊपर मरने वाले का नाम और उसकी हत्या की तारीख दर्ज़ की गई है। इनमें से ज़्यादातर जगहों से मिट्टी को या तो पीड़ितों के परिवारीजनों या कुछ सामुदायिक कार्यकर्ताओं द्वारा इकठ्ठा किया गया है।

ऊपर दी हुई इन दोनों तस्वीरों को भारत में मौजूदा दौर के आसन्न समझने की आवश्यकता है। हमारे पास इससे सीखने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है कि जिस पर शोध होना है, बहुत कुछ है कि जिसका हिसाब होना है, बहुत से लोग हैं जिनको इंसाफ मिलना है। यहाँ ये समझने की सख़्त जरूरत है कि भीड़ के द्वारा हत्या इतनी जघन्य और इतनी निंदनीय है कि ढूंढने पर भी भारतीय भाषाओं में लिंचिंग का समानार्थी शब्द नहीं मिलता है। इतिहास की गर्त में ऐसे कितने ही मामले दबे मिलेंगे। आज का दौर भी जैसे इतिहास को दोहरा रहा है। हमारे सम्मुख कितने ही मामले आए और गए हो जाते हैं और रह जाते हैं तो बस सवाल कि ऐसे में हम किस तरह का देश और समाज खड़ा करना चाहते हैं?

यह दास्तान इतनी लंबी है कि अगर उसमें यूरोप, एशिया और विशेष रूप से भारत का परिपेक्ष्य जोड़ दिया जाए तो ये अनंत तक चली जाएगी। तो ऐसा मानते हुए कि भारत और एशिया के बारे में ज़्यादातर लोगों को पता ही है, मैं अमेरिकी दासता और रंग भेद के किस्से को इस अंक के साथ विराम दे रहा हूँ।

ग्राहक सेवा की ओर नवोन्मेषी कदम – डोर स्टेप बैंकिंग

नगेन्द्र कुमार सिंह, प्रबन्धक, केंद्रीय कार्यालय

बैंकिंग एक सेवा उद्योग है। जहां ग्राहक वह कड़ी होता है, जो बैंक की नींव को मजबूत बनाता है। ग्राहकों को जितनी बेहतर ग्राहक सेवा दी जाएगी, बैंक और ग्राहक के बीच संबंध उतने ही अधिक प्रगाढ़ होंगे। भारत सरकार द्वारा 1975 में गठित तलवार समिति (Talwar Committee), आरबीआइ द्वारा 1990 में गठित गोइपुरिया समिति (Goiporia Committee) तथा 2010 में गठित दामोदरन समिति (Damodaran Committee) की सिफ़ारिश पर बैंकों में ग्राहक सेवा को बहुत हद तक सुदृढ़ एवं विकसित किया गया। तलवार समिति की सिफ़ारिश पर बैंकों में कर्मचारियों के बीच बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करना प्रचलित हुआ और बैंकों में कार्मिकों के लिए प्रभावी ग्राहक सेवा संबंधी विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम की भी नींव रखी गई। तलवार समिति की नजर, बैंकों में ग्राहक सेवा में ढिलाई दिए जाने वाले क्षेत्रों पर पड़ी और उनके सुधारात्मक सुझावों से ग्राहक सेवा में आमूल - चूल परिवर्तन आए। इस समिति ने तकनीकी के अद्यतन पर भी विशेष बल दिया था, जिससे ग्राहकों को त्वरित एवं प्रभावी ग्राहक सेवा प्रदान की जा सके। समिति के सिफ़ारिशों के आधार पर तैयार किए गए दिशानिर्देशों के अतिरिक्त, आरबीआइ समय - समय पर बैंकों को अनुदेश देता रहता है और बैंकों द्वारा उसका अनुपालन होता है। कुछ वर्षों बाद, बैंकों में ग्राहक सेवा में बढ़ोत्तरी करने के उद्देश्य से तकनीकी आधारित उत्पादों का विमोचन किया गया यानि एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग आदि जिसका ग्राहकों ने दिल खोल कर स्वागत किया। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, अप्रैल 2020 में डोर स्टेप बैंकिंग (बैंक आपके द्वार) की नींव रखी गई।

आइबीए एवं वित्तीय सेवाएँ विभाग, भारत सरकार के निर्देशानुसार ईज़ (EASE) सुधार के तहत डोर स्टेप बैंकिंग सेवा का विमोचन किया गया। ईज़ (EASE) के अंतर्गत कुल छ: प्रमुख विषय हैं, जिसमें से प्रथम मुख्य विषय – 'ग्राहकों के प्रति जवाबदेही' है। जिसके अंतर्गत निमन्वत कुल 13 मदों को स्थान दिया गया है –

- वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए सुविधा
- डोर स्टेप बैंकिंग
- सेवा में वरीयता या समर्पित काउंटर
- बिना विलंब के मुफ्त चेक बुक जारी करना
- पेंशन जीवन प्रमाण पत्र का ऑनलाइन अद्यतन
- वरिष्ठ नागरिकों के खातों में स्वत: लाभ प्रदान करना
- नेत्रहीन व्यक्ति - प्राधिकृत व्यक्ति के माध्यम से नकद राशि आहरित कर सकें
- टीडीएस छूट का प्रारूप सक्रियता से उपलब्ध करवाना
- डिजिटल बैंकिंग प्रमोट करना जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, इंटीग्रेटेड मोबाइल ऐप्स और फोन बैंकिंग
- ग्राहक सेवा प्रदान करने वाले क्षेत्र की साजसज्जा अच्छी होनी चाहिए जैसे साफ सफाई, रंगाई व पुताई, बैठने की व्यवस्था आदि
- ग्राहकों के लिए स्वच्छ शौचालय व साफ पीने योग्य पानी की व्यवस्था
- आरबीआइ के अनुदेशों के अनुसार ग्राहकों के लिए एकरूपता वाले एवं आकर्षणीय साइन बोर्ड प्रदर्शित किए जाना
- शिकायत निवारण – शिकायतकर्ता से निवारण की गुणवत्ता की जांच के संबंध में फीडबैक प्राप्त करना

ईज़ विषयक उपर्युक्त मदों के अनुपालन व कार्यान्वयन के लिए ही डोर स्टेप बैंकिंग की अवधारणा का बीजारोपण होता है। डीएफएस ने इस कार्य को सुचारु रूप से पूर्ण करने के लिए आइबीए को जिम्मेवारी सौंपी और आइबीए ने डोर स्टेप बैंकिंग के कार्यान्वयन व अनुपालन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में यूको बैंक का एंकर (संयोजक) बैंक के रूप में चयन किया। डोर स्टेप बैंकिंग एक ऐसी सेवा है, जिसके तहत ग्राहक डीएसबी एजेंट के माध्यम से घर बैठे अनेकों बैंकिंग लेनदेन कर सकते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा एक डीएसबी एजेंट के माध्यम से एकल क्षेत्राधीन के अंतर्गत वित्तीय व गैर वित्तीय सभी प्रकार के लेनदेनों को करने की सुविधा प्रदान की जाती है। डीएसबी एजेंट के द्वारा सरल, सुरक्षित एवं झंझटमुक्त डोर स्टेप बैंकिंग न्यूनतम दर पर प्रदान की जा रही है। डीएसबी के आने से ग्राहक सेवा में बढ़ोत्तरी हुई है एवं ग्राहकों की शाखा बैंकिंग पर निर्भरता कम होने के कारण, बैंकों को दोहरे लाभ होने की संभावना बहुत हद तक बढ़ गई है।

डोर स्टेप बैंकिंग का इतिहास काफी पुराना है। बैंकिंग क्षेत्र में यह सेवा पहले से ही विद्यमान थी और यह सेवा पहले सिर्फ अभिजात ग्राहकों (Elite Customers) को ही प्राप्त हुआ करती थी। बीसीएसबीआई (BCSBI) के तहत प्रदत्त ग्राहकों के मुख्य अधिकारों में से एक "डोर स्टेप बैंकिंग" भी है – जो वरिष्ठ नागरिकों व दिव्यांगजनों के लिए वैकल्पिक रूप में पहले से ही उपलब्ध है। इस सेवा के माध्यम से खातों से नकद

आहरण व खातों में राशि जमा की जा सकती है। यह सेवा पहले ग्राहकों को उनके द्वार पर बैंक के कर्मचारियों के द्वारा प्रदान की जाती थी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का इस सेवा के प्रति सुस्त रवैया होने के कारण, निजी क्षेत्र के बैंकों ने डोर स्टेप बैंकिंग का सबसे अधिक फायदा उठाया। निजी क्षेत्र के बैंकों ने इस सुविधा के माध्यम से सेवा शुल्क की वसूली कर अपने राजस्व में काफी वृद्धि की है।

आरबीआइ ने मार्च 2020 में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों / पेमेंट बैंकों / स्माल फाइनेंस बैंकों / स्थानीय क्षेत्र के बैंकों आदि को सूचित किया कि वे 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए तत्काल प्रभाव से कुछ आधारभूत बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करें। जिसे आधार बनाकर अनेक बैंकों ने 70 वर्ष से अधिक आयु वालों वरिष्ठ नागरिकों और सभी दिव्यांगजनों के लिए डोर स्टेप बैंकिंग के शुभारंभ करने पर विचार किया और उसे क्रियान्वित करने के लिए बीसी (कारोबार संवादी) के उपयोग पर बल दिया। इस सेवा को प्रचलित बनाने में कारोबार संवादियों ने अपना विशेष योगदान दिया। प्रारम्भ में इस सेवा के लिए ग्राहकों को प्रशासनिक कार्यालयों (क्षेत्रीय कार्यालय / अंचल कार्यालय) के नोडल अधिकारियों से संपर्क करना पड़ता था और नोडल अधिकारी खाता का विवरण, फोन नंबर, लेनदेन का विवरण आदि संबंधित जानकारियाँ शाखाओं को ई-मेल या फोन के माध्यम से प्रदान करते थे। संबंधित शाखा यह पूरा विवरण ग्राहक के पते के साथ कारोबार संवादी को देती थी और कारोबार संवादी ग्राहक के यहाँ लेनदेन पूरा करने के लिए जाते थे। ग्राहकों को सिर्फ वही सेवाएँ प्रदान की जाती थीं, जो उन्हें बीसी के पास उपलब्ध डिवाइस के माध्यम से दी जा सकती थी। बीसी को मौजूदा सीमा के आधार पर ही अधिकतम नकद आहरण प्रदान करने की अनुमति दी गई थी। कारोबार संवादियों (बीसी) द्वारा ग्राहकों को नकद, आधार समर्थित भुगतान सेवा (AEPS) डिवाइस के माध्यम से मान्य बायोमेट्रिक होने पर ही दिया जाता है। ये सेवाएँ संबंधित शाखा के सिर्फ 3 कि.मी. की सीमा तक ही उपलब्ध थी। डोर स्टेप बैंकिंग की सेवा के पंजीकरण के लिए प्रभार स्वरूप रु. 100/- प्रति लेनदेन के हिसाब से लिया जाता था, जिसमें से रु. 60/- प्रति लेनदेन के लिए कारोबार संवादियों (बीसी) को दिया जाता था। आरबीआइ ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के समक्ष डोर स्टेप बैंकिंग (बैंक आपके द्वार) को उन्नत ढंग से यूनिवर्सल टच पॉइंट के रूप में विकसित करने की चुनौती रखी।

माननीय वित्तमंत्री ने सितंबर 2020 को डोर स्टेप बैंकिंग – पीएसबी एलियान्स (PSB Alliance) का विमोचन किया। पीएसबी - एलियान्स डोर स्टेप बैंकिंग की नींव यूनिवर्सल टच पाइंट के तहत रखी गई है। सार्वजनिक क्षेत्र के कुल 12 बैंकों को ग्राहकों के लिए डोर स्टेप बैंकिंग प्रदान करने की जिम्मेवारी सौंपी गई। इस सेवा को प्रभावी तरीके से क्रियान्वित करने हेतु संयोजक बैंक की भूमिका यूको बैंक (UCO Bank) को दी गई। डोर स्टेप बैंकिंग ग्राहकों को उनके द्वार पर वित्तीय व गैर वित्तीय लेनदेन करने की सुविधा प्रदान करती है। ये लेनदेन डीएसबी एजेंट के माध्यम से पूरे किए जाते हैं। डोर स्टेप बैंकिंग के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले वित्तीय व गैर वित्तीय लेनदेनों की सूची निमन्वत है :

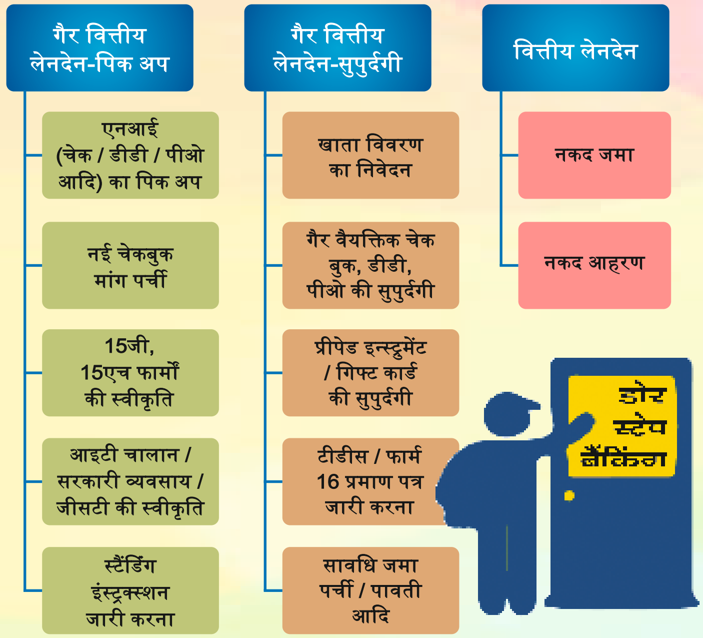

उपर्युक्त सभी सेवाएँ अभी पूरे भारत में 100 केन्द्रों पर उपलब्ध करवाई गई हैं। ये सेवाएँ मेसर्स अत्याती टेक्नोलोजी प्रा. लि. द्वारा 60 केन्द्रों पर और मेसर्स इंटेग्रा माइक्रोसिस्टम प्रा. लि. द्वारा 40 केन्द्रों पर प्रदान की जा रही है। डोर स्टेप बैंकिंग (बैंक आपके द्वार) उन सभी वैयक्तिक खाताधारक ग्राहकों, जिनका बचत / चालू खाता केवाइसी अनुपालित है और जिनका मोबाइल नंबर सीबीएस में दर्ज है, को प्रदान की जा रही हैं। तथापि, डोर स्टेप बैंकिंग के लिए निम्नलिखित प्रकार के खाते / ग्राहक पात्र नहीं हैं –

- संयुक्त खाते - संयुक्त रूप से परिचालित खाते या परजीवी / उत्तरजीवी और बाद में / उत्तरजीवी के रूप में होने से
- अवयस्क खाते
- मुख्तारनामा के माध्यम से परिचालित खाते
- गैर केवाइसी अनुपालित खाते व निष्क्रिय खाते
- एनआरआई / विदेशी राष्ट्रीय खाता धारक
- अ-वैयक्तिक खाते यानि न्यास, एचयूएफ, एशोसिएशन आदि
- वे खाते जो स्टॉप या होल्ड की स्थिति में हैं
- अशिक्षित ग्राहक

डोर स्टेप बैंकिंग ग्राहकों को सुविधा प्रदान करने की एक सतत प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया तीन अहम कड़ियों के द्वारा पूरी होती है – ग्राहक, बैंक

और डीएसबी एजेंट। ग्राहक के द्वारा लेनदेन के लिए निवेदन से लेकर बैंक की प्रक्रिया एवं डीएसबी एजेंट के द्वारा प्रदत्त सुविधाओं को निम्नलिखित प्रक्रिया प्रवाह के माध्यम से समझा जा सकता है –

डीएसबी सुविधा प्रदान करने की प्रक्रिया	
ग्राहक	बैंक
➢ आवश्यक प्रमाणीकरण के पश्चात ➢ मोबाइल एप (Doorstep Banking, PSB DSB) ➢ वेब पोर्टल ➢ कॉल सेंटर – टोल फ्री नंबर (18001037188), के माध्यम से निवेदन भेजें ➢ आवश्यक सेवाओं यानि पिक अप / सेवा सुपुर्दगी पता, तिथि व समय का चयन करें	• सेवा शुल्क की पुष्टि करते हुए ग्राहक के खाता में धारणाधिकार (lien) मार्क करता है • बैंक को सेवा निवेदन की सूचना एवं तैयारी के लिए सूचित किया जाता है • सेवा प्रदाता को एजेंट प्रदान करने के लिए सेवा निवेदन संबंधी सूचना देता है • डीएसबी एजेंट सेवा पूरी कर, उसकी पावती बैंक एवं डीएसबी के साथ साझा करता है • प्रदत्त वित्तीय सेवाओं का मिलान

ग्राहकों को डोर स्टेप बैंकिंग सेवा का लाभ उठाने के लिए बैंक को सेवा शुल्क प्रदान करना पड़ता है। बैंक द्वारा वित्तीय व गैर वित्तीय लेनदेन की सेवा प्रदान करने के लिए प्रति कॉल / सेवा हेतु रु. 75/- + जीएसटी शुल्क स्वरूप वसूला जाता है। सिर्फ केरल राज्य में प्रति कॉल / सेवा के लिए रु. 75/- + जीएसटी + 0.12 (मुख्यमंत्री राहत कोष) शुल्क स्वरूप वसूला जाता है। ग्राहकों से प्राप्त सेवा शुल्क बैंक एवं सेवा प्रदाता के बीच साझा किया जाता है। इस सेवा से बैंक अपने राजस्व को बढ़ा पाएगा एवं ग्राहकों को उनकी सहूलियत के अनुसार बेहतर बैंकिंग सुविधाएँ दे पाएगा।

आइबीए द्वारा डोर स्टेप बैंकिंग – पीएसबी एलियांस के अंतर्गत किए जाने वाले सेवा निवेदनों की लगातार निगरानी के लिए डोर स्टेप बैंकिंग कक्ष की स्थापना की गई है, जो डीएसबी संबंधी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन पर नजर रख रही है। डीएसबी सेवा प्रदान करने के लिए निर्धारित की गई समय सीमा (टीएटी) का अनिवार्य रूप से पालन होना चाहिए। डीएसबी सेवा ग्राहक के निवेदन करने से 3 घंटे के भीतर पूरी हो होनी चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि वह डीएसबी सेवा के लिए सीधे आइबीए के निगरानी में है।

डोर स्टेप बैंकिंग की कुछ मुख्य विशेताएँ निमन्वत हैं –

1. सुरक्षित एवं झंझटरहित बैंकिंग : बैंकों के लिए ग्राहकों को सुरक्षित बैंकिंग प्रदान करना एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है। आपको भले ही इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए एक अपरिचित व्यक्ति के साथ बैंकिंग लेनदेन करना पड़े। पर विश्वास कीजिए, यह उतनी ही सुरक्षित है, जितना कि इन्टरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग। डोर स्टेप बैंकिंग संबंधी वित्तीय एवं गैर वित्तीय लेनदेन को पूरा करने में 3 लोगों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है – ग्राहक, बैंक और प्रशिक्षित डीएसबी एजेंट। डोर स्टेप बैंकिंग के लिए ग्राहकों के द्वारा निवेदन करने के पश्चात, बैंक यथाशीघ्र इस लेनदेन को पूर्ण करने के लिए एक डीएसबी एजेंट को प्रतिनियुक्त करेगा। बैंक ग्राहक और एजेंट के साथ एक कोड साझा करता है, जो कि लेनदेन को पूर्ण करने की एक अहम एवं सुरक्षित कड़ी है। डीएसबी एजेंट बैंकिंग लेनदेन को पूर्ण करने हेतु प्रशिक्षित होते हैं और संबन्धित कंपनी के द्वारा उन्हें पहचान पत्र और ड्रेसिंग कोड प्रदान किया जाता है। डीएसबी एजेंट ग्राहक के घर पर पहचान पत्र एवं कंपनी के द्वारा प्रदान किए गए ड्रेस को पहन कर पहुँचते हैं। बैंकों द्वारा डीएसबी संबंधी लेनदेन को पूर्ण करने के लिए समय – सीमा भी निर्धारित की गई है। ग्राहकों द्वारा डोर स्टेप बैंकिंग (डीएसबी) प्राप्त करने के लिए दोपहर 03.00 बजे तक निवेदन करने पर, बैंक को यह सेवा 3 घंटे के भीतर प्रदान करनी पड़ती है और दोपहर 03.00 बजे के बाद या छुट्टी वाले दिन निवेदन करने पर, बैंक को यह सेवा अगले दिन प्राथमिकता देते हुए दोपहर 01.00 बजे तक ग्राहकों को प्रदान करनी होती है।

2. समय की बचत : भौतिकतावादी दौर में समय का महत्व किसी कीमती पत्थर से कम नहीं है। समकालीन समय में लोगों के पास सब कुछ है, पर किसी को देने के लिए समय नहीं है। ग्राहकों को बैंक जैसी जगह पर आकर अपना महत्वपूर्ण समय देना बहुत अधिक खलता है। अब ग्राहक वित्तीय व गैर वित्तीय लेनदेनों को पूरा करने के लिए, बैंक परिसर में आने के लिए इच्छुक नहीं हैं। शायद यही मुख्य वजह है कि हमारे मोबाइल बैंकिंग एवं इन्टरनेट बैंकिंग को अद्भुत सफलता प्राप्त हुई। बैंकों ने मोबाइल बैंकिंग एवं इन्टरनेट बैंकिंग के द्वारा ग्राहकों को उनके फिंगर टिप्स पर 24*7 बैंकिंग प्रदान कर, उन्हें खूब लुभाया है और साथ ही अपने व्यवसाय में चार – चाँद लगवाए। ग्राहकों के लिए उत्तम ग्राहक सेवा प्रदान करने के क्रम में - डोर स्टेप बैंकिंग एक नवीन सेवा है, जो ग्राहक को उनके द्वार पर बैंकिंग (वित्तीय व गैर वित्तीय) लेनदेन करने की सुविधा प्रदान करती है। डोर स्टेप बैंकिंग के द्वारा ग्राहक अपने सुविधानुसार समय तय कर अपने आवास पर, बैंकिंग लेनदेन कर रहे हैं।

3. ग्राहकों को वरीयता : डोर स्टेप बैंकिंग सेवा प्रदान करने के लिए एक भौगोलिक दायरा तय किया गया है। यह सुविधा डीएसबी एजेंट के माध्यम से सिर्फ 5 से 10 कि.मी. की परिधि में ही प्रदान की जाती है। बैंक इस सेवा के माध्यम से ग्राहकों को उनके द्वार पर बैंकिंग सेवा त्वरित रूप से प्रदान करने में सफल हो रहे हैं। और साथ ही उत्कृष्ट ग्राहक सेवा की मिसाल भी पेश कर रहे हैं। डीएसबी एजेंटों की भौगोलिक सीमा तय कर देने के कारण ग्राहकों को वरीयता देते हुए बैंकिंग सेवा प्रदान करना संभव हो सकता है। यह सेवा बैंक और ग्राहक के मध्य मधुर संबंध स्थापित कर रही है।

4. पुख्ता शिकायत निवारण तंत्र : विवाद की स्थिति में, ग्राहक डीएसबी लेनदेन संबंधी अपनी कोई भी शिकायत डीएसबी के ग्राहक देखभाल कक्ष के कार्यपालक से कर सकते हैं। किसी भी विवाद की स्थिति में, ग्राहक डीएसबी से जारी लेनदेन एवं पूरे किए गए लेनदेन संबंधी शिकायत दर्ज करने के लिए स्वतंत्र हैं। डीएसबी शिकायत निवारण कक्ष, संबंधित बैंक के साथ मिलकर ग्राहक समस्या का समाधान करता है एवं ग्राहक की शिकयात के निवारण के पश्चात पावती भी देता है। यदि डीएसबी द्वारा ग्राहक की शिकायत का निवारण 2 सप्ताह के भीतर नहीं किया जाता है, तो ग्राहक की शिकायत स्वत: यूको बैंक (एंकर बैंक) को यथाशीघ्र समाधान करने के लिए अग्रेषित हो जाती है और संयोजक बैंक (यूको बैंक) उसका समाधान कर, ग्राहक को पावती देता है।

5. बैंकिंग स्टाफ का अन्य कार्यों में उपयोग : इस सेवा के शुभारंभ से बैंकों को दोहरा लाभ हो रहा है। प्रथमत: ग्राहक सेवा में अनायास वृद्धि हुई है और बैंक परिसर में आकर दैनिक रूप से लेनदेन करने वाले ग्राहकों की संख्या में कमी आई है और द्वितीय बैंक अपने स्टाफ सदस्यों का उपयोग अन्य प्रभावी व लाभप्रद कार्यों में कर पा रहे हैं। बैंक अपने तुलन पत्र को मजबूत बनाने के लिए एनपीए को कम करने, गुणवत्ता परक अग्रिम व कासा में लगातार वृद्धि करने पर बल देते रहे हैं। एनपीए में लगातार गिरावट लाने एवं नई स्लिपेजों को रोकने में स्टाफ सदस्यों का सहयोग बहुत आवश्यक है। बैंक स्टाफ सदस्यों पर दैनिक कामकाज की जिम्मेवारी कम होने पर, वे अपना बचा हुआ समय बैंक के व्यवसाय को बढ़ाने हेतु प्रयोग कर पाएंगे।

निष्कर्ष : वर्तमान में डीएसबी दो चयनित सेवा प्रदाताओं के माध्यम से 100 चयनित केन्द्रों पर मुख्य बैंकिंग सेवाएँ प्रदान कर रही है। ग्राहक इस सेवा का लाभ मोबाइल एप, वेब पोर्टल एवं कॉल सेंटर के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। चयनित सेवाप्रदाता डीएसबी एजेंट भेजकर ग्राहकों के डीएसबी संबंधी लेनदेन पूरे कर रहे हैं। यह सर्वविदित है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक लाभ अर्जन करने के साथ – साथ सामाजिक कल्याण पर भी बल देते हैं। डोर स्टेप बैंकिंग (डीएसबी) एक सामाजिक कल्याणकारी एवं नवोन्मेषी पहल है, जो निस्संदेह ग्राहकों को पसंद आएगी। इस सेवा के माध्यम से बैंकों के लिए लाभ अर्जन करने का एक नया मार्ग भी खुला है। ग्राहकों को इस सेवा का लाभ उठाने संबंधी जागरूकता फैलाने का कार्य शाखा स्तर पर अधिक से अधिक किया जाना चाहिए। ग्राहकों को इस सेवा की जानकारी उनके ई-मेल एवं फोन पर मैसेज के जरिए भेजी जानी चाहिए। डीएसबी का उन्नत कार्यान्वयन - उसकी ब्रांडिंग व मार्केटिंग, पुख्ता शिकायत निवारण तंत्र, जोखिम न के बराबर होने और परस्पर निगरानी के द्वारा हो सकता है। इस सेवा के माध्यम से बैंकों के राजस्व में भी वृद्धि होगी। ग्राहकों में यह विश्वास जगाना अनिवार्य है कि डीएसबी एक सुरक्षित सेवा है, जो कि प्रशिक्षित एजेंटों के माध्यम से प्रदान की जा रही है। फिर भी यह एक नयी सेवा है, सुरक्षा के दृष्टि से इसे और अधिक उन्नत बनाने पर बल दिया जाना अभी शेष है। हम सभी की यह जिम्मेदारी है कि इस सेवा का प्रचार – प्रसार करें एवं इसकी खूबियों एवं कमियों पर विचार – विमर्श कर, डीएसबी सेवा को और उन्नत बनाएँ।

कविता

कोरोना काल में हिन्दी

राजीव सिंह चौधरी
लिपिक
क्षेत्रीय कार्यालय, देहारादून

कोरोनाकाल में हिन्दी का प्रयोग घटा है।
दहशत की जगह 'पैनिक' शब्द आ डटा है।

वायरस देखकर हिन्दी शब्दों की ख़पत घटी है।
अब हमारी बातचीत में विटामिन-सी, जिंक, स्टीम और इम्यूनिटी है।

उधर 'सकारात्मक' की जगह 'पॉजिटिव' शब्द ने हथियाई है।
इधर 'नेगेटिव' होने पर भी खुशी है, बधाई है।

अब ज़िन्दगी में 'महत्वपूर्ण कार्य' नहीं 'इम्पोर्टेन्ट टास्क' हैं।
हमारे नए आदर्श अब हैंडवाश, सेनिटाइजर और मास्क हैं।

हिन्दी के अनेक शब्द सेल्फ क्वारेन्टीन हैं।
कुछ आइसोलेशन में हैं, कुछ बेहद ग़मगीन हैं।

इस कोरोनाकाल में, हमारे साथ, हिन्दी की शब्दावली भी डगमगाई है
वो तो सिर्फ "काढ़ा" है जिसने हिन्दी की जान बचाई है।

शब्द-शब्दांतर

शब्द	उच्चारण	उद्भव	अर्थ
Interregnum	In -ter-reg-nuhm	लैटिन	अंतर्काल
Vivacious	vi-vey-shuhs	लैटिन	ज़िंदादिल
Chafe	Cheyf	मध्यकालीन अंग्रेज़ी	क्रोध / मसलना
Pari-pasu	Pah-ree pahs-soo	लैटिन	एक ही वक़्त में/ समान रूप में
Exacerbate	Ig-zas-er-beyt	लैटिन	बढ़ाना / गहरा बनाना
Virtuous	Vur-choo-uhs	लैटिन	धार्मिक / भद्र
Verite	Vey-ree-tey	फ्रेंच	सत्य
Insipid	In-sip-id	लैटिन	नीरस / बेस्वाद
Naïve	Nah-eev	फ्रेंच	अनुभवहीन / निष्कपट
Pliable	Plahy-uh-buhl	फ्रेंच	लचीला / कोमल
Belligerent	Buh-lij-er-uhnt	लैटिन	युद्धरत / लड़ाकू / जुझारू
Plethora	Pleth-er-uh	ग्रीक	बहुतायत
Deterrence	Dih-tur-uhns	लैटिन	अवरोध
Accolades	Ak-uh-leyd	फ्रेंच	पुरस्कार / प्रशंसा
Crankle	Krang-Kuhl	मध्यकालीन अंग्रेज़ी	ऐंठन / पेंच
Abecedary	Ey-bee-see-duh-ree	मध्यकालीन अंग्रेज़ी	अभद्र
Praecipe	Pree-suh-pee	मध्यकालीन अंग्रेज़ी	आदेश
Coddle	Kod-l	लैटिन	सेवा-सुश्रुशा करना / लाड़ प्यार करना
Glitzy	Glit-see	जर्मन	जादुई / चमकदार
Imagineer	Ih-mai-uh-neer	मध्यकालीन अंग्रेज़ी	कल्पना करने वाला
Irenic	Ahy-ree-nik	ग्रीक	शांतिप्रिय
Zeitgeber	Tsahyt-gey-ber	जर्मन	घड़ी / टाइमर
Friable	Frahy-uh-buhl	लैटिन	नाज़ुक / भुरभुरा / उपयुक्त
Triclinium	Trahy-klin-ee-uhm	लैटिन	खाने की मेज से युक्त कमरा
Eldritch	El-drich	मध्यकालीन अंग्रेज़ी	अलौकिक / अदभुत / विलक्षण
Perfervid	Per-fur-vid	लैटिन	उत्साही/ जोशीला
Gloaming	Gloh-ming	मध्यकालीन अंग्रेज़ी	संध्या का मन्द प्रकाश
Modicum	Mod-i-kuhm	मध्यकालीन अंग्रेज़ी	अल्पांश
Duplicitous	Doo-plis-i-tuhs	लैटिन	द्वैधपूर्ण
Obstreperous	Uhb-strep-er-uhs	लैटिन	प्रचंड / कोलाहलमय
Indelible	In-del-uh-buhl	लैटिन	अमिट
Extramundane	Ek-struh-muhn-deyn	लैटिन	अलौकिक

नेहा रंजन
सहायक प्रबन्धक
केंद्रीय कार्यालय

तोल मोल के बोल

फ़णीष मणि त्रिपाठी, प्रबन्धक, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची

ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए
औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होय ॥

वाणी मनुष्य के लिए ईश्वर की दी हुई बहुमूल्य देन है। आपकी वाणी आपके व्यक्तित्व की परिचायक होती है। तभी संत कबीरदास जी अपने दोहे में वाणी के महत्व को रेखांकित करते हुए कहते हैं कि लोगों को अपनी वाणी में मधुरता रखनी चाहिए क्योंकि मधुर वाणी न सिर्फ आपके मन- मस्तिष्क को शीतल करती है बल्कि सुनने वाला भी खुश हो जाता है। हालाँकि यह आदर्श स्थिति ही होगी कि मनुष्य जो परिस्थितियों के अनुरूप व्यवहार करता है उससे यह अपेक्षा की जाए कि वह हरेक हालात में अपनी वाणी पर संयम रखे। जब देवता तक अपनी वाणी पर अपना संयम खो देते हैं तो मनुष्य से ऐसी अपेक्षा कैसे की जा सकती है कि वो एक सा व्यवहार करे। हम जानते हैं कि तलवार का घाव देर- सवेर भर जाता है पर कटु वचनों से दिया हुआ घाव कभी नहीं भरता। जब मनुष्य कुछ गलत होते हुए देखता है , अन्याय का सामना करता है , विपरीत हालात में पड़ता है तो उसका धीरज जवाब दे जाता है और वाणी में कठोरता आ जाती है।

मनुस्मृति में कहा गया है ,

"पारुष्यमनृतं चैव पैशुन्यं चापि सर्वशः
असम्बद्धप्रलापश्च वाङ्मय स्याच्चतुर्विधम्"

वाणी में कठोरता , झूठ बोलना , परनिंदा और व्यर्थ बातें बनाना – ये वाणी के चार दोष हैं। इन दोषों से बचने वाला व्यक्ति हमेशा खुश और संतुष्ट रहता है। परंतु बत्तीस दाँतों के बीच सुरक्षित रहने वाली जीभ जब बेलगाम हो जाती है तो मनुष्य कुछ भी बोलने लगता है। यही वजह है कि वाणी को नियंत्रित करना बेहद जरूरी है। लोकतंत्र में जहाँ लोगों के द्वारा और लोगों की चुनी हुई सरकारें होती है , वहाँ लोगों को अपने सरकार की नुक्ताचीनी और उनके कामकाज की आलोचना करने का हक होता है। तभी संविधान बनाते समय , उसमें बोलने की आज़ादी के अधिकार का प्रावधान किया गया था। सरकार की कार्यप्रणाली से आप खुश नहीं हैं , सरकार की नीति, उसके बनाए कानून आम जनता के हित में नहीं लगते तो, चाहे आप किसी भी धर्म, जाति, वर्ग से आते हों, आपको उसके खिलाफ आवाज उठाने और बोलने की पूरी आज़ादी है। सिर्फ सरकार ही क्यों, आप अपने इर्द-गिर्द होने वाली या दुनियावी घटना पर भी बोलने, लिखने या कलात्मक पेंटिंग के ज़रिए उस पर अपने विचार रखने का हक़ रखते हैं। इसमें किसी भी तरह की रोक-टोक नहीं है। विरोधों की अभिव्यक्ति कला के माध्यम से भी की जा सकती है।

हमारे संविधान में भी विचारों की अभिव्यक्ति की आज़ादी पर ज़ोर दिया गया है और लोकतंत्रात्मक राज्य की स्थापना के लिए इसे महत्वपूर्ण माना गया है।

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को :

न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक,

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता,

प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा,

उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करनेवाली बंधुता बढाने के लिए,

दृढ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई0 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।"

संविधान के निर्माताओं ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को तरज़ीह दी है और इसके लिए बाकायदा संविधान के अनुच्छेद 19(1) में प्रावधान

किया गया है। प्रत्येक नागरिक को

1. बोलने और अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता होगी
2. वे बिना हथियारों के एकत्रित हो सकेंगे
3. वे संगठन या संघ बना सकते हैं
4. भारतीय सीमा क्षेत्र में आज़ादी से घूम सकते हैं
5. भारत की सीमा के भीतर वे कहीं भी रह या बस सकते हैं और
6. वे किसी भी नौकरी, पेशे, व्यापार या कारोबार को अपना सकते हैं।

हालाँकि हर आज़ादी के साथ अनुशासन भी जरूरी है तभी आज़ादी की सार्थकता बनी रहती है। यही वजह है कि अनुच्छेद 19 की धारा 2 में उन प्रावधानों और स्थितियों का उल्लेख किया गया है जहाँ इस स्वतंत्रता को सीमित या विलंबित किया जा सकता है। इस धारा के अनुसार सरकार ऐसे कानून बना सकती है जिसके ज़रिए इन अधिकारों के उपयोग पर उपयुक्त पाबंदी लगाई जा सके। जैसे जब भी देश की एकता और अखण्डता की बात आएगी, देश की सुरक्षा का मुद्दा होगा , दूसरे देशों से दोस्ताना संबंध की बात होगी , लोक व्यवस्था या अदालत की अवमानना या अपराध भड़काने की बात होगी तब अभिव्यक्ति की आज़ादी का कानून आड़े नहीं आएगा। जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर कोई भी चौराहे पर खड़ा होकर देश के ख़िलाफ अनाप- शनाप नहीं बोल सकता है। बोलने की आजादी है पर भड़काऊ भाषण देकर, लोगों को उकसा कर दंगा कराना, इस आजादी का गलत फायदा उठाना माना जाएगा और फिर कानून के दायरे में उपयुक्त कार्रवाई की जा सकती है । आप देश की सैन्य रणनीति, सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील और गुप्त बातों को अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर सार्वजनिक रूप से नहीं बोल सकते । आप सरकारी नीति से सहमत होने पर अपनी आवाज़ शाँतिपूर्वक बुलंद कर सकते हैं परंतु हिंसात्मक विरोध करने पर कानून व्यवस्था का मामला बन सकता है। अभिव्यक्ति की आज़ादी और उसके नाम पर किए जाने वाले उत्पात में बेहद बारीक सा फर्क है।

हालाँकि समय- समय पर इन अधिकारों के हनन या इनके दुरुपयोग्व को लेकर कई विवाद हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणियाँ भी की हैं। 2016 में जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय में छात्रों की एक सभा में "आज़ादी, आज़ादी" और "भारत तेरे टुकड़े होंगे " जैसे नारों को देश के ख़िलाफ माना गया और भीड़ में इन नारों को उछालने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस द्वारा "देश-द्रोह" का केस दर्ज किया गया था। इस मामले में तत्कालीन जेएनयू छात्रसंघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को जमानत देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने एक तरफ तो यह माना कि जेएनयू का प्रेसिडेंट होने के नाते उन्हें कैंपस में होने वाले राष्ट्र विरोधी आयोजन के खिलाफ और जिम्मेदाराना रवैया अपनाना चाहिए था। कोर्ट ने यह भी कहा कि नागरिकों को मौलिक अधिकार के साथ मौलिक दायित्व भी दिए गए हैं जिनका उन्हें पालन करना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने यह भी माना कि देश विरोधी नारे देश की राष्ट्रीय एकता को प्रभावित नहीं करते। हाँ, इन नारों से उन शहीद सैनिकों के परिवारों की भावना ज़रूर आहत हो सकती हैं जिन्होनें अपनों को खोया है। हाई कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी कि यह एक संक्रमण की तरह है जिससे छात्र ग्रसित हैं और समय रहते इसे नियंत्रित किया जाना चाहिए ताकि यह महामारी का रूप ना ले ले। कन्हैया कुमार के समर्थक यही मानते हैं कि पुलिस की कार्रवाई संवैधानिक अधिकारों पर कुठाराघात है और इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रोका जा रहा है।

इसके बाद एक और घटना में जेएनयू के पीएचडी स्कॉलर रहे शरज़िल इमाम पर भड़काऊ भाषण देने और लोगों को हिंसा के लिए उकसाने के आरोप में देशद्रोह का मुकदमा दर्ज़ किया गया। शरज़िल ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों की सभा के दौरान असम को भारत से अलग करने के लिए रेल पटरियाँ जाम करने की बात कही थी ताकि सरकार मुसलमानों की आवाज़ पर गौर करे। इसके अलावा उन पर दिल्ली के जामिया यूनिवर्सिटी कैंपस और शाहीन बाग में भी भड़काऊ भाषण देने को लेकर मामले दर्ज़ किए गए । जाने-माने वकील प्रशांत भूषण के कोर्ट की अवमानना के मामले में सुनवाई करते हुए देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि "अदालत के निर्णय की निष्पक्ष आलोचना कानून में स्वीकार्य है लेकिन कोई भी व्यक्ति संविधान में प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की आड़ लेकर किसी संस्थान को विवादों में नहीं खींच सकता है। संविधान निर्माताओं ने अभिव्यक्ति की आज़ादी दी है लेकिन ये आजादी कुछ शर्तों और पाबन्दियों के साथ है।

अभी पिछले दिनों पुणे के रहनेवाले कुछ लोगों ने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है और मांग की है कि मीडिया के रेगुलेशन के लिए दिशानिर्देश बनाए जाएँ और एक निष्पक्ष मीडिया ट्राइब्यूनल का गठन किया जाए ताकि मीडिया के क्रियाकलापों के खिलाफ दायर होने वाले मामलों का निपटान किया जा सके। याचिका में कुछ सवाल उठाए गए हैं कि क्या संविधान में प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकार आम लोगों के लिए शर्तों के साथ है? क्या प्रेस को आम लोगों से अधिक अभिव्यक्ति की आज़ादी है? क्या प्रेस को विशेष दर्जा प्राप्त है? क्या प्रेस "फ्री स्पीच" के नाम पर गलत खबरें प्रसारित कर सकते हैं, फर्जी खबर दिखा सकते हैं, नफरत फैलाने वाले भाषण दिखा सकते हैं, पेड न्यूज़ ब्रॉडकॉस्ट कर सकते हैं, सांप्रदायिक और द्विअर्थी रिपोर्टिंग कर सकते हैं?

याचिका में कहा गया है कि अदालत के सामने मुख्य मुद्दा यह है कि वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मीडिया की अभिव्यक्ति में एक संतुलन बनाने की कोशिश करे। कोर्ट ने इस मामले में सरकार और भारतीय प्रेस परिषद को नोटिस भेजा है।

"इलाही ख़ैर वो हरदम नई बेदाद करते हैं।
हमें तोहमत लगाते हैं जो हम फरियाद करते हैं।"

फरियाद करना गलत नहीं होता परंतु एक सीमा और मर्यादा में रहते हुए।संविधान के अनुच्छेद 19 में भी संविधान निर्माताओं ने बोलने की पूरी आज़ादी दी है। पर उन अधिकारों पर ऐसी पाबंदियाँ भी लगाई गई हैं जिससे कि कोई अधिकार का गलत इस्तेमाल न करे। यदि सरकार की नीति लोक हित का सम्मान नहीं करती है तो कोई भी कानून उसका विरोध करने से नहीं रोकता। परंतु गाँधीजी ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ आवाज़ उठाई, देश की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों को चुनौतियाँ दी। पर ये सब करने का उनका तरीका अहिंसा और शांति का था। क्या हम लोग संविधान के निर्माताओं की प्रतिष्ठा में मिले अधिकारों का सम्मान करते हुए अपनी मांग नहीं रख सकते? देश के ख़िलाफ युद्ध छेड़ने और हिंसा के लिए उकसाने वाले भाषणों की जरुरत नहीं है। विरोध और असहयोग के लिए गाँधीजी का रास्ता सर्वदा उपयुक्त है। फैज़ ने क्या ख़ूब कहा है – "बोल की लब आज़ाद हैं तेरे"। आइए बोलें और खुलकर बोलें, जो गलत है उसके ख़िलाफ, जो नाज़ायज़ है उसके ख़िलाफ। पर बोलते हुए बोलने की मर्यादा तार-तार न होने पाए, इसका भी ख़्याल रखें। बेकाबू बोल अपने मायने और सार्थकता खो देते हैं तभी तो बड़े यही सिखाते हैं कि तोलमोल के बोल!

कविता

पिता

प्यार का सागर ले आते
फिर चाहे कुछ न कह पाते।
बिन बोले ही समझ जाते।
दुःख के हर कोने में
खड़ा उनको पहले से पाया।
छोटी सी उंगली पकड़कर
चलना उन्होंने सिखाया।
जीवन के हर पहलू को
अपने अनुभव से बताया।
हर उलझन को उन्होंने
अपना दुःख समझ सुलझाया।

दूर रहकर भी हमेशा
प्यार उन्होंने हम पर बरसाया।
एक छोटी सी आहट से
मेरा साया पहचाना,
मेरी हर सिसकियों में
अपनी आँखों को भिगोया।
आशीर्वाद उनका हमेशा हमने पाया।
हर ख़ुशी को मेरी पहले उन्होंने जाना
असमंजस के पलों में,
अपना विश्वास दिलाया।
उनके इस विश्वास को
अपना आत्म विश्वास बनाया।
ऐसे पिता के प्यार से
बड़ा कोई प्यार न पाया।

परमिंदर कौर
सहायक प्रबंधक, मेरठ क्षेत्र

मैरी आर – स्कॉटलैंड की रानी

शुभम दीक्षित, सहायक प्रबन्धक, केंद्रीय कार्यालय

आज जो ख़त हम आपके लिए ले कर आए हैं उसे स्कॉटलैंड की रानी मैरी स्टुअर्ट ने सज़ा की तामील किए जाने के 6 घंटे पूर्व अपने पहले पति के भाई हैनरी III के नाम लिखा था। मैरी स्टुअर्ट के बारे में अगर बात की जाए तो वो मृत्यु के 20 साल पहले तक या तो बंदी थी या उस पर मुकदमा चल रहा था और ये सब उसकी चचेरी बहन एलीजाबेथ I के आदेश पर हुआ। लगभग 18 साल 6 माह की हिरासत के बाद मैरी पर रानी एलिज़ाबेथ की हत्या के प्रयास का दोष सिद्ध हो गया और नवसृजित कानून के अनुसार और 8 फरवरी 1587 को 300 से अधिक लोगों की उपस्थिति में मैरी का सिर धड़ से अलग कर (उस समय मृत्यु दंड दिए जाने के लिए यही प्रक्रिया प्रचलित थी) दिया गया।

ख़त

स्कॉटलैंड की रानी

8 फरवरी 1587

मेरे शाही भाई, मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे पापों के लिए ईश्वर ने मुझे सत्ता पर काबिज़ मेरी चचेरी बहन की सत्ता के अधीन ला पटका है, जिसके हाथों लगभग 20 सालों तक यातना दिए जाने के बाद अब अंत में मुझे मेरे चचेरी बहन और उसके साम्राज्य द्वारा मृत्यु दंड दिया जा रहा है। मैंने, छीने गए अपने कागज़ों की मांग की थी, जोकि उन्होंने सिर्फ इसलिए छीन लिए कि कहीं मैं अपनी विल (इच्छा पत्र) न बना लूँ। मेरे भाई, मुझे ऐसा कुछ भी हासिल नहीं हो सका जो मेरे काम आ सकता था। यहाँ तक कि मुझे मेरी मर्ज़ी के मुताबिक मेरी विल बनाने या मेरी मौत के बाद मेरे शरीर को तुम्हारे साम्राज्य, जहाँ मुझे एक रानी, तुम्हारी बहन और पुरानी मित्र होने का सम्मान प्राप्त था, तक पहुंचवाने तक की इजाज़त नहीं मिली।

मुझे बताया गया है कि आज रात के खाने के बाद मुझे मार दिया जाएगा : मुझे सुबह आठ बजे एक अपराधी की तरह मौत दी जाएगी। जो कुछ मेरे साथ हुआ है, यहाँ बताने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है लेकिन अगर तुम मेरे डॉक्टर या मेरे उन दुर्भाग्यशाली सेवादारों से बात करोगे तो तुम सच को जान पाओगे। मैं मौत को मात देने के लिए ईश्वर का किस तरह शुक्रिया अदा करूँ, कि भले ही मैं इस सब के लिए उनकी नज़रों में दोषी हूँ मगर मैं उससे (ईश्वर से) बिना किसी गुनाह के मिलूँगी। "कैथलिक विश्वास और मेरे ईश्वर का दावा है", इन दो कथनों ने अंग्रेज़ी तख़्त को मुझे मारने का अधिकार दे दिया है और इस सब के बावजूद भी मुझे ये कहने का आधिकार नहीं है कि "ये कैथोलिक धर्म ही है जिसके लिए मैं मर रही हूँ या कि दूसरों के साथ हस्तक्षेप के डर के लिए"। इस बात का सबूत ये है कि उन्होंने मेरे पादरी को इस इमारत में रहते हुए भी उसे मुझ से दूर कर दिया। मैं अपने गुनाह कुबूल करने और अंतिम संस्कारों (सेक्रेमेंट -विशेष रूप से ईसाई धर्म से जुड़े संस्कार) के लिए भी अपने पादरी को अपने पास बुलवाने की इजाज़त तक नहीं दिलवा सकी। हालांकि वो इस बात पर तवज्जो दे रहे हैं कि इस काम के लिए यहाँ लाए गए उनके मंत्रियों की हिदायतें और सांत्वना मुझ तक बराबर पहुँचती रहें।

तुम तक ये ख़त पहुँचाने वाला और उसके ज़्यादातर साथी अब तुम्हारे अधीन हैं, ये तुम्हें इस आख़री घड़ी में मेरे आचरण की गवाही देंगे। हालांकि उस सर्वश्रेष्ठ ईसाई महामहिम ने मेरे प्रति तुम्हारे प्रेम का हमेशा विरोध किया है। लेकिन मेरे देवर और पुराने दोस्त अब मेरे पास तुमसे भीख मांगने को भी सिर्फ यही बचा है कि तुम नीचे लिखी बातों पर अमल कर अपनी

अच्छाई का सबूत दो : दान करके सबसे पहले मेरे उन दुर्भाग्यपूर्ण सेवादारों के बकाया मेहनताने का भुगतान कर देना, ये मेरी चेतना पर एक भार के समान है जिसे केवल तुम ही उतार सकते हो। साथ में उस रानी के लिए दुआएं पढ़वाना जिसको मारने से पहले उसका सब कुछ छीन लिया गया। वो जो एक ईसाई की तरह पैदा तो हुई मगर एक कैथलिक की मौत मर रही है। मेरा बच्चा जब तक किसी लायक नहीं हो जाता, मैं उसे तुम्हारे हवाले कर के जा रही हूँ। मैंने दो कीमती पत्थरों को तुम्हें भेजने की छूट ले ली है जिनमें से एक तावीज़ है। मैं इन्हें तुम्हारे पास इस उम्मीद के साथ भेज रही हूँ कि तुम एक लंबा, स्वास्थ्य और सु:खद जीवन जिओगे। उन्हें अपनी प्यारी भाभी, जोकि अब बस मरने ही वाली है, की ओर से स्वीकार करो। ये तुम्हारे प्रति मेरी गुनगुनी भावनाओं का एहसास दिलाते रहेंगे। मैं दोबारा अपने सेवादारों को तुम्हें सौंपती हूँ। मेरी आत्मा के ख़ातिर मुझ पर किए तुम्हारे एहसानों का भुगतान किया जाना चाहिए और अगर तुम चाहो तो इस संबंध में आदेश दे सकते हो और इसके लिए कल मेरे मरने के बाद मैं यीशु से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी। मुझे एक स्मारक और प्रथागत उपनाम दिया जाना तय हुआ है। बुधवार, सुबह 2 बजे

तुम्हारी सबसे प्यारी और सबसे भरोसेमंद बहन

मैरी आर

देशकाल

ख़त तो आपने पढ़ लिया, अब ज़रा खत की भूमिका को समझ लेना बेहतर होगा। क्वीन ऑफ इंग्लैंड - एलिजाबेथ प्रथम और क्वीन ऑफ स्कॉट्स – मैरी, आज तक के इतिहास की सबसे महान प्रतिद्वंद्वियों में से एक थीं। एक तरफ थी एलिजाबेथ, एक कुंवारी रानी जिसने राजनीति, शान, शासन और सामरिक मुद्दों के अलावा कभी कुछ नहीं जाना। क्वीन एलिजाबेथ, जिसके सानिध्य में इंग्लैंड फला-फूला, संगठित हुआ और उसने कला तथा साहित्य के क्षेत्र में कई कीर्तिमान स्थापित किए। वहीं दूसरी ओर थी मैरी आर, एक शानदार स्त्री जिसका जीवन रोमांस और लापरवाहियों से भरा हुआ था, उसने अपना जीवन तमाम संघर्षों के बीच एक जगह से दूसरी जगह यायावरों सा जिया। वैसे कहने के लिए तो दोनों चचेरी बहनें थीं जिनके सम्बन्धों के सिरे हैनरी VI पर जा कर मिलते हैं मगर ब्रिटिश तख़्त पर दावे को लेकर दशकों तक उनके बीच चला मौखिक और कूटनीतिक युद्ध सन 1587 में मैरी की मौत की सज़ा की तामील के साथ समाप्त हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ अचानक हो गया इन दोनों चचेरी बहनों के सम्बन्धों में बहुत पहले ही कड़वाहट घर कर चुकी थी। ये कटुता, ईर्ष्या और द्वेष इतना अधिक था कि ये मैरी की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो सका। हम एक-एक कर दोनों रानियों के बारे चर्चा करेंगे और मैं इस किस्से की शुरुआत अपने पसंदीदा किरदार एलिजाबेथ प्रथम से करना पसंद करूंगा।

एलिजाबेथ का जन्म ग्रीनविच पैलेस में 7 सितंबर 1533 को राजा हेनरी VIII और उनकी दूसरी पत्नी ऐनी बोलिन से हुआ था। राजसी परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी एलिजाबेथ को विधिक संतान की मान्यता प्राप्त नहीं थी। यहाँ ये बात नोट की जानी चाहिए कि उस वक्त तक चर्चों का सत्ता में बहुत अधिक हस्तक्षेप हुआ करता था। शायद यही कारण था कि हेनरी VIII को अपनी दूसरी पत्नी ऐनी और अपनी बेटी मैरी को वैध पत्नी व पुत्री के रूप में मान्यता दिए जाने के लिए कैथोलिक चर्च से गुहार लगानी पड़ी मगर चर्च ने इसे मान्यता देने से साफ इंकार कर दिया। चर्च का अपना तर्क था कि हेनरी VIII ने ऐनी से शादी करने के लिए अपनी पहली पत्नी कैथरीन और अपनी पहली बेटी को अवैध घोषित करते हुए शाही खानदान से अलग कर दिया था, जो किसी भी तरह न्याय व तर्क संगत नहीं था और इसी कारण वे ऐनी के दूसरे विवाह को मान्यता नहीं दे सकते। अगर हम इतिहास की पड़ताल करें तो हेनरी VIII और चर्च के संबंध में कटुता लाने और आगे चल कर उन सम्बन्धों के समाप्त हो जाने का यही एक प्रमुख कारण भी बना। हालांकि हेनरी VIII की पुत्र की कमना कभी नहीं मिटी और इसी के चलते जब एलिजाबेथ 2 साल 8 महीने की थी तब हेनरी VIII ने ऐनी को मृत्युदंड दे कर मरवा दिया। पहले की ही तरह एलिजाबेथ को भी अवैध संतान घोषित करते हुए शाही परिवार से निकाल दिया गया। पुत्र की चाहत के चलते हेनरी VIII ने अपनी दूसरी पत्नी की मृत्यु के 11 दिनों बाद ही जेन सेमोर से शादी कर ली लेकिन वो भी अगले राजा, राजकुमार एडवर्ड को जन्म देते ही मर गई। इतिहासकारों का मानना है कि अगर एलिजाबेथ की माँ ऐनी, एलिजाबेथ की जगह एक बेटे को जन्म देतीं तो शायद उनके विवाह को चर्च से मान्यता मिल जाती क्योंकि राज्य बहुत लंबे समय से उत्तराधिकारी के लिए इंतज़ार में था।

एलिजाबेथ का होना हर तरह से हेनरी VIII के लिए अप्रत्याशित था। इस बात को विरोधी राजदूत 'यूस्टेस चैपुयस' इतिहास के पन्नों पर कुछ इस तरह दर्ज़ करते हैं, **"महाराज की पत्नी ने एक पुत्री को जन्मा, जोकि राजा और रानी दोनों ही के लिए एक महान दु:ख का कारण था। जबकि इस सब से इतर चिकित्सकों, ज्योतिषियों, जादूगरों और चुड़ैलों ने दावा किया था कि इस बार उन्हें पुत्र की ही प्राप्ति होगी।"** हेनरी VIII द्वारा अवैध घोषित किए जाने का सीधा असर एलिजाबेथ की परवरिश के ऊपर पड़ा। हालांकि ये अज्ञात ही है कि तीन वर्षीय

एलिजाबेथ को उसकी माँ की मृत्यु के बारे में तब तक पता था या नहीं । लेकिन एक बात निश्चित रूप से कही जा सकती है कि एलिजाबेथ का बचपन किसी भी मायने में आसान नहीं रहा। हेनरी VIII के द्वारा एलिजाबेथ की माँ को फांसी दिए जाने के बाद एलिजाबेथ के लिए भी एक हद तक खतरा बढ़ गया और इसके मद्देनज़र एलिजाबेथ को राजमहल और राजा की नज़रों से दूर एक साधारण से छोटे घर में मारग्रेट नाम की सेविका के साथ रखना एक बेहतर विकल्प समझा गया। माँ की मृत्यु के बाद उस छोटे से घर में एलिजाबेथ का बचपन बहुत अधिक विपन्नावस्था में गुज़रा। इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता ही कि एक वक्त आते-आते एलिजाबेथ के पास पहनने के लिए ठीक-ठाक कपड़े तक नहीं बचे थे और मदद के लिए एलिजाबेथ को रॉयल कोर्ट से मदद की गुहार तक लगानी पड़ी।

हालांकि वक़्त बीतने के साथ (विशेष रूप हेनरी VIII की मृत्यु के बाद) स्थितियों में काफी सुधार हुआ । पहला दशक बीतते-बीतते एलिजाबेथ के पास एक छोटा सा अहाता और नौकरों का एक छोटा समूह बन गया था जिसने आने वाले समय में एलिजाबेथ की काफी हद तक मदद की। उस वक्त की गवर्नेस कैट एशले ने एलिजाबेथ को अपनी बेटी की तरह पाल-पोस कर बड़ा किया और इसके लिए भारी जोखिम उठाते हुए मेहनत भी की। एलिजाबेथ ने इस एकाकी दौर में श्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त की । एलिजाबेथ के शिक्षक रहे 'रॉबर्ट एसोचेम' लिखते हैं कि **"उस दौर में प्रचलित धारणा, कि महिलाएं कमजोर होती हैं, से एलिजाबेथ का मन सर्वथा असम्मत रहा, उसका तेज दिमाग़ उसकी सोच और उसका व्यक्तित्व काफी मर्दाना था । वो किसी भी व्यक्ति की सोच से कहीं तेज़ और किसी की भी स्मृति से अधिक प्रतिरोधी थी।"** एलिजाबेथ को कभी-कभार ब्रिटिश कोर्ट में लाया जाता था जहाँ एलिजाबेथ के बौद्धिक कौशल से उसके पिता समेत सभा के अन्य लोग भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते थे। वैसे तो अधिकांशतः एलिजाबेथ को अदालत और वहाँ की जनता तिरस्कृत मानती थी। यहाँ तक कि उस लाल बालों वाली खूबसूरत सी बच्ची को "नाजायज़ संतान" माना जाता था। लेकिन फिर भी इस तरह की आवाजाही से एलिजाबेथ के अपनी सौतीली माँ और हेनरी VIII की पाँचवीं पत्नी कैथरीन हवार्ड के साथ काफी मधुर संबंध स्थापित हो गए थे।

सन 1538 आते-आते एलिजाबेथ की देखभाल का जिम्मा ब्लैक हर्बर्ट लेडी ट्रॉय ने संभाला और उसे 1545 तक निभाया । कैथरीन कैम्परनोवेन जिन्हें कैट एश्ले के नाम से भी जाना जाता है 1538 से एलिजाबेथ की अध्यापिका बनी और 1565 तक में अपनी मृत्यु तक उनकी सहेली बनी रहीं । एलिजाबेथ को शुरुआती समय में चार भाषाओं फ्रेंच, फ्लेमिश, इटालियन और स्पेनिश का ज्ञान था जिसमें अंत में वेल्श, कोर्निश, स्कॉटिश व आइरिश भाषाएँ भी जुड़ गईं। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि 1550 में अपनी शिक्षा पूरी करने पर एलिजाबेथ उस समय की सर्वाधिक शिक्षित नारियों में से एक थी।

अगर ब्रिटिश तख़्त की बात करें तो सन 1547 में हेनरी VIII की मृत्यु के बाद एलीज़बेथ के सौतेला भाई एडवर्ड 6 तख़्त पर आसीन हो गया और उसकी माँ ने एडवर्ड के अंकल एडवर्ड सीमोर के भाई से (जिन्हें एडवर्ड का संरक्षक घोषित किया गया था) से शादी कर ली और नव दंपति एलिजाबेथ को अपने साथ लंदन में चेल्सिय ले गए। एडवर्ड का संरक्षक भाई एक 40 वर्षीय अधेड़ था जिसकी वासना लोलुप निगाहें हमेशा ही एलिजाबेथ को छूने के मौका तलाशी रहतीं थीं । बहुत छोटी होने के कारण एलिजाबेथ न तो इसका ठीक से प्रतिरोध ही कर सकी और न ही इसे रोक सकी । अंत में उसने अपनी सौतेली माँ कैथरीन से इस बारे में बात की तो उन्होंने भी अपने ही पति का समर्थन किया । यहाँ तक कि कैथरीन की मौजूदगी में भी कई बार एलिजाबेथ के साथ बदसलूकी हुई। ये सारी बातें एलिजाबेथ के मन में इतने गहरे तक घर कर गईं कि उसने आजीवन कभी शादी ही नहीं की। अपने पति की हरकतों को बढ़ता देख कर अंत में कैथरीन ने मई 1548 में एलिजाबेथ को दोषी ठहराते हुए दूर भेज दिया । थॉमस सीमोर शाही परिवार पर अपना नियंत्रण जारी रखते हुए खुद को राजा का प्रतिनिधि साबित करने की कोशिश करता रहा। 5 सितंबर 1548 के अंत में कैथरीन की मृत्यु के बाद थॉमस सीमोर ने एलिजाबेथ से शादी कर तख़्त को हड़पने की योजना बना ली । योजना कार्यान्वियन के पश्चात जनवरी 1549 को पार्षद को इस बात की खबर लग गई कि थॉमस सीमोर ने एडवर्ड को पदोच्युत कर तख़्त हड़पने की साजिश की है। तत्काल ही थॉमस सीमोर को गिरफ्तार कर लिया गया और जांच में सभी तथ्य सही पाए जाने पर 20 मार्च 1549 को थॉमस सीमोर की मृत्यु की सज़ा की तामील करते हुए उसका सर धड़ से लग कर दिया गया । अब क्योंकि सन् 1558 में अपनी सौतेली बहन की मौत के बाद एलिजाबेथ शाही खून की एकलौती वारिस बची थी अतः 25 वर्ष की उम्र में उसे इंग्लैंड की रानी बना दिया गया । जिस पर उसने 24 मार्च 1603 तक अपनी मृत्यु पर्यंत शासन किया।

अब बात करते हैं कहानी की दूसरी किरदार, हमारे कॉलम के केंद्र, आज के पत्र को लिखने वाली क्वीन ऑफ स्कॉट्स, मैरी स्टुअर्ट की। स्कॉटलैंड के राजा जेम्स V के महल में 8 दिसंबर 1542 का दिन किसी उत्सव से कम न था जब उनके महल में एक सुनहरे बालों वाली बच्ची का जन्म हुआ। मैरी जेम्स V और उनकी दूसरी पत्नी मैरी ऑफ

गुइज़ की एकलौती जीवित संतान थी। हालांकि अपने पिता की मृत्यु के बाद महज़ 6 दिन की उम्र में ही मैरी को स्कॉटलैंड तख़्त तो हासिल हो गया मगर मैरी की परवरिश में उसे सिर्फ इतना सिखाया गया कि केवल वो ही ब्रिटिश तख़्त की पात्र और जायज़ उत्तराधिकारी है। अगर जेम्स डन की बायोग्राफी "एलीज़ाबेथ और मैरी : चचरी बहनें, प्रतिद्वंदी, रानियाँ" की बात मानी जाए तो मैरी को ब्रिटिश तख़्त हासिल करना है, ये बात उसके ज़ेहन में तब से थी जब उसने होश भी नहीं संभाला था। लेकिन इसके उलट एलीज़ाबेथ के मामले में यह निर्विवादित रूप से सत्य था कि ब्रिटिश हुकूमत के तख़्त पर एलीज़ाबेथ को ही बैठना है। मैरी के लिए ये कुछ ऐसा था जो उसे चाहिए तो जी-जान से चाहिए थे मगर ये उसे आजीवन अलभ्य रहा।

इस छोटी सी रानी ने अपने पहले पांच साल स्कॉटलैंड के एक महल से दूसरे महल, दूसरे से तीसरे महल और आगे भी इसी तरह बिताए, ताकि वह उसे राज सत्ता की बुलंदियों के खतरों से सुरक्षित रख जा सके। हालांकि इस बीच स्कॉटलैंड में स्थायी शासक के अभाव में हेनरी VIII ने ग्रीनविच संधि कर ली जिसके तहत उसने मैरी की शादी आपने बेटे एडवर्ड से करना तय किया था। हेनरी VIII का मानना था कि ये शादी दोनों शाही परिवाओं को जोड़ने का काम करेगी। संधि के मुताबिक दस वर्ष की होने पर मैरी को विवाह के बाद इंग्लैंड आ जाना था और उसका आगे का पालन पोषण हेनरी VIII को करना था। संधि के एक प्रावधान के अनुसार अगर विवाह के बाद मैरी और एडवर्ड के कोई संतान नहीं होती है तो ये संधि टूट जाएगी और दोनों राज्य विलगित हो जाएंगे। मगर राजनीतिक उठा-पटक और कई छोटी-बड़ी घटनाओं के कारण ये विवाह कभी संभव ही नहीं हो सका।

हालांकि स्कॉटिश संसद द्वारा ग्रीनविच संधि को अमान्य घोषित किए जाने के बीच हेनरी VIII ने मैरी से अपने बेटे एडवर्ड की शादी करवाने के लिए कई प्रयास किए जिनमें रफ़ वूईंग नाम का सैन्य अभियान तक चलाया। स्कॉटलैंड से कई युद्ध लड़े, ब्रिटिश सेनाओं ने मैरी की खोज के लिए स्कॉटलैंड की सीमाओं पर कई बार सेंधमारी की। अंत में 10 सितंबर 1948 में हेनरी VIII की मृत्यु के 9 महीनों बाद ब्रिटिश सेना द्वारा स्कॉटलैंड के साथ पिंक क्लेफ युद्ध भी लड़ा जिसमें स्कॉटलैंड की सेना को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। वहीं दूसरी ओर स्कॉटलैंड की रानी मैरी की सुरक्षा पर खतरा बढ़ता देख कर 1548 में उसे अपनी माँ के साथ फ्रांस में डौफिन की मंगेतर बनने के लिए भेजे दिया गया जहाँ मैरी को बेतहाशा सम्मान और स्नेह प्राप्त हुए। फ्रांस में मैरी की तुलना रोमांस और सहानुभूति की एक जीती जागती मूरत से की गई। अगले 13 सालों तक मैरी को फ्रेंच शाही परिवार और उसकी माँ के शक्तिशाली परिवार दोनों से भरपूर सम्मान और प्यार मिला। मैरी के सत्ता की बागडोर संभालने तक स्कॉटलैंड के तख़्त को एक शासक की जरूरत थी और इस ज़रूरत को मैरी की माँ ने और हैनरी II पूरा किया। हैनरी II को मदद के लिए बुलाना लाज़मी भी था, आखिर फ्रांसिस II के साथ मैरी की शादी होनी तय हुई थी। शायद यह भी एक कारण होगा कि हैनरी II ने मैरी से पहली ही मुलाक़ात में मैरी को कुछ इस तरह संबोधित किया "आज तक मैंने जितने भी बच्चे देखे हैं उनमें ये छोटी सी स्कॉटलैंड की रानी सबसे बेहतर है"।

आगे जा कर मैरी ने फ्रांस के ड्यूफिन फ्रांसिस से शादी की और कुछ वक्त तक मैरी ने फ्रांस की रानी के रूप में भी बिताया लेकिन कान में हुए इन्फेक्शन के चलते 4 दिसंबर 1960 को फ्रांसिस II की मृत्यु हो गई और मैरी को 17 की उम्र में विधवा होने पड़ा। जब मैरी को कहीं कोई राहत और आसरा नज़र नहीं आया तो वो स्कॉटलैंड वापस लौट आई। स्कॉटलैंड लौटने से पहले मैरी को वहाँ चल रही राजनैतिक उठा-पटक के बारे में ज़रा भी गुमान नहीं था। क्योंकि मैरी कैथलिक थी और अब जब वो वापस आई तब तक स्कॉटलैंड प्रोटेस्टेंटों का गढ़ बन चुका था और सभी रिश्तेदार मैरी को शक की निगाहों से देखते थे। स्कॉटलैंड के हालात खतरनाक ढंग से बेकाबू होते जा रहे थे, यहाँ तक कि मैरी का नाजायज़ भाई जेम्स स्टीवर्ट इसमें शामिल था। आधुनिक इतिहासकार मानते हैं कि अगर मैरी चाहती तो हालातों को काबू किया जा सकता था मगर उस वक्त मैरी की आँखों में इंग्लैंड की रानी बनाने का ख़्वाब पल रहा था और उसने इस गृह कलह को उतनी तबज्जो नहीं दी। इस बात को इस तरह भी समझा जा सकता है कि इन सभी गृह कलहों से घिरे होने के बावजूद भी मैरी ने लेथिंग्टन के विलियम मैटलैंड को अपना दूत बना कर ब्रिटिश दरबार में अपना दावा पेश करने के लिए भेजा। हालांकि एलिजाबेथ ने विलियम मैटलैंड को भरोसा दिलाया कि तख़्त की सबसे ज्यादा जायज उत्तराधिकारी मैरी ही हो सकती है लेकिन एलिजाबेथ ने अभी तक अपना कोई उत्तराधिकारी घोषित्त नहीं किया था क्योंकि उसे डर था कि होने वाला शासक जल्द से जल्द सत्ता पाने के लिए उसके कत्ल या विद्रोह की साजिशें रच सकता है। इस सब के बावजूद एलिजाबेथ ने इस विषय पर चर्चा और निर्णय के 1562 में यॉर्क नॉटिंघम में मिलने की व्यवस्था भी की मगर जुलाई में फ्रांसीसी गृह युद्ध आरंभ हो गया और ये मुलाक़ात रद्द हो गई।

इधर मैरी ने अपना ध्यान यूरोप के शाही और कुलीन परिवारों में अपने लिए एक पति ढूँढने पर केन्द्रित कर दिया। मैरी की मुलाक़ात हेनरी स्टुअर्ट, लॉर्ड डार्न्ले से फरवरी 1561 में हुई थी जब वो उनके

पहले पति फ्राँसिस की मौत के वक्त उन्हें ढाँढस बंधाने आए थे। उनकी अगली मुलाकात शनिवार की शाम 18 फरवरी 1565 को स्कॉटलैंड के वेमिस किला में हुई। जिसके बाद मैरी को डार्न्ले से प्रेम हो गया। उन्होंने होलीरूड महल में 21 जुलाई 1565 को शादी कर ली। हालांकि उस वक़्त तक कैथोलिकों में चचेरे भाई-बहनों के लिए शादी करना प्रतिबंधित था। ज्यादा समय नहीं बीता था कि डार्न्ले घमंडी होता गया। रानी के पति के रूप में अपनी हदों को पार करते हुए वह वैवाहिक ताज (क्राउन मैट्रीमोनियल) की मांग करने लगा। ऐसा होने से वह स्कॉटलैंड के सिंहासन का सह अधिकारी हो जाता और स्वयँ से पहले अपनी पत्नी यानी रानी की मृत्यु होने पर स्कॉटलैंड का कानूनी राजा हो जाता। मैरी ने उसके इस अनुरोध को खारिज़ कर दिया और इसके बाद से उनके वैवाहिक संबंधों में कटुता आती गई। काफी राजनीतिक गतिविधियों के पश्चात 1567 के दौरान लॉर्ड डर्नले के घर में एक धमाका हुआ और उनके बगीचे में उनकी हत्या कर दी गई। हालांकि इस विवाह से मैरी को एक पुत्र जेम्स 6 हुआ था।

जिस शख़्स के ऊपर लॉर्ड डर्नले की मृत्यु का मुकदमा चल रहा था, उसके बाइज़्ज़त बरी होने पर मैरी ने उसी से शादी कर ली, जिसका जम कर विरोध हुआ और दोनों को जेल में डाल दिया गया। इस सब के बाद अपने पुराने विश्वासपात्रों की मदद से मैरी एक साल के बच्चे के साथ जेल से भाग निकली। वहाँ निकाल कर चर्च की मदद से मैरी ने इंग्लैंड पहुँच कर एलीजाबेथ I की जगह सत्ता पर खुद का दावा कर दिया। इस दावे को कई रोमन कैथोलिक चर्चों द्वारा मान्यता भी प्राप्त थी क्योंकि वो एलिज़ाबेथ को वैध संतान नहीं मानते थे। इस बात को इस तरह भी समझा जा सकता है कि 25 फरवरी 1570 को पोप पायस V ने एलिज़ाबेथ को तख़्त से उखाड़ फेंकने और मैरी को रानी घोषित करने के लिए ब्रिटिश कैथलिक्स को अधिकार देते हुए सत्तारूढ़ कैथलिक बुल नामक फरमान भी जारी किया। इस साल के दौरान कई ऐसी घटनाएँ और साजिशें सामने आईं जहाँ एलीजाबेथ को पद से हटाने, उसके भूखंडों पर कब्जा करने, यहाँ तक कि उनकी हत्या करने की साज़िशों के साक्ष्य मिले और अधिकतर में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मैरी का नाम जुड़ा पाया गया। इस सब के बावजूद भी एलीजाबेथ ने मैरी को स्कॉटलैंड वापस भेजने के लिए कई कोशिशें की मगर मई 1569 के आयोजित सम्मेलन में स्कॉटलैंड के द्वारा इन्हें सिरे से खारिज़ कर दिया गया।

इसी बीच नॉरफ़ॉक मैरी से विवाह करने की रणनीतियाँ बनाने लगा जिससे क्षुब्ध होकर एलिज़ाबेथ ने उसे लंदन टॉवर में अक्टूबर 1569 से अगस्त 1570 तक कारावास में डाल दिया। अगले वर्ष की शुरुआत में कैथोलिकों के नेतृत्व में स्कॉटलैंड व उत्तरी इंग्लैंड में विद्रोह शुरू हो गया। कैथोलिकों के इस विद्रोह से एलिज़ाबेथ को लगने लगा कि मैरी उनके लिये खतरा बन सकती हैं। इस घटना को उस समय के लोगों ने "उत्तर का उदय" की संज्ञा दी। इस सब के चलते एलिज़ाबेथ-I ने मैरी को एक ख़तरे के रूप में स्वीकार करते हुए उसकी पहुँच को कुछ एक महलों तक सीमित कर दिया और उसके ऊपर कई मुकदमे दायर कर दिए गए। एलिज़ाबेथ ने अपने गुप्तचरों की मदद से मैरी के ऊपर कड़ी नज़र बनाए रखी।

1571 में एलिज़ाबेथ के मंत्रियों, सेसिल और सर फ्रांसिस वालसिंघम ने रिडोल्फ़ी के षडयंत्र का पर्दाफाश किया जिसका उद्देश्य स्पेनी सेना और नॉरफ़ॉक के ड्यूक की मदद से एलिज़ाबेथ को हटाकर मैरी को इंग्लैंड की रानी बनवाना था। नॉरफ़ॉक को मृत्युदंड दे दिया गया और ब्रिटिश संसद ने मैरी के ब्रिटिश सिंहासन के दावे को निरस्त करने वाला कानून प्रस्तावित किया जिसे एलिज़ाबेथ ने नामंज़ूर कर दिया। 1573 में हुए थ्रॉकमॉर्टन षडयंत्र के बाद सर फ्रांसिस वालसिंघम ने (सेफ्टी ऑफ द क़्वीन ऐक्ट, 1574) रानी की सुरक्षा

के लिए कानून बनाने का प्रस्ताव रखा जिसमें एलिज़ाबेथ के खिलाफ षडयंत्र रचने वाले किसी भी शख़्स को मृत्युदंड देने और किसी भी काल्पनिक उत्तराधिकारी को एलिज़ाबेथ की हत्या का फायदा उठाकर सिहांसन हासिल करने से रोकने के कानूनी धाराएँ शामिल थीं। फरवरी 1585 में विलियम पैरी जो कि एक जासूस था, को एलिज़ाबेथ की हत्या का षडयंत्र रचते हुए गिरफ्तार किया गया। इसकी जानकारी मैरी को नहीं थी लेकिन उनके प्रतिनिधि थॉमस मॉर्गन इस मामले में फंसे गए। इससे एलिज़ाबेथ को लगा कि मैरी अपने वफादारों की मदद से उनकी हत्या करने की साजिश रच रही हैं और मैरी को क्रिसमस में कार्टली किले में स्थानांतरित कर दिया गया। इस पूरे समय के दौरान एलिज़ाबेथ पर हुए कई हमले नकारा किए गए। 14 जुलाई 1986 को बबिंग्टन के नाम लिखा गया मैरी का लंबा पत्र पाया गया जिसमें उसने अपने बेटे के एलिज़ाबेथ से मिल जाने और धोखा देने पर रोष जाहिर किया था और साथ ही उस पत्र में एलिज़ाबेथ की हत्या की आवश्यकता और पूरी कार्य योजना दर्ज़ की थी। इतिहासकारों ने इस षड्यंत्र को बबिंगटन प्लॉट की संज्ञा दी।

11 अगस्त 1586 के दिन मैरी को बबिंग्टन षडयंत्र में दोषी पाए जाने पर गिरफ्तार कर के टिक्सियाल के सरकारी भवन ले जाया गया। मैरी को दोषी साबित करने के प्रयास के तहत सर फ्रांसिस वालसिंघम ने जानबूझ कर ऐसी व्यवस्था करवाई कि मैरी की चिठ्ठियाँ चार्टली के उनके आवास से बाहर निकाली जा सकें। मैरी को बताया गया कि उनकी चिठ्ठियाँ सुरक्षित हाथों में हैं लेकिन वास्तविकता में सर फ्रांसिस वालसिंघम ने उनका कूट खोज लिया था और वह उन्हें पढ़ लिया था। इन चिठ्ठियों से यह साबित हो गया कि मैरी ने एलिज़ाबेथ की हत्या की योजना को मंजूरी दी थी। उन्हें चार दिनों की यात्रा पर फोथरिंघे किला ले जाया गया और अक्टूबर में उन पर रानी सुरक्षा कानून के तहत 36 न्यायधीशों के सामने, जिनमें से एक सर फ्रांसिस वालसिंघम खुद थे, देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। हालांकि अपने बचाव में मैरी ने इन आरोपों को नकार दिया और उन्होंने अपने विरोधियों को कहा :

"अपनी आत्मा में झाँक कर देखें और याद रखें कि इस दुनिया का रंगमंच, इंग्लैंड के साम्राज्य से कहीं अधिक बड़ा है।"

मैरी ने न्यायधीशों को ध्यान दिलाया कि उन्हें उनके खिलाफ पेश किये गये सबूतों को जाँचने भी नहीं दिया गया, उन्हें वकील करने की आजादी नहीं दी गई और एक विदेशी रानी होने के नाते उनपर कभी भी इंग्लैंड की न्याय व्यवस्था के अंतर्गत देशद्रोह का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था। लेकिन इस सब के बावजूद 25 अक्टूबर को मैरी को गुनाहगार मानते हुए 1 को छोड सभी न्यायधीशों ने उन्हें मौत की सजा सुनाई। इसके बावजूद एलिज़ाबेथ भी उन्हें मौत की सजा देने से हिचक रही थीं। ब्रिटिश संसद के दबाव के बावजूद वो इस बात से चिंतित थीं कि किसी रानी को मौत की सजा देने से एक गलत परंपरा की शुरुआत हो सकती है, और इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं, खासकर तब जब मैरी का बेटा और स्कॉटलैंड का राजा जेम्स 6 कैथोलिक समूहों के साथ गठजोड कर के इंग्लैंड पर आक्रमण कर सकता था। एलिज़ाबेथ ने मैरी के अंतिम रक्षक पौलेट से पूछा कि क्या वो मैरी को मृत्युदंड देने की बजाए उनकी उम्र कम करने का कोई और अवैध तरीका ढूंढ सकते हैं, जिसे उसने यह कहते हुए इंकार कर दिया कि उसकी अंतरात्मा ऐसा करने की इज़ाजत नहीं देती और ऐसा कर के वो अपने वंशजों के नाम पर काला धब्बा नहीं छोडना चाहते। 1 फरवरी 1587 को एलिज़ाबेथ ने मैरी के मृत्युडंड आदेश पर हस्ताक्षर कर उसे अपने दरबारी विलियम डेविसन के सुपुर्द कर दिया। मैरी आर के जीवन को केंद्र में रख कर सन 2018 में Mary, Queen Of Scots नाम की फिल्म भी बनाई गई थी।

हँसी की फुलझड़ियाँ

मोनू – सर, मुझे कुछ याद नहीं रहता।
टीचर – अच्छा, यह बताओ कि क्लास में तुम्हारी पिटाई कब हुई थी?
मोनू – मंगलवार को!
टीचर – यह कैसे याद रह गया?
मोनू – सर प्रैक्टिकल में नहीं थ्योरी में प्रॉब्लम है।

पत्नी (फोन पर) – अजी, मैं अब बाज़ार आई हूँ, ख़रीदारी करने। आप को कुछ चाहिए क्या?
पति – हाँ, मुझे जीवन का अर्थ चाहिए, जीवन सार्थक कैसे होता है यह चाहिए। आत्मा की शाँति चाहिए। मुझे अपना अस्तित्व ढूँढना है ...!!
पत्नि (थोड़ी चुप्पी के बाद) – ठीक है ठीक है, कौन सी लाऊँ? किंगफिशर या फॉस्टर?

प्लम्बर – सर, नल ठीक हो गया। लेबर चार्ज 800 रुपए!
इंजीनियर – अरे, एक घंटे की इतनी फीस तो मेरी भी नहीं है!
प्लम्बर – सर, जब मैं इंजीनियर था तो मेरी भी नहीं थी!

कोच अपने स्टूडेंट्स से – मैं बैडमिंटन के बारे में सबकुछ जानता हूँ!
स्टूडेंट – सब कुछ..?
कोच – विश्वास नहीं तो पूछ सकते हो

स्टूडेंट – बैडमिंटन नेट में कितने छेद होते हैं..?
कोच अभी भी उस स्टूडेंट के चरणों में पड़ा हुआ है ...!

माँ बच्चे से – तू पूरा साल नहीं पढ़ता और परीक्षा आते ही किताबों में लग जाता है, क्यों?
बच्चा – क्योंकि लहरों का सुकून तो सभी को पसंद है, लेकिन तूफानों में किश्ती निकालने का मजा ही कुछ और है।

डॉक्टर – आपकी बीवी अब सिर्फ दो दिन की मेहमान है। आई एम सॉरी ...!
चम्पू – इसमें सॉरी की क्या बात है डॉक्टर साहब। निकाल लेंगे ये दो दिन भी जैसे-तैसे ..!

किडनैपर – तुम्हारा बेटा अब हमारे कब्जे में है।
माँ – बात करवाना जरा उससे ...किडनैपर ने बेटे को फोन दिया
माँ – तू वहाँ क्या कर रहा है, अब धनिया लाकर कौन देगा मुझे ..?

पप्पू (अपने दोस्त से) – सोचा था, दो पैग मार के 10 बजे तक घर पहुँच जाऊँगा..!
गप्पू – हाँ तो क्या हुआ ...?
पप्पू – ये पैग और टाइम कब आपस में बदल गए, पता ही नहीं चला ...!!

गुरु जी – बस इरादे बुलंद होने चाहिए, पत्थर से भी पानी निकाला जा सकता है।

लड़का – मैं तो लोहे से भी पानी निकाल सकता हूँ ..!
गुरु जी – कैसे ..?
लड़का – हैंड पंप से ...!!

टीचर – अगर कोई लड़का गर्ल्स हॉस्टल की तरफ गया तो रु.100 का फाइन लगेगा ..!
दूसरी बार गया तो रु.200 का फाइन लगेगा और तीसरी बार गया तो सीधे रु.500 का फाइन लगेगा ..!
छात्र – सर जी! अगर हमें महीने भर का पास बनवाना हो, तो कितने का बन जाएगा ...!!

मरीज़ – डॉक्टर, मैं खाना न खाऊँ, तो मुझे भूख लग जाती है .., ज्यादा काम करता हूँ तो थक जाता हूँ .. देर तक जगा रहूँ तो नींद आ जाती है, मैं क्या करूँ ..?
डॉक्टर – रात भर धूप में बैठे रहो, सही हो जाओगे ..!

पति – सुनो, रात भर मोबाइल चार्जिंग पर मत लगाना, बैट्री फट जाएगी ..!!
पत्नी – आप चिंता न करें, मैं बैट्री निकाल कर चार्जिंग पर लगाऊँगी..!!

पत्नी की तबीयत कुछ खराब रहती थी तो उसने पेंटर से अपनी एक तस्वीर बनवाई।
फिर कुछ सोच कर पेंटर को कहा कि गले में नौलखा हार भी बना दो!
पेंटिंग बनने के बाद पेंटर ने पूछा – आपने ऐसा क्यों किया ..?
पत्नी बोली – कभी मैं मर गई तो मेरे पति दूसरी शादी कर लेंगे, नई वाली आएगी तो वो हार ढूँढेगी और मिलेगा नहीं तो झगड़ा होगा ..!
तब मेरी आत्मा को सच्चा सुकून मिलेगा ...!
इसे कहते हैं, ज़िन्दगी के साथ भी और जिन्दगी के बाद भी ..!!

एक नवविवाहित जोड़ा बर्तन की दुकान में झगड़ रहा था।
पत्नी- ये वाला स्टील का गिलास लो।
पति – नहीं, जरा और बड़ा गिलास लेंगे।
दुकानदार – साहब जी, महिला दिवस भले ही चला गया है, लेकिन मैडम जो कह रही हैं, वही गिलास ले लीजिए ना!
पति – "अरे यार तुम्हे बेचने की पड़ी है लेकिन इस छोटे से गिलास में मेरा हाथ घुसता नहीं है, मैं इसे मांजूँगा कैसे?

बैंकों में एनपीए की समस्या : स्थाई समाधान

अमरजीत सिंह, सहायक प्रबन्धक, क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ

हमारे देश के सार्वजनिक बैंक जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है , इन दिनों गैर निष्पादित आस्तियों की समस्या से ग्रस्त हैं । भारत विश्व में एनपीए के मामले में इटली और रूस के बाद तीसरे नंबर पर है । एनपीए में उद्योग जगत और बड़ी कंपनियों का योगदान सबसे ज्यादा है । केवल १२ बड़े रसूखदारों के पास बैंकों के तीन लाख करोड़ रुपए से अधिक बकाया है। बैंकों का एनपीए इतना बढ़ गया है कि न केवल बैंक आर्थिक रूप से ख़ास्ताहाल हुए बल्कि देश की समूची अर्थव्यवस्था भी डांवाडोल हो गई। एनपीए बढ़ने से बैंकों के मुनाफे में कमी आती है और बैंकों की ऋण देने की क्षमता घट जाती है जिससे समग्र देश के विकास में बाधा आती है । गैर निष्पादित परिसंपत्तियाँ बढ़ने का सबसे बड़ा कारण धोखाधड़ी है । नित नई धोखाधड़ी हो रही है और गुणवत्ता वाले नए ऋणों का संवितरण नहीं हो पा रहा है । हर्षद मेहता से प्रारंभ हुई आर्थिक धोखाधड़ी के बाद से बैंकों में गैर-पेशेवराना सुरक्षा प्रबन्ध अपनाना निरंतर जारी है । कई बार आर्थिक मंदी , कारोबारी प्रतिस्पर्धा , तकनीकी अप्रासंगिकता के कारण व्यापार में घाटा होता है और व्यवसाय संकट में फंस जाता है , इस स्वाभाविक प्रक्रिया की आड़ में देश में बड़े पैमाने पर फ्रॉड हुए हैं । इसका खामियाजा बैंकिंग प्रणाली और अर्थव्यवस्था भुगत रही है। एक अर्थशास्त्रीय आकलन के मुताबिक भारत में दो लाख करोड़ रुपए से अधिक के बैंक घोटाले हो चुके हैं । बैंकों में फ्रॉड के ९२ प्रतिशत मामले ऋण से संबंधित हैं । पीएमसी बैंक और यस बैंक के कामकाज में अनियमितताएँ पाई गईं और इन बैंकों द्वारा ऐसे कारोबारियों को अपनी क्षमता से अधिक ऋण दिए गए जिन्हें कोई भी बैंक ऋण देने के लिए तैयार नहीं था ।

परियोजनाओं के संबंध में निर्णय लेने में , रिज़र्व बैंक और अन्य नियामक संस्थाओं को दिशा निर्देश देने में , चूककर्ताओं से वसूली हेतु और भगौड़ों के विरुद्ध कानून बनाने में विलंब से गैर निष्पादित परिसंपत्तियों पर रोकथाम नहीं लगाई जा सकी और बैंक के फंसे कर्ज़ में बढ़ोत्तरी होती चली गई । राजनीतिक दबाव में आकर बैंकों को कुछ विशेष कंपनियों को ऋण देना पड़ता है और इस तरह के ऋण का अनर्जक परिसंपत्ति में बदलने की संभावना अधिक होती है । राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते कई बार बैंक ऐसी परियोजनाओं के लिए कर्ज़ दे देते हैं जिसके वापस आने की संभावना नहीं के बराबर होती है , तत्पश्चात ऐसे कर्ज़ की बार- बार पुनर्संरचना करनी पड़ती है । इस पुनर्संरचना के तहत बैंक उन्हें और कर्ज़ दे देता है जिससे बैंक का एनपीए और अधिक बढ़ जाता है ।

मजबूत है भारतीय बैंकिंग व्यवस्था , सुरक्षित हैं बैंकों के ग्राहकों के हित :-

विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को कर्ज़ देने के लिए विशेष संस्थान हैं जैसे एशियाई विकास बैंक , इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन । हमारे देश में सरकारी बैंकों को न तो बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को कर्ज़ देने का अनुभव है और न ही इतनी जोखिम क्षमता है । कुछ सालों से उद्यमी वर्ग में नैतिकता की कमी हो गई है । ऋणी द्वारा बेइमानी से ऋण राशि का डाइवर्ज़न किया जाता है , जिन उद्देश्यों के लिए ऋणी द्वारा ऋण लिया गया उसका उपयोग उन उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाता है । कुछ ऋणी कंपनियाँ निधियों का डाईवर्ज़न करके सहयोगी संस्थाओं को सहयोग करती है और उन्हें उबार लेती हैं । बड़े डिफॉल्टर्स अपने पुराने खराब खातों को नियमित करने के लिए बैंकों से नए ऋण लेते रहते हैं । प्रवर्तक कर्ज़ की राशि का एक बड़ा हिस्सा सहायक कंपनियों या समूह कंपनियों में स्थानांतरित कर देते हैं ।

हमारे देश में ऋण भुगतान में विकृत मानसिकता की वजह से गैर निष्पादित आस्तियों में इतनी अधिक वृद्धि हुई है । राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के लिए कर्ज़ माफी की घोषणा कर देते हैं । ऋण माफी योजनाओं , बैंक ऋण समझौते और ऋण खातों को बट्टे खाते में डालने से अधिकांश ऋणी समय पर भुगतान नहीं करते हैं । बैंक बड़े कारोबारियों के बकाया ऋण राशि के निपटान के मामलों में कुल बकाया राशि की 22 फीसदी से भी कम राशि की वसूली कर पाते हैं । जानबूझकर कर्ज़ नहीं लौटाने के मामले कारोबार की असफलता से कहीं अधिक हैं । कुछ उधारकर्ताओं का इरादा कपटी होता है , ऐसे ऋणी समर्थ होते हुए भी कर्ज़ नहीं चुकाते हैं । कंपनी परियोजना के लिए जो अप्रतिभूत ऋण लेती है उसे परियोजना के पूर्ण होने के पूर्व ही निकाल लेती है । ऐसे ऋणी जो लेन-देन में धोखेबाजी करते हैं , बिना बैंक को जानकारी दिए प्रतिभूतियों का निपटान कर देते हैं या प्रतिभूतियों को अन्य जगह शिफ्ट कर देते हैं , बैंकों से ऋण स्वीकृति के लिए ऐसे ऋणी आवेदक बैंकों को जो रिकॉर्ड प्रस्तुत करते हैं , वे मिथ्या या भ्रामक हो सकते हैं । कई बैंकों ने जानबूझकर कर्ज नहीं लौटाने वालों की जानकारी सीबीआइ और प्रवर्तन निदेशालय को तब

दी जब घोटालेबाज़ नीरव मोदी के विदेश भागने की खबर आई थी।

जिन क्षेत्रों में गैर निष्पादित आस्तियों में वृद्धि हुई है जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर । इस सेक्टर में लंबे जेस्सेशन पीरियड की वजह से एनपीए में सर्वाधिक बढ़ोत्तरी हुई है । इन क्षेत्रों में बैंक द्वारा ऋण प्रदान नहीं किया जाना चाहिए । इन क्षेत्रों को इंफ्रास्ट्रक्चर डेबिट फंड या अन्य विशेष संस्था से वित्त पोषित किया जाना चाहिए। बैंक को ऋणी कंपनी की ईक्विटी की प्रकृति के बारे में जानकारी के अभाव के कारण भी बैंकें ऋण की स्वीकृति , ऋण वितरण , कंपनी के ऋण खातों के नियमन और नियंत्रण में चूक कर जाती हैं। सिर्फ रेटिंग एजेंसी द्वारा प्रदान की गई रेटिंग ही किसी ऋण की स्वीकृति के लिए अंतिम आकलन नहीं हो सकती है । बैंकों द्वारा ऋणी आवेदक की साख और उसकी वित्तीय स्थितियों का स्वयं आकलन करना चाहिए । बैंकों को कर्ज़ से जुड़े जोखिम के आकलन का तरीका बेहतर करना होगा। यदि बैंकर्स ने बाज़ार की प्रतिभा को अपना कर ऋणी की विश्वसनीयता को जानने की कोशिश की होती तो वे आवेदक ऋणी की पहचान करने में गच्चा नहीं खाते । बैंकों को लोन प्रोसेसिंग प्रक्रिया में आउट सोर्सिंग का सहारा नहीं लेना चाहिए । ऋण सुविधाएँ प्रदान करने के पूर्व स्वीकृत ऋण प्रस्ताव की सख्त जाँच के लिए बैंक में एक प्रणाली विकसित की जानी चाहिए। बैंक ऋणी को जिस उद्देश्य के लिए कर्ज देते है बैंक अधिकारियों द्वारा उस उद्देश्य का भी विश्लेषण किया जाना चाहिए। बैंकों को गैर निधि आधारित व्यापार में क्रेडिट जोखिम का मूल्यांकन भी फंड आधारित व्यवसाय के आकलन से समान तरीके से ही करना चाहिए। ऋण की पूर्व स्वीकृति प्रक्रिया में बैंक अधिकारियों को अधिक परिश्रम करने की जरुरत है। बैंकों को अपनी शाखाओं को परिपत्र जारी कर निर्देश जारी किए जाने चाहिए कि कर्ज के हर प्रकरण में ऋणी व जमानतदारों की व्यक्तिगत गारंटी आवश्यक रूप से ले।

यस बैंक की विफलता कहीं भारतीय बैंकिंग तंत्र के विफल होने का संकेत तो नहीं ?

एक स्वस्थ बैंकर – ऋणी संबंध विकसित किया जाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहाँ बैंक ने ऐसे चूककर्ताओं से जबरदस्ती वसूली की जो कि कॉर्पोरेट नीति के विरुद्ध है क्योंकि उन डिफॉल्टर्स को व्यवसाय में नुकसान हुआ था तथा उनको बैंक के सहयोग की जरुरत थी । बैंकों की ओर से ऋणी के उद्यमी कौशल के विकास में सहायता करके न सिर्फ ऋणी के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे बल्कि बैंकर्स निधियों पर भी ट्रैक रख सकेंगे। बैंकों में ऋण स्वीकृति के पश्चात ऋण मूल्यांकन की गुणवत्ता उन्नयन के लिए क्रेडिट ऑडिट आवश्यक है। बैंकों द्वारा संबंधित सूचनाओं को आपस में साझा करने से जोखिम कम हो सकता है। किसी कंपनी को ऋण स्वीकृत करने से पहले उसकी वित्तीय स्थिति और परियोजना की व्यवहारिकता की निष्पक्ष जाँच हो तथा बगैर पर्याप्त सुरक्षा और प्रतिभूति बंधक के कोई ऋण स्वीकृत न हो। बैंकों द्वारा विलफुल डिफॉल्टर्स की सूची रिज़र्व बैंक के साथ सेबी को भी भेजना जरुरी है जिससे सेबी ऐसी कंपनियों की कैपिटल मार्केट में प्रवेश पर पाबंदी लगा सके।

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के कर्ज पर निगरानी रखने का काम बहुत बड़ा है। रिज़र्व बैंक के पास ऋण निगरानी के अलावा बहुत अधिक काम का बोझ है । अतः , कर्ज पर निगरानी के लिए एक अलग जिम्मेदार तंत्र विकसित करने की शीघ्र आवश्यकता है। सरकार को बैंकों के आंतरिक प्रशासन में सुधार तथा विधिक प्रणाली को और बेहतर बनाने की दिशा में अतिशीघ्र काम करना होगा। सरकार वित्त मंत्रालय व रिज़र्व बैंक को निर्देशित करे कि वह सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों के बैंक कर्मचारियों के लिए एक समान नियम – कायदे बनाए। पूँजीवाद पर अंकुश लगाना जरुरी है। बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी आंतरिक और बाहरी रिपोर्टिंग का समय पर अनुपालन हो रहा है। बैंकों द्वारा समय- समय पर अग्रिम राशियों की सेहत का आकलन किया जाना चाहिए। बैंकों में समयावधि में सभी ऋण खातों की समीक्षा और नवीनीकरण हो जाने चाहिए । यदि ऋणी ने स्वीकृति के नियम एवं शर्तों से विचलन किया हो तो बैंक को उसका पता लगाकर ऋणी को चेतावनी देकर उसमें अतिशीघ्र सुधार करवाना आवश्यक है । रेटिंग एजेंसियों में स्वच्छता के लिए सेबी द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाने की जरुरत है। अभी रेटिंग एजेंसियों पर सेबी का नियंत्रण है , लेकिन सेबी के पास कार्य की अधिकता की वजह से सेबी रेटिंग एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर उचित ध्यान नहीं दे पाती है। अतः रेटिंग एजेंसियों पर नियमन और नियंत्रण के लिए एक स्वतंत्र नियामक की जरुरत है , इस पर भी नीति निर्माताओं को विचार – विमर्श करना चाहिए।

हृदय का कैसे रखें ख्याल ..!

निशा कुमारी, सहायक प्रबन्धक, क्षेत्रीय कार्यालय, विजयवाड़ा

हृदय रोगियों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। आने वाले वर्षों में भारत में हृदय रोगियों की संख्या दुनिया में सबसे अधिक हो जाएगी। हम लोगों में से अधिकांश लोगों की जीवन शैली बहुत सुस्त हो गई है जो दिल की बिमारी का सबसे बड़ा कारण है। हृदय को अच्छा रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है अपने आहार पर ध्यान देना क्योंकि हृदय रोग के लिए आहार महत्वपूर्ण घटक होता है। साथ ही शारीरिक व्यायाम करना और पर्याप्त नींद लेना भी जरूरी है।

हृदय रोगों के खतरे को दूर करने के लिए क्या खाना चाहिए ताकि दिल के दौरे और स्ट्रोक जैसी स्थितियों से बचा जा सके :

- **फाइबर युक्त आहार :** फाइबर को कम कोलेस्ट्रोल के लिए जाना जाता है जो स्ट्रोक के खतरे को कम करता है और वजन घटाने में मदद करता है। इसलिए आहार विशेषज्ञों का कहना है कि आप आप अपने आहार में फाइबर से समृद्ध खाद्य पदार्थों को शामिल करें जैसे ओट्स, ब्राउन चावल, बाजरा, मसूर में घुलनशील फाइबर होते हैं और सब्जियां, विशेष रूप से बैंगन और भिंडी उन्हें अपने आहार में शामिल करें। हालांकि इन सभी खाद्य पदार्थों को कम मात्रा में खाने के लिए कहा गया है। दिल को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन 4-5 अनाज और 2-3 सब्जियों को अपने आहार में शामिल करें।
- **कम वसायुक्त डेयरी उत्पाद :** कम वसायुक्त डेयरी उत्पाद जैसे बिना मलाई वाले दूध और दही हृदय के लिए फायदेमंद होते हैं क्योंकि इनमें पोटाशियम और कैल्शियम जैसे पोषक तत्व होते हैं जो रक्तचाप को कम करने में मदद करते हैं। प्रतिदिन अपने आहार में 400 मिलिलीटर डेयरी उत्पादों को शामिल करें। यह आपके दिल को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखेगा।
- **फल :** फलों में फाइबर होता है जो कोलेस्ट्रोल को कम करने में मदद करता है और स्ट्रोक के खतरे को भी कम करता है। फलों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स (free radicals) से शरीर की रक्षा करते हैं जो कोशिकाओं की क्षति का कारण हो सकते हैं जिनसे कैंसर, अल्जाइमर और हृदय संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। रोजाना 1-2 फल खाने से हृदय तथा रक्तवाहिका संबंधी रोगों के खतरे को कम करने में मदद मिलती है। आप इनका उपयोग अपनी भूख मिटाने के लिए स्वस्थ स्नैक के रूप में भी कर सकते हैं।
- **नट्स :** नट्स का सेवन करें जो ना केवल पौष्टिक है बल्कि आप इन्हें कहीं भी ले जा सकते हैं। नट्स जैसे अखरोट, बादाम और पिस्ता विशेष रूप से दिल के लिए फायदेमंद होते हैं क्योंकि इनमें मोनोअनसेचुरेटेड फैटी एसिड होता है जो खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है और आपको दिल की बीमारी और स्ट्रोक से बचाता है।
- जंक फूड जैसे नमकीन, समोसा और पैक्ड फूड्स के सेवन से बचें क्योंकि इनमें सोडियम होता है जो हाई ब्लड प्रेशर की समस्या को जन्म देता है।
- **डार्क चॉकलेट :** डार्क चॉकलेट में एंटीऑक्सिडेंट गुण होता है जो फ्री रेडिकल्स (free radicals) की वज़ह से कोशिकाओं को होने वाली क्षति को सीमित करती है। इस प्रकार आप हृदय रोग के साथ-साथ अन्य बीमारी होने से भी बचते हैं। डार्क चॉकलेट रक्त परिसंचरण को बढ़ा देती है और रक्त को जमने से रोकती है। रोजाना 20 ग्राम डार्क चॉकलेट खाएं और अपने दिल को स्वस्थ रखें।
- **दांतों को रोजाना ब्रश करें :** यह सुनकर आपको आश्चर्य हो सकता है कि स्वस्थ हृदय दांतों की स्वच्छता पर भी निर्भर करता है। दांतों की देखभाल करने से और मसूड़ों की बीमारी को दूर रखने से हृदय स्वस्थ रहता है। शरीर में सूजन की वजह से रक्त में कुछ ऐसे घटक बन सकते हैं जिनसे हृदय रोग की स्थिति और बिगड़ सकती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको रोजाना पूरे दिन में दो बार दांतों को ब्रश करना है और फ्लॉसिंग भी करनी है।
- **पर्याप्त नींद लें :** हृदय को स्वस्थ रखने के लिए पर्याप्त नींद लेना बेहद जरूरी है। अगर आप पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं तो आपके लिए कार्डियोवस्कुलर बीमारियों का जोखिम बढ़ सकता है, फिर इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी उम्र क्या है और आप कितनी अच्छी आदतों को अपनाते हैं। 45 साल से अधिक उम्र के 3,000 वयस्कों पर किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग रोजाना रात 6 घंटे से कम सोते थे, उनमें रोजाना 6 से 8 घंटे सोते लोगों के मुकाबले स्ट्रोक या हार्ट अटैक होने की सम्भावना अधिक होती है। रिसर्च का मानना है कि नींद पूरी न होने के कारण अंदरूनी समस्याओं और शारीरिक प्रक्रियाओं पर बुरा असर होता है, जैसे

ब्लड प्रेशर और सूजन। रोजाना रात को कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें।

- **ज्यादा लंबे समय तक न बैठें :** हाल ही में किए गए एक रिसर्च के अनुसार लंबे समय तक बैठे रहने से आपके हृदय के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। यह उन लोगों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है जो पूरे दिन ऑफिस में बैठे रहते हैं। साथ ही, लंबे वक्त तक बैठे रहने से डीवीटी (डीप वेन थ्रोम्बोसिस) का जोखिम बढ़ जाता है। पूरे दिन थोड़ी-थोड़ी देर पर जरूर चलें और रोजाना व्यायाम भी जरूर करें।
- **धूम्रपान न करें :** धूम्रपान करना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। कई शोधों की सलाह है कि धूम्रपान कोरोनरी आर्टरी डिजीज का मुख्य कारण है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आ सकता है। धूम्रपान करने से धमनियों में वसा वाले घटक जमा होने लगते हैं, जिसकी वजह से आपके स्वास्थ्य को बहुत अधिक नुकसान हो सकता है और जान भी जा सकती है। धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के साथ में खड़े होने से भी आपको यह समस्या हो सकती है, इसलिए अगर आपको धूम्रपान करने की आदत है तो उसे छोड़ दें और ऐसे व्यक्ति के साथ में खड़े न हो जो धूम्रपान कर रहा हो।
- **संतुलित वजन :** अत्यधिक वजन आपके स्वस्थ हृदय के लिए अच्छा नहीं है। अधिक वजन आपके हृदय की धमनियों पर दबाव डालता है और इस वजह से आपके हृदय को कार्य करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इससे अन्य बिमारियां होने का जोखिम भी बढ़ जाता है जैसे कार्डियोवस्कुलर बीमारी, हार्ट अटैक और स्ट्रोक। पेट के आसपास की अधिक चर्बी के कारण हृदय रोग का जोखिम बढ़ जाता है। अत्याधिक पेट की चर्बी हाई बीपी से जुड़ी होती है और इससे कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी अधिक होता है।
- **व्यायाम के लिए समय निकालें :** हृदय को स्वस्थ रखने के लिए वयस्क को आधे घंटे तक पाँच दिन या रोजाना एक हफ्ते तक व्यायाम जरूर करना चाहिए। व्यायाम को खेल की तरह करें, जिससे आपको मजा आए। अपने बच्चों के साथ में बैडमिंटन, क्रिकेट आदि जैसे खेल खेलें, सुबह में सैर करें या ऑफिस में लंच के बाद कुछ देर के लिए टहलने के लिए भी जा सकते हैं। रोजाना कम से कम आधे घंटे का व्यायाम करें और आप इसे अपनी मर्जी से घटा या बढ़ा भी सकते हैं। हृदय को स्वस्थ रखने के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, एरोबिक्स, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज़ आदि कर सकते हैं।
- **तनाव से दूर रहें :** जब आप तनाव में होते हैं तो आप अधिक खाने लगते हैं, धूम्रपान करते हैं और अत्यधिक शराब का सेवन करते हैं और इस तरह हार्ट अटैक का जोखिम बढ़ जाता है। खुद को तनाव से दूर रखने के लिए अपना ध्यान किसी ऐसी चीज में लगाएं जहाँ आपको खुशी मिले और मन उदास न हो। खुद के लिए समय निकालने की कोशिश करें जैसे – घर के काम या ऑफिस के काम के अलावा दोस्तों या परिवार वालों से बात करें या उनके साथ घूमने जाएं, उन चीज़ों से दूर रहें जिनसे आपको तनाव महसूस होता है।

- **नाश्ता करना न भूलें :** सुबह नाश्ता करना स्वास्थ के लिए बेहद जरूरी होता है। रोजाना पोषित नाश्ता करने से एक तरह से आपकी स्वस्थ डाइट बनी रहती है और वजन भी नियंत्रित रहता है। नाश्ते में साबुत अनाज जैसे ओट्स, दलिया या ब्राउन ब्रेड, नट्स या पीनट बटर, कम वसा वाला दूध, दही, फल और सब्जियां आदि खा सकते हैं।
- **शराब न पीएं :** अत्यधिक शराब से हृदय की मांसपेशियां खराब हो सकती हैं, ब्लड प्रेशर और वजन बढ़ सकता है। शराब पीने से हार्ट अटैक का जोखिम भी अधिक हो जाता है, इसलिए आपको शराब का सेवन बंद या कम कर देना चाहिए।

ब्लड प्रेशर नियंत्रित रखें : जितना ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर होगा उतना ज्यादा आपके स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर होता है उनमें स्ट्रोक और हार्ट अटैक का जोखिम बढ़ जाता है। खून में कोलेस्ट्रोल के बढ़ते स्तर से (जो लिवर द्वारा सेचुरेटेड फैट से बनता है) आपकी कोरोनरी धमनियों में वसा का जमाव हो सकता है। इससे कोरोनरी हार्ट डीसीस, स्ट्रोक और ऐसी बीमारी जो परिसंचरण को प्रभावित करती हैं, का जोखिम बढ़ सकता है। आप कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए व्यायाम कर सकते हैं और फाइबर युक्त आहार खा सकते हैं जैसे दलिया, बींस, दाल, नट्स, फल और सब्जियां।

झाँकी झारखंड की भाग - II

अशोक कुमार, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची

राँची साइंस सिटी व वराहमिहिर तारामंडल : दिन में तारे देखने हों और सौरमंडल की सैर करनी हो तो राँची के साइंस सिटी ज़रूर आइए। साइंस सिटी में वराहमिहिर तारामंडल है जो 27 करोड़ की लागत से बना है। यहां प्रति व्यक्ति 50 रुपये टिकट रखा गया है। फिलहाल तारामंडल दिन के 11 बजे से खुला रहता है। प्रत्येक शो 30 मिनट का होता है। यहां एक साथ 155 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। यह तारामंडल इसलिए अनोखा है, क्योंकि यहाँ खगोलीय शिक्षा देने के साथ-साथ बच्चों का मनोरंजन भी होता है। यहां कंप्यूटराइज्ड इफेक्ट के साथ लाइव सेटेलाइट का नजारा दिखाया जाता है। इस तारामंडल में एस्ट्रोनॉमी गैलरी है। इसमें एस्ट्रोनॉमी से जुड़ी चीजें रखी गई हैं। यहां खगोल विज्ञान क्लब भी है, जहां बच्चे ब्लैक होल के बारे में जानकारी ले सकते हैं।

देवघर : देवघर एक प्रमुख हिन्दू तीर्थ स्थल है। देवघर देश के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। यह विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले के लिए भी मशहूर है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 70 से 80 लाख श्रद्धालु प्रति वर्ष श्रावण माह में देवघर से 108 किलोमीटर की दूरी पर बिहार स्थित सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर बाबा बैद्यनाथ को जलार्पण करने हेतु आते हैं। पर्यटन के दृष्टिकोण से भी देवघर एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। देवघर का नजदीकी रेलवे स्टेशन बैद्यनाथ धाम है, जो दिल्ली-हावड़ा मेन लाइन पर अवस्थित जसीडीह रेलवे स्टेशन से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर है। देवघर से पटना की दूरी 229 किलोमीटर, रांची की दूरी 322 किलोमीटर तथा कोलकाता की दूरी 315 किलोमीटर है।

पारसनाथ : पारसनाथ पहाड़ी झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित पहाड़ियों की एक श्रृंखला है। उच्चतम चोटी 1350 मीटर है। यह जैन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थस्थल केंद्रों में से एक है। वे इसे सम्मेद शिखर कहते हैं। 23 वें तीर्थंकर के नाम पर पहाड़ी का नाम पारसनाथ रखा गया है। चौबीस जैन तीर्थंकरों ने इस पहाड़ी पर मोक्ष प्राप्त किया। कुछ के अनुसार, नौ तीर्थकारों ने इस पहाड़ी पर मोक्ष प्राप्त किया। उनमें से प्रत्येक के लिए पहाड़ी पर एक मंदिर (गुमटी या तुक) है। पहाड़ी पर कुछ मंदिर 2,000 साल से अधिक पुराने माने जाते हैं। संथाल इस देवता की पहाड़ी को मारंग बुरु कहते हैं। वे बैसाख (मध्य अप्रैल) में पूर्णिमा दिवस पर एक शिकार त्यौहार मनाते हैं।

बेतला राष्ट्रीय उद्यान : देश के पुराने टाइगर रिज़र्व्स में से एक है। बेतला में उष्णकटिबंधीय वन है और विभिन्न प्रकार के जीव जन्तु हैं। बेतला को सर्वप्रथम एक पशुविहार के रूप में खोला गया था और बाद में उसे टाइगर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यान का रूप मिला। पार्क पूरे साल खुला रहता है। हालांकि नवंबर से मार्च के बीच यहां घूमना सबसे आनंदमय रहता है। यह उद्यान 250 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यहां गौर, चीतल, बाघ, चीता, भालू, नीलगाय, हाथी, लंगूर इत्यादि जानवर देखने को मिल जाएंगे। बेतला के भीतर जलप्रपात और प्राकृतिक गर्म पानी के स्रोत हैं, चेरो राजा की 16वीं शती का ऐतिहासिक किला भी इस उद्यान के भीतर स्थित है।

बेतला राष्ट्रीय उद्यान

नेतरहाट

नेतरहाट : झारखंड के लातेहार जिले का हिल स्टेशन है। इसे छोटानागपुर की रानी भी कहा जाता है। यह कस्बा अपने आवासीय स्कूल नेतरहाट विद्यालय के लिए जाना जाता है जिसकी स्थापना 1954 में हुई थी। नेतरहाट, राँची से 154 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित है। गर्मियों के मौसम में यहां से सूर्योदय और सूर्यास्त का नज़ारा देखते ही बनता है। नेतरहाट 3514 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह चारों ओर घनें और हरे-भरे जंगलों से घिरा क्षेत्र है। यहां आपको साल, यूकलिप्टस, देवदार, केन्दु, महुआ और नास्पाती के पेड़ मिल जाएंगे।

मैकलुस्कीगंज : राँची से करीब 64 किलोमीटर दूर स्थित यह छोटा पहाड़ी कस्बा है। कभी इस कस्बे में बड़ी संख्या में एंग्लो इंडियन कम्यूनिटी रहा करती थी। हालांकि समय के साथ उनकी संख्या में कमी आ गई है। आज, अधिकतर पुरानी इमारतों और कोठियों को गेस्ट हाउस में तब्दील कर दिया गया है। यहां डुगा डगी नदी और जागृति विहार घूमने लायक जगहें हैं। यहां पर मंदिरों का समूह, मस्जिद और गुरुद्वारे हैं। मैकलुस्की दरअसल कोलकाता का एक प्राप्रर्टी डीलर था। वह शिकार के लिए यहां के गावों में भ्रमण पर आता था। उसका मित्र पीपी साहिब, रातू के राजा के वहां मैनेजर था। उसी ने राजा से गुज़ारिश की कि यहां की ज़मीन वे मैकलुस्की को लीज़ पर दे दें। फिर एक समझौता हुआ जिसके तहत यहां के 9 गाँवों की जमीन पर एंग्लो इंडियंस को घर बनाने की मंजूरी मिल गई और यह जगह मैकलुस्कीगंज के रूप में प्रसिद्ध हो गई।

झुमरी तलैया : झारखंड के कोडरमा जिले का यह नाम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यह दामोदर नदी घाटी का एक छोटा लेकिन मशहूर कस्बा है। ये दो नामों से मिलकर बना है। 'झुमरी' जो यहां के एक गाँव का नाम है और झारखंड का नृत्य भी है जबकि तलैया शब्द हिन्दी के ताल शब्द से आया है जिसका अर्थ है तालाब। झुमरी तलैया दुनिया भर में इसलिए मशहूर हुआ क्योंकि एक समय रोडियो सिलोन और विविध भारती पर फिल्मी गानों की फरमाईश सबसे ज्यादा यहीं से आती थी। यह चलन 1950 में शुरू हुआ जब एक अबरख व्यापारी रोडियो सिलोन को रोजाना 20-25 गानों की फरमाईश भेजने लगे। उन बिजनेसमैन का नाम रोज रेडियो द्वारा लिया जाता। बस क्या था जल्दी ही कस्बे के दूसरे लोगों, पान की दुकान वालों, चायवालों को इसकी लत लग गई

मैकलुस्कीगंज के धार्मिक स्थल - अवशेष रूप में

तलैया बाँध

और वे भी गानों की अपनी फरमाइशें भेजने लगे और धीरे-धीरे पूरे शहर को इसमें आनंद आने लगा, खासकर युवाओं को तो खूब मजा आता जब उनका नाम रेडियो में बोला जाता।

तिलैया बाँध : दामोदर वैली कॉर्पोरेशन का यह बाँध कोडरमा के तिलैया में बराकर नदी पर बनाया गया है। 1953 से इसका परिचालन शुरू हुआ और इसकी ऊंचाई नदी से करीब 30 मीटर है। बाँध के पास पर्यटक नौका विहार का आनंद ले सकते हैं और प्राकृतिक खूबसूरती देख सकते हैं।

माइथन बाँध : झारखंड के धनबाद से 48 किलोमीटर दूर माइथन बाँध है। 15712 फीट लंबा और 165 फीट ऊंचे इस बाँध की खूबसूरती देखते ही बनती है। इस बाँध को विशेषतौर पर बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाया गया था और यहां से भारी मात्रा में बिजली का उत्पादन होता है। इस बाँध के नीचे अंडरग्राउंड पावर स्टेशन बनाया गया है। दक्षिण एशिया में ये पहला ऐसा पावर प्लांट है। यहां की झील में आप नौकायन का लाभ उठा सकते हैं।

झुमरी तलैया (तालाब)

राँची से करीब 40 किलोमीटर दूर स्थित सूर्य मंदिर

वैसे तो झारखंड के पर्यटन स्थलों की सूची बेहद लंबी है और सुनाने और बताने को बहुत कुछ है। हालांकि जितना उल्लेख यहां किया गया है वो आपको झारखंड का छोटा सा परिचय देने के लिए काफी है। तो फिर इंतज़ार किस बात का है, बैग पैक कीजिए और यहां के जाड़ों का मजा लेने के लिए आ धमकिए।

माइथन बाँध

आपके द्वारा प्रेषित पत्रिका का अंक प्राप्त हुआ , तदर्थ धन्यवाद । वाणी के इस अंक में गाँधी , गाँव –गली-खेत के कवि अदम गोंडवी, कंबोडिया के मंदिर "अंगकोरवाट" , लियोपोल्ड लेख ज्ञानवर्धक हैं तथा समसामयिक लेख कृषि कानून समसामयिक एवं जानकारी से भरपूर है। वस्तुतः यह पत्रिका संजोकर रखने योग्य है।

राजीव वार्ष्णेय
सहायक महा प्रबन्धक (राजभाषा), सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय कार्यालय, मुम्बई

आपके बैंक से वाणी के 126 वें अंक (जुलाई – सितंबर 2020) की पत्रिका हमें प्राप्त हुई है। यह पत्रिका बड़ी ही सुव्यवस्थित एवं सुरुचिपूर्ण है। इसमें संकलित कविताएँ जैसे जिन्दगी की कहानी, अभी हारा नहीं हूँ मैं , हँसी की फुलझड़ियाँ आदि रचनाएँ भी बहुपयोगी एवं नवीन जानकारियों से भरी हुई हैं। इस पत्रिका में चित्रांकन बड़ा ही आकर्षक है , इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। आशा करते हैं कि भविष्य में भी यह पत्रिका ज्ञानवर्धन हेतु हमें प्राप्त होती रहेगी।

अमित श्रीवास्तव
उप महा प्रबन्धक सह मुख्य राजभाषा अधिकारी, पंजाब एवं सिंध बैंक, प्रधान कार्यालय , दिल्ली

हमें यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमें आप द्वारा भेजा गया "वाणी" पत्रिका का 126वां अंक (जुलाई – सितंबर 2020) प्राप्त हुआ इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। यह पत्रिका बहुत ही रोचक बनाई गई है जिसमें संकलित प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय , कार्यपालक निदेशक महोदय एवं महा प्रबन्धक महोदय के संदेश मार्गदर्शन करते हैं। राजभाषा आज के परिप्रेक्ष्य की स्थिति दर्शाता है , दि गाँधी: आदि से अंत तक , कोरोना महामारी आपदा प्रबन्धन एवं भारतीय बैंकिंग क्षेत्र : बैंकिंग सेवाएँ आदि लेख आकर्षक है। कविताएँ जीवन का आईना दिखाती हैं। विशेष आलेख राजभाषा की अवस्था से अवगत कराता है। गाँव – गली – खेत का कवि : अदम गोंडवी एवं अंगकोरवाट बरबस ही पढ़ने पर मजबूर करते हैं। छायाचित्रों के माध्यम से केंद्रीय कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में होनेवाली गतिविधियों का पता चलता है।

औपनिवेशक हिंसा का प्रतीक – लियोपॉल्ड , किसानों के लिए कारगर नए कृषि कानून , दासता की दास्तान अपनी ओर ध्यान खींचते हैं। स्वस्थ कैसे रहें ...? स्वास्थ्यमय शरीर की जीवन में अहम भूमिका निभाता है। झाँकी झारखंड की से हमारे समक्ष झारखंड के दृश्य प्रस्तुत करते हैं और विविधा के स्तंभ मनोरंजन से गुदगुदाते हैं।

आशा करते हैं कि आगे भी आप यह सिलसिला इसी प्रकार जारी रखेंगे। इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के केंद्रीय कार्यालय के राजभाषा विभाग को इस पत्रिका के प्रकाशन के लिए हम हार्दिक शुभकामनाएँ देते हैं।

अंचल प्रबन्धक / उप महा प्रबन्धक
राजभाषा कक्ष, इंडियन बैंक, अंचल कार्यालय – चेन्नै दक्षिण

वाणी का ताज़ा अंक सहर्ष प्राप्त हुआ। पत्रिका में समाहित संदेश, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का साक्षात्कार, विभिन्न रचनाएँ सारगर्भित, उपयोगी और ज्ञानवर्धक हैं।

हिन्दी दिवस विशेषांक में हमारे प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा प्रस्तुत संदेश, निश्चय ही हिन्दी में कामकाज बढ़ाते रहने के लिए हम सब को प्रेरित करता है, साथ ही साथ सतर्क भारत और समृद्ध भारत के मंत्र को अपने जीवन में उतारने के लिए भी स्पष्ट दिशा प्रस्तावित करता है। कार्यपालक निदेशक महोदय ने हर क्षेत्र में बेहतर से बेहतरीन कार्य-निष्पादन के लिए अभिप्रेरित किया है। महा प्रबंधक का संदेश हमें सर्वश्रेष्ठता हासिल करते हुए अपने को अग्र श्रेणी में प्रतिष्ठापित करने का आह्वान करता है।

हिन्दी दिवस के उपलक्ष्य में, केंद्रीय कार्यालय सहित देश भर के क्षेत्रीय कार्यालयों में संपन्न विभिन्न गतिविधियों पर सचित्र जानकारी, महात्मा गांधी पर श्री निरंजन पण्डा का लेख, श्री आर. रंगराजन का राजभाषा कार्यान्वियन को सरलता से अपनाने पर बल देने वाला लेख, कृषि क़ानून जैसे समसामयिक विषय पर जानकारी, अदम गोंडवी की रचनाओं पर समालोचना, बैंकिंग तथा अन्य सामान्य रुचि के विषयों पर लेख, कविताएँ इस अंक को संग्रहणीय बनाते हैं।

वाणी के संपादक मंडल को तथा समस्त रचनाकारों को बधाई। हमें विश्वास है कि वाणी आगे भी पुष्पित-पल्लवित होती रहेगी और हमारे आइओबियनों को प्रभावशाली जानकारियाँ उपलब्ध करवाती रहेगी।

कौस्तुभ मजुमदार
मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक , क्षेत्रीय कार्यालय , हैदराबाद

गतिविधियाँ

"वाणी" के 126वें अंक का विमोचन करते हुए हमारे प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता (ऊपर) और कार्यपालक निदेशक महोदय श्री अजय कुमार श्रीवास्तव (नीचे)। दोनो ही चित्रों में साथ दिखाई दे रहे हैं महा प्रबन्धक (राजभाषा) श्री भुवन चन्द्र शर्मा और उप महा प्रबन्धक व मुख्य राजभाषा अधिकारी श्री सुरेश कुलकर्णी

हमारे बैंक के अनुसूचित जाति एवं जनजाति संघ की 74वीं तिमाही बैठक हाल ही में चेन्नै में संपन्न हुई। इस अवसर पर संघ के पदाधिकारियों ने हमारे एमडी व सीईओ महोदय श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता से मुलाकात की। इस अवसर पर साथ में मौजूद हैं कार्यपालक निदेशक श्री ए.के. श्रीवास्तव एवं महा प्रबन्धक (मानव संसाधन) श्री आर.के. प्रधान।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)

आपकी प्रगति का सच्चा साथी

आइओबी होम ऐडवांटेज

पात्रता

निवासी भारतीय /अनिवासी भारतीय /भारतीय मूल के व्यक्ति – जिनकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए

उद्देश्य

★ यदि आवेदक या सह-आवेदक के हमारे बैंक में या किसी अन्य बैंक/ वित्तीय संस्था में पहले से ही 02 आवास ऋण हैं तो उन्हें फ्लैट / मकान की खरीद/ निर्माण के लिए ऋण

★ एकल आवेदक के लिए आइओबी होम ऐडवांटेज के तहत अधिकतम 03 ऋण

चुकतान अवधि

अवकाश अवधि सहित 360 महीने यानि 30 वर्ष

ब्याज दर

शुभगृह के लिए लागू ब्याज दर + 1.50% (प्रत्येक स्लैब के अनुसार)

www.iob.in | 1800 425 4445 | @IOBIndia | travelcard@iobnet.co.in

अधिक जानकारी के लिए हमारी नज़दीकी शाखा से संपर्क करें या www.iob.in पर देखें

प्रकाशन की तिथि : 02.02.2021